उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या- 1605 /63-व0उ0-2022-17(एच)/2022
लखनऊ : दिनांकः 07 दिसम्बर, 2022

**कार्यालय ज्ञाप :-**

उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी-2022 के प्रख्यापन का शासनादेश संख्या-1233/63-व0उ0-2022-17(एच)/2022 दिनांक 17-10-2022 को निर्गत कर दिया गया है। एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी-2022 की Standard Operating Procedure (SOP) कार्यान्वयन हेतु संलग्नक अनुसार निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः- Standard Operating Procedure (SOP)

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1605 (1)/63-व0उ0-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विकास आयुक्त, हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, (I.I.H.T.), चौकाघाट, वाराणसी।
4- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
6- निदेशक, रेशम विकास विभाग, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- संयुक्त अधिशासी निदेशक, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( पी0 के0 पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

# उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 की कियान्वयन योजना (गाइडलाइन्स)

# Standard Operating Procedure (SOP)

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 अधिसूचना संख्या 1233/63–व0उ0–2022–17(एच)/2022 दिनांक 17–10–2022 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। "उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 की कियान्वयन योजना" के माध्यम से नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधायें लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। यह योजना दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना के दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

**1. योजना का नाम :–** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 की कियान्वयन योजना

**2. योजना की अवधि :–** दिनांक 17–10–2022 से 05 वर्ष की अवधि तक (अथवा शासन द्वारा यथासंशोधित तिथि तक)

**3. योजना का कार्यक्षेत्र :–** सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

**4. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत विभाग :–**

**A.** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,(रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को छोड़कर)

**B.** रेशम उद्योग निदेशालय (रेशम उद्योग इकाईयों हेतु)

**5. योजना के संचालन हेतु प्राधिकृत सहयोगी संस्था :–**

– शासन से अनुमोदित/चयनित/नियुक्त परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी (Project Management Agency)

**6. वस्त्र इकाईयों हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के संदर्भ में उल्लिखित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या :–**

**A. नई इकाई :–** का तात्पर्य नीति के प्रस्तर 3.10 में वर्णित प्राविधान के अनुसार विनिर्माण करने वाली उस वस्त्र इकाई से है जो पालिसी अवधि में पंजीकृत हो एवं इकाई द्वारा पालिसी अवधि में निवेश प्रारम्भ कर दिया गया हो

**B. विस्तारीकृत/विविधीकृत इकाई :–** की श्रेणी के अन्तर्गत वे इकाईयाँ ही वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करती हों :–

**i.** इकाई नीति के प्रस्तर 3.10 में वर्णित प्राविधान के अनुसार विनिर्माण करने वाली वस्त्र इकाई हो

**ii.** इकाई का विस्तारीकरण/विविधीकरण पालिसी अवधि में किया गया हो तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत विस्तारीकरण किया गया हो, अर्थात्

**a)** स्थायी पूंजी निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, स्पेयर–पार्ट्स) के सकल मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश किया गया हो तथा

**b)** पूर्व की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि का आगणन टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।

**iii.** इकाई के विस्तारीकृत अंग द्वारा "लेटर आफ कम्फर्ट" निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**iv.** न्यूनतम 25 प्रतिशत विस्तारीकरण/विविधीकरण सम्बन्धी सूचना दर्शाने पर विस्तारीकरण की पात्रता को पूर्ण कर रही हो

**v.** यदि इकाई द्वारा अन्य स्थल पर भूमि क्रय कर विस्तारीकरण किया गया है, तो इकाई के विस्तारीकृत हिस्से का बुक्स आफ एकाउन्ट (अभिलेख) पूर्णतः अलग से व्यवस्थित किया जायेगा।

**vi.** इकाई द्वारा मात्र आधुनिकीकरण न किया गया हो।

**C. विस्तारीकरण/विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण में अन्तर :–** नीति में वर्णित वित्तीय सुविधायें मात्र आधुनिकीकरण करने वाली इकाईयों को देय नहीं हैं। विस्तारीकरण/विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण में अन्तर निम्नांकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा :–

**i.** यदि इकाई में नई मशीनों पर निवेश करने से स्थायी पूंजी निवेश तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन भी होता है, तो इकाई की प्रकृति **विस्तारीकरण/विविधीकरण** की है।

**ii.** यदि इकाई में नई मशीनों पर निवेश करने से स्थायी पूंजी निवेश तथा उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि होती है रोजगार सृजन में ह्रास होता है, या कोई वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई की प्रकृति **आधुनिकीकरण** की है।

**D. कुल पूंजी निवेश :–** का अभिप्राय "स्थायी पूंजी" एवं "कार्यशील पूंजी" में किये गये निवेश के सकल मूल्य से है।

**E. स्थाई पूंजी निवेश** :– का अभिप्राय भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स में किये गये निवेश के सकल मूल्य से है। नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थयी पूंजी निवेश का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा :–

**i. भूमि पर निवेश** :– स्थायी पूँजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भूमि के प्रभावी मूल्य के 10 प्रतिशत तक ही गणना की जायेगी। भूमि का प्रभावी मूल्य का अभिप्राय है कि :–

**a)** यदि इकाई की स्थापना हेतु क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री की तिथि नीति की प्रख्यापन तिथि (17–10–2022) से पूर्व की है, तो भूमि का प्रभावी मूल्य शून्य होगा।

**b)** पालिसी अवधि में क्रय की गयी भूमि यदि सरकारी संस्थाओं की नहीं है, तो उस स्थिति में भूमि के पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित वास्तविक मूल्य (स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क सहित) "भूमि का प्रभावी मूल्य" होगा।

**c)** यदि सरकारी संस्थाओं से क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री की तिथि 17–10–2022 के पश्चात की है, परन्तु लीज डीड 17–10–2022 से पूर्व की है, तो रजिस्ट्री की तिथि से पूर्व इकाई द्वारा सरकारी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि को भूमि के प्रभावी मूल्य में नहीं जोड़ा जायेगा तथा रजिस्ट्री की तिथि को अथवा उसके पश्चात इकाई द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी धनराशि को ही भूमि के प्रभावी मूल्य में आगणित किया जायेगा, परन्तु भुगतान हेतु अवशेष किश्तों को प्रभावी मूल्य में आगणित नहीं किया जायेगा।

**d)** इकाई की भूमि का वह हिस्सा, जो अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण से सम्बधित है, का मूल्य भूमि के प्रभावी मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**e)** स्थायी पूंजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भूमि के प्रभावी मूल्य का आगणन प्रारूप–2ए पर दर्शाया जायेगा।

**ii. भवन** :– भवन का तात्पर्य इकाई की स्थापना हेतु निर्मित विविध स्थायी निर्माण से है, जिसमें प्रशासनिक भवन सम्मिलित नहीं है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि के पश्चात भवन निर्माण में व्यय धनराशि को ही स्थायी पूंजी निवेश के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व भवन निर्माण में व्यय धनराशि को स्थायी पूंजी निवेश के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**a)** यदि विविध स्थायी निर्माण अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित हैं, तो उन पर किया गया निवेश "भवन पर निवेश" के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**b)** स्थायी पूंजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भवन के मूल्य का आगणन प्रारूप–2बी पर दर्शाया जायेगा।

**iii. प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना** :– प्लान्ट एवं मशीनरी का तात्पर्य नये, स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं संयंत्र से है, जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जेनरेटिंग सेट, ब्वायलर, कैप्टिव पावर–प्लान्ट, डाईज एवं मोल्ड्स, सौर ऊर्जा संयन्त्र तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन तथा इलेक्ट्रीफिकेशन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत में सम्मिलित किया जायेगा, यदि मशीनरी विक्रेता/सप्लायर द्वारा मशीनरी की लागत के साथ चार्ज किया जाता है। पुराने यंत्र–संयंत्र इत्यादि प्लान्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

**a)** स्थायी पूंजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत प्लान्ट एवं मशीनरी के मूल्य का आगणन प्रारूप–2बी पर दर्शाया जायेगा।

**F. मौजूदा पूंजी निवेश** :– का अभिप्राय विस्तारीकरण/विविधीकरण प्रारम्भ करने से पूर्व इकाई का स्थायी पूंजी निवेश से है। यदि विस्तारीकृत इकाई के विस्तारीकरण से पूर्व के स्थायी पूंजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत सकल मूल्य के स्थान पर depreciated value बैलेंसशीट में दर्शायी गयी है, तो उस स्थिति में मौजूदा स्थायी पूंजी निवेश का आगणन परिस्थिति के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा :–

**i.** यदि इकाई 10 वर्षों से अधिक पुरानी है, तो

मौजूदा स्थायी पूंजी निवेश = विस्तारीकरण के दस वर्ष पूर्व की depreciated value
+
इन दस वर्षों में किया गया सकल पूंजी निवेश।

**ii.** यदि इकाई 10 वर्षों से कम पुरानी है, तो

मौजूदा स्थायी पूंजी निवेश = इकाई की स्थापना से लेकर विस्तारीकरण से पूर्व की तिथि तक किया गया सकल पूंजी निवेश।

**G. कट आफ डेट** :– से अभिप्राय ईकाई द्वारा पालिसी अवधि में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि से है। कट आफ डेट 17–10–2022 से पूर्व की नहीं होगी।

**H. चरणबद्ध पूंजी निवेश की स्थिति में स्थाई पूंजी निवेश का आगणन** :– निम्नांकित विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर किया जायेगा :–

**i. प्रथम विकल्प** :–

**a)** इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि घोषित करने के पूर्व प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये समस्त निवेश को आगणन में सम्मिलित किया जायगा चाहे निवेश कई चरणों में किया गया हो।

**b)** इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि घोषित करने के पश्चात् प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश को पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा हेतु पात्र उसी स्थिति में माना जायगा जबकि इकाई द्वारा विस्तारीकरण के प्राविधानों को पूर्ण किया जा रहा हो।

**c)** यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश के प्रथम चरण के उपरान्त पूंजीगत उपादान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके पश्चात् प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश को पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा हेतु पात्र उसी स्थिति में माना जायगा जबकि इकाई द्वारा विस्तारीकरण के प्राविधानों को पूर्ण किया जा रहा हो।

**ii. द्वितीय विकल्प** :–

**a)** यदि इकाई द्वारा चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तो अन्तिम चरण के निवेश की थ्रेशहोल्ड सीमा (threshold limit) प्राप्त होने पर इकाई को वित्तीय सुविधा अनुमन्य होगी।

**b)** अन्तिम चरण की थ्रेशहोल्ड सीमा प्राप्त करने एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि इकाई द्वारा अतिरिक्त निवेश किया जाता है, तो अतिरिक्त निवेश की लागत का 10 प्रतिशत ही स्थायी पूंजी निवेश के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।

**c)** चरणबद्ध निवेश की स्थिति में प्रत्येक चरण के लिए अलग–अलग टर्म लोन बैंक/वित्तीय संस्था से स्वीकृत कराना होगा।

**I. कुल रोजगार सृजन** :– से अभिप्राय इकाई में रोजगार प्राप्त समस्त प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या से है।

**7. त्रिस्तरीय कमेटियों की सदस्य संरचना** :–

**A.** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 में अनुमन्य सुविधाओं हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष संस्तुति, अनुमोदन एवं स्वीकृति से सम्बन्धित निर्णय लेने हेतु सक्षम स्तर की त्रिस्तरीय कमेटियाँ निम्नवत् होंगी :–

**i.** परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी

**ii.** राज्य स्तरीय कमेटी

**iii.** शासकीय स्वीकृति कमेटी

**B. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना:**

**i. वस्त्र उद्योग इकाईयों एवं टेक्सटाइल पार्क के प्रस्तावों एवं रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों के प्रस्तावों तथा युवाओं के स्वरोजगार सृजन एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु कमेटी की संरचना निम्नवत होगी :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त उद्योग | – **अध्यक्ष** |
| 2 | परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग | – **संयोजक सदस्य** |
| 3 | उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि<br>अथवा<br>सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर<br>अथवा<br>सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय<br>अथवा<br>वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी | – **सदस्य**<br><br>– **सदस्य**<br><br>– **सदस्य**<br><br>– **सदस्य** |
| 4 | सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम विकास विभाग | – **सदस्य** |
| 5 | औद्योगिक संघ, जिससे वस्त्र इकाई सम्बन्धित हो, का प्रतिनिधि<br>(इनकी उपस्थिति अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा) | – **सदस्य** |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | सम्बन्धित बैंक, जिससे वस्त्र इकाई ने ऋण प्राप्त किया हो, का प्रतिनिधि (इनकी उपस्थिति अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा) | **–सदस्य** |
| 7 | निदेशक, आई0आई0एच0टी0, वाराणसी द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | **–सदस्य** |
| 8 | प्रभारी अधिकारी, बुनकर सेवा केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | **–सदस्य** |
| परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जा सकता है। | | |

## C. राज्य स्तरीय कमेटी

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त | सदस्य |
| 3 | निदेशक, रेशम निदेशालय अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि<br>*(यदि रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों के प्रस्ताव हो, तो उस स्थिति में आमन्त्रित)* | सदस्य |
| 4 | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर | सदस्य |
| 5 | प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर | सदस्य |
| 6 | निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | सदस्य |
| 7 | प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर | सदस्य |
| 8 | वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर | सदस्य |
| 9 | संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर | सदस्य |
| 10 | योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन,<br>हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 | संयोजक सदस्य |
| 11 | पी0एम0ए0 के पदाधिकारी को आवशकतानुसार बैठक में आमंत्रित किया जायेगा | सदस्य |

## D. शासकीय स्वीकृति कमेटी

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 3 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 4 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 5 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 6 | सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है। | सदस्य |
| 7 | आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।, | संयोजक सदस्य |
| 8 | पी0एम0ए0 के पदाधिकारी | सदस्य |

**8.** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वस्त्र इकाईयों हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का कियान्वयन :

**A.** वस्त्र इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधायें :–

तलिका–1

| क्0 | वित्तीय सुविधा का नाम | वित्तीय सुविधा के कियान्वयन का विस्तृत विवरण से सम्बन्धित प्रस्तर |
|---|---|---|
| i. | भूमि लागत अनुदान | प्रस्तर–9 |
| ii. | स्टाम्प ड्यूटी में छूट | प्रस्तर–10 |
| iii. | पूंजीगत उपादान | प्रस्तर–11 |
| iv. | प्लांट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान | प्रस्तर–12 |
| v. | ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी | प्रस्तर–13 |
| vi. | ऊर्जा से सम्बन्धित प्रोत्साहन | प्रस्तर–14 |
| vii. | रोजगार सृजन अनुदान | प्रस्तर–15 |
| viii. | माल–भाड़ा प्रतिपूर्ति | प्रस्तर–16 |
| ix. | मार्जिन मनी अनुदान (रेशम उद्योग को प्रोत्साहन हेतु) | प्रस्तर–17 |
| x. | कार्यशील पूंजी हेतु उपादान (रेशम उद्योग को प्रोत्साहन हेतु) | प्रस्तर–18 |
| xi. | अवस्थापना सुविधा–1 : सड़क | प्रस्तर–19 |
| xii. | अवस्थापना सुविधा–2 : जल आपूर्ति एव जल निकासी | प्रस्तर–20 |
| xiii. | अवस्थापना सुविधा–3 : विद्युत आपूर्ति (पावरलाइन, ट्रान्सफार्मर आदि) | प्रस्तर–21 |
| xiv. | अवस्थापना सुविधा–4 : इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं डीजी सेट की स्थापना | प्रस्तर–22 |
| xv. | अवस्थापना सुविधा–5 : आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) | प्रस्तर–23 |
| xvi. | अवस्थापना सुविधा–6 : स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल/डॉरमेट्री का निर्माण | प्रस्तर–24 |

**B.** **वस्त्र इकाई को देय समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि की अधिकतम सीमा**

**i.** गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली किसी भी वस्त्र इकाई को पालिसी के प्राविधानों के अनुसार देय विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताओं की कुल धनराशि की अधिकतम सीमा "इकाई के स्थायी पूंजी निवेश" के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**ii.** गौतमबुद्ध नगर में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु यह सीमा 80 प्रतिशत होगी।

**C.** **वस्त्र इकाईयों हेतु पात्रता की शर्तें :–** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 में वस्त्र इकाईयों हेतु अनुमन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए "पात्रता की सामान्य शर्तों" एवं वित्तीय सुविधावार "पात्रता की विशिष्ट शर्तों" को पूर्ण करना होगा।

**i.** "पात्रता की सामान्य शर्तें" निम्नवत् हैं :–

**a)** नीति के प्रस्तर 3.10 के अनुसार निम्नवत् तालिका में वर्णित विनिर्माण इकाईयाँ ही नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं हेतु पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्त्र इकाई नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं हेतु पात्र नहीं होगी।

**तालिका–2**

| | |
|---|---|
| 1 | रेशम उत्पादन (चाकी और कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हथकरघा। |
| 2 | कताई, बुनाई, निटिंग। |
| 3 | रंगाई, प्रसंस्करण, छपाई। |
| 4 | गारमेन्टिंग (परिधान निर्माण, कढ़ाई वाले कपड़े, मेड–अप, घरेलू वस्त्र, फैशन के सामान, लेदर गारमेन्ट एवं एसेसरीज)। |
| 5 | इम्ब्रोएडरी एवं इम्ब्रोएडर्ड फैब्रिक्स। |
| 6 | सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र (टेक्नीकल टेक्सटाइल्स) और जूट उत्पाद, |
| 7 | सभी प्रकार के टेक्सटाइल फाइबर की प्री–स्पिनिंग प्रकियाएं :–(जिनिंग और प्रेसिंग |

| | |
|---|---|
| | प्रकिया, पॉलिएस्टर/विस्कोस/नायलॉन/एक्रिलिक स्टेपल फाइबर/फिलामेंट यार्न/पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर आदि)। |
| 8 | सभी प्रकार के टेक्सटाइल यार्न की पोस्ट स्पिनिंग प्रकियाएं :– (वाइंडिंग, ड्रॉइंग, ट्विस्टिंग, डबलिंग, रीलिंग, टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग, एंटंगलमेंट आदि) तथा समस्त प्रकार की प्री–वीविंग प्रोसेस (वारपिंग, साइजिंग आदि)। |
| 9 | मात्र पावरलूम पर निर्मित पी0पी0 मैट। |
| 10 | गैर बुने हुए (नॉन–वूवेन) वस्त्र। |
| 11 | विधिक रूप से प्रतिबन्धित उत्पादों की वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाईयों की स्थापना हेतु नीति में वर्णित सुविधाये देय नहीं होंगी। |

**b)** तकनीकी वस्त्रों के अन्तर्गत निम्नांकित शाखाएं अनुमन्य हैं :–

1. **Agrotech or Agro-textiles: It's used** in agriculture, horticulture aquaculture, and forestry etc.
2. **Buildtech or Construction Textiles:** Mostly uses in construction and Building etc.
3. **Clothtech or Clothing Textiles:** Used as a material or Clothing and footwear's technical components etc.
4. **Geotech or Geotextiles:** Road, Highway, brank, etc. constructions
5. **Hometech:** Household and furniture and floorcoverings technical components etc.
6. **Indutech or Industrial Textiles:** Industrial uses like filtration, cleaning conveying, and others.
7. **Medtech or Medical textiles:** Used in the Medical and hygiene industry etc.
8. **Mobiltech or Transport textile:** Uses in Manufacturing Automobiles, railways, shipping, and aerospace, etc.
9. **Oekotech or Ecotech:** used in oil gas, water transportation system to environment maintains friendly protection etc.
10. **Packtech or Packaging textiles:** Used in the packaging industry.
11. **Protech or Protective textiles:** Used in Personal and Medical protection.
12. **Sporttech or Sports textiles:** Used in Sportswear and Sports Equipments.
13. **Smart Textiles Products**

**c)** नीति के प्रस्तर 3.10 में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में उपुर्यक्त तालिका से सम्बन्धित उप प्रस्तर (a) भी तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

**d)** जो इकाई उप प्रस्तर (a) एवं (b) में वर्णित उत्पादों की मात्र ट्रेडिंग (trading) करती हैं, उन्हें नीति में वर्णित वित्तीय सुविधायें देय नहीं होंगी।

**e)** विधिक रूप से प्रतिबन्धित उत्पादों का उत्पादन करने वाली वस्त्र इकाई को नीति में वर्णित कोई भी सुविधा देय नहीं होगी।

**f)** पालिसी अवधि (दिनांक 17–10–2022 से 05 वर्ष की अवधि तक) में स्थापित होने वाली/निवेश करने वाली नई इकाईयाँ, विस्तारीकृत इकाईयां, विविधीकृत इकाईयाँ ही पालिसी में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं हेतु पात्र होंगी।

**g)** इस नीति के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन/सुविधायें टफ्स योजना या भारत सरकार की कियी अन्य योजनानतर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों/सुविधाओं के अतिरिक्त होगी, जब तक कि इसका विशिष्ट खण्ड में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। अर्थात्

- यदि नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के समान कोई सुविधा (कम या अधिक मात्रा में) भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत इकाई को प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में इकाई को उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसका विशिष्ट खण्ड में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। परन्तु,
- यदि नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के समान कोई सुविधा (कम या अधिक मात्रा में) उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत इकाई को प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में इकाई को वह वित्तीय सुविधा देय नहीं होगी।

**h)** निवेशकर्ता के द्वारा भूमि अथवा परिसर लीज या किराये पर लिये जाने की परिस्थिति में संबंधित वस्त्र इकाई द्वारा कम से कम 16 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत लीज/किरायानामा कराया जाना आवश्यक है।

i) वस्त्र इकाई में औद्योगिक सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किये गये हों तथा सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो।

j) नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु वस्त्र इकाई को दो चरणों में निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन करना होगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत "लेटर आफ कम्फर्ट" के निर्गमन हेतु वस्त्र इकाई को प्रारूप–1 पर आवेदन करना होगा तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने (धनराशि वितरण) हेतु वस्त्र इकाई को प्रारूप–2 पर आवेदन करना होगा।

k) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने (धनराशि वितरण) हेतु वस्त्र इकाई को प्रारूप–2 पर आवेदन निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत करना होगा। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्रारूप–2 पर किया गया आवेदन स्वतः अपात्र होगा। प्रारूप–2 पर आवेदन करने की अधिकतम समय–सीमा निम्नानुसार निर्धारित है :–

- "पालिसी अवधि" अथवा
- लेटर आफ कम्फर्ट के निर्गमन की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि

l) आवेदन–पत्र त्रुटिहीन एवं पूर्णरूपेण भरा होना चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रपत्र संलग्न किये जायें।

ii. "पात्रता की विशिष्ट शर्तें" :– वस्त्र इकाई हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा के सापेक्ष पात्रता की विशिष्ट शर्तों" का उल्लेख, अपेक्षित दस्तावेज एवं पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या तालिका–1 के अनुसार सम्बन्धित प्रस्तरों में वर्णित है।

**D. वस्त्र इकाई द्वारा आवेदन की प्रकिया :–**

i. उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी–2022 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दो चरणों में आवेदन करना होगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत "लेटर आफ कम्फर्ट" के निर्गमन हेतु वस्त्र इकाई को प्रारूप–1 पर आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत "धनराशि वितरण" हेतु वस्त्र इकाई को प्रारूप–2 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगे।

ii. आवेदन–पत्र एवं संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ–कमांक अंकित किया जायेगा तथा आवेदन–पत्र में संलग्नकों का विवरण सूची बनाकर पृष्ठ कमांक सहित दर्शाया जायेगा।

iii. रेशम उद्योग इकाईयों को छोड़कर अन्य वस्त्र इकाईयों द्वारा आवेदन–पत्र सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनका मूल्यांकन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय इकाईयों द्वारा तत्काल किया जायेगा। सम्बन्धित कार्यालय की जानकारी हेतु "परिक्षेत्रीय कार्यालय एवं सम्बन्धित जनपदों की सूची" **(अनुलग्नक–1)** तथा परिक्षेत्रीय कार्यालय के पतों का विवरण **(अनुलग्नक–2)** संलग्न है। परिक्षेत्रीय कार्यालय के पते में संशोधन होने की स्थिति में परिक्षेत्रीय कार्यालय के पते की अद्यतन जानकारी हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 की वेबसाइट (handloom.upsdc.gov.in) पर प्रदर्शित की जायेगी।

iv. रेशम उद्योग इकाईयों द्वारा आवेदन–पत्र रेशम विकास विभाग के सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

v. **आवेदन पत्र का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण :–** वस्त्र इकाईयों द्वारा आवेदन पत्र को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। ऑनलाइन अपलोड किये गये आवेदन–पत्र को निदेशालय द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र को परिक्षेत्र स्तरीय कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

**E. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण :–**

i. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र का परीक्षण अभिलेखीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार से किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त पूर्ण एवं पात्र आवेदन–पत्रों को परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

ii. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त पात्र आवेदन–पत्रों को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

iii. मुख्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्रों को मुख्यालय स्तर पर परीक्षण कर चयनित पी0एम0ए0 को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

iv. पी0एम0ए0 के स्तर से परीक्षणोपरान्त अप्रेजल रिपोर्ट सहित आवेदन–पत्र मुख्यालय को वापस प्रेषित किये जायेंगे।

v. पी0एम0ए0 से प्राप्त अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर अपात्र प्रस्तावों को परिक्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

vi. पी0एम0ए0 से प्राप्त अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर पात्र प्रस्तावों को मुख्यालय द्वारा "सक्षम राज्य स्तरीय कमेटी" के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

vii. 50 करोड़ रूपये तक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष "लेटर आफ कम्फर्ट" का निर्गमन एवं धनराशि वितरण का अनुमोदन राज्यस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा।

viii. 50 करोड़ रूपये से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष "लेटर आफ कम्फर्ट" का निर्गमन एवं धनराशि वितरण का अनुमोदन "शासकीय स्वीकृति समिति" द्वारा किया जायेगा।

ix. अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा मांग–पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा। तत्क्रम में शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा सम्बन्धित इकाई के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण कानपुर कोषागार के माध्यम से डी0बी0टी0 के द्वारा कराया जायेगा।

**9. भूमि लागत अनुदान (वित्तीय सहायता का विवरण, पात्रता की शर्तें एवं वांछित प्रपत्र)**

**A. वित्तीय सहायता का विवरण :–**

i. गौतमबुद्धनगर को छोड़कर प्रदेश के अन्य भागों में स्थापित होने वाली वस्त्र इकाई को भूमि के लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) प्रतिपूर्ति के आधार पर दिया जायेगा।

ii. गौतमबुद्धनगर में यह सब्सिडी 15 प्रतिशत होगी।

**B. भूमि लागत अनुदान की धनराशि का आगणन** निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

i. भूमि की प्रभावी कीमत के आधार पर वित्तीय सहायता का आगणन किया जायेगा

ii. भूमि लागत अनुदान की धनराशि परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

**C. भूमि की प्रभावी कीमत का आगणन**

i. भूमि की प्रभावी कीमत का अभिप्राय उस धनराशि से है, जिसका भुगतान इकाई द्वारा सरकारी संस्थाओं (यथाः–औद्योगिक प्राधिकरणों/सरकारी विभागों एवं अन्य विकास प्राधिकरणों) को वास्तविक रूप से किया जा चुका हो।

ii. लखनऊ/हरदोई में प्रस्तावित पी0एम0मित्र पार्क में स्थापित होने वाली वस्त्र इकाई हेतु "भूमि की प्रभावी कीमत" का अभिप्राय निम्नवत् है :–

a) क्रय की गयी भूमि के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित "भूमि की कीमत" उस स्थिति में भूमि की प्रभावी कीमत होगी, यदि वह वास्तविक भुगतान की धनराशि से कम है। अन्यथा की स्थिति में,

b) भूमि के क्रय हेतु किये गये वास्तविक भुगतान की धनराशि भूमि की प्रभावी कीमत होगी।

**D. परियोजना लागत का आगणन**

i. कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक ही भूमि की **प्रभावी कीमत** को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।

**E. वित्तीय सहायता हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. सरकारी संस्थाओं यथाः– औद्योगिक प्राधिकरणों/सरकारी विभागों एवं अन्य विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र इकाईयों की स्थापना हेतु इन सरकारी संस्थाओं से सीधे भूमि क्रय किये जाने की स्थिति में ही यह वित्तीय सुविधा देय होगी।

ii. यह वित्तीय सहायता उन निवेशकों को भी प्रदान की जायेगी, जो भारत सरकार की पी0एम0मित्र योजनान्तर्गत लखनऊ/हरदोई में प्रस्तावित पी0एम0मित्र पार्क के अन्तर्गत वस्त्र इकाई स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करते हैं।

a) यदि पार्क के विकासकर्ताओं द्वारा ही इकाई की स्थापना की जाती है, तो उस स्थिति में यह वित्तीय सुविधा देय नहीं होगी।

iii. इकाई द्वारा भूमि का क्रय पालिसी अवधि (दिनांक 17–10–2022 से 16–10–2027 तक) में किया गया हो।

iv. इकाई द्वारा प्राधिकरण से क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री जिस तिथि को करायी जायेगी, उस तिथि को भूमि क्रय की तिथि माना जायेगा।

v. इकाई द्वारा भूमि क्रय के पॉच वर्षो के अन्दर अथवा लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत होने के तीन वर्ष के भीतर यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो अथवा दोनो में जो भी पहले हो उसे अनुमन्य किया जायेगा।

**F. वित्तीय सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र के साथ अपेक्षित प्रपत्र :–**

i. भूमि क्रय हेतु प्राधिकरण से किये गये लैण्ड डीड
ii. भूमि की रजिस्ट्री
iii. भूमि क्रय हेतु इकाई द्वारा प्राधिकरण/टेक्सटाइल पार्क को किये भुगतान का साक्ष्य सम्बन्धी प्रपत्र
iv. परियोजना लागत का आगणन सम्बन्धी प्रपत्र
v. भूमि लागत अनुदान का आगणन सम्बन्धी प्रपत्र

**10. स्टाम्प ड्यूटी में छूट (वित्तीय सहायता का विवरण, पात्रता की शर्तें एवं वांछित प्रपत्र)**

**A. वित्तीय सहायता का विवरण** :– राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों (निगम/परिषद/बोर्ड/कम्पनी/संस्था) से क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि, शेड या औद्योगिक भवन निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर पात्र होंगे :–

**i. स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट**

a) गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाई को।
b) राज्य के किसी भी हिस्से में वस्त्र उद्योग हेतु अवस्थापना सुविधाओं (यथाः–एकीकृत परिवहन एवं वाणिज्यिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, गोदाम, जल आपूर्ति, सीवेज लाइन, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सालिड वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लान्ट, एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) के विकास हेतु भूमि के क्रय पर।
c) पी0एम0मित्र पार्क में स्थापित होने वाली वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाई की स्थापना हेतु प्रथम खरीददार को भूमि के क्रय पर
d) राज्य के किसी भी हिस्से में स्थापित होने वाली रेशम इकाईयों (चाकी एवं कोया उत्पादन तथा थ्रेडिंग इकाईयों) को

**ii. स्टाम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट**

a) गौतमबुद्ध नगर में स्थापित होने वाली इकाई को

**iii. स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट**

a) निजी क्षेत्र द्वारा विकसित टेक्सटाइल पार्क/आस्थान में वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाई की स्थापना हेतु प्रथम खरीददार को भूमि के क्रय पर,

**B. स्टाम्प शुल्क छूट की गणना** :– उपरोक्त सभी के लिए स्टाम्प शुल्क छूट की गणना भूमि क्रय की तिथि को प्रचलित सर्किल दरों पर आधारित होगी।

**C. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से शासनादेश का निर्गमन** :– स्टाम्प शुल्क से छूट एवं बैंक गारण्टी की धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

**D. वित्तीय सहायता हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. इकाई द्वारा भूमि का क्रय पालिसी अवधि (दिनांक 17–10–2022 से 16–10–2027 तक) में किया गया हो।
ii. क्रय तिथि का निर्धारण :– प्रस्तर–8 B iv के अनुसार।
iii. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा पृथक से निर्गत शासनादेश में प्राविधानित शर्तें

**E. वित्तीय सहायता हेतु अपेक्षित प्रपत्र**

i. **बैंक गारण्टी** :– राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों (निगम/परिषद/बोर्ड/ कम्पनी/संस्था) से क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि, शेड या औद्योगिक भवन निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर पात्र होंगे :–

a) **बैंक गारण्टी की अवमुक्ति** :– इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त बैंक गारण्टी की अवमुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र दिया जायेगा। तत्क्रम में सहायक आयुक्त, हथकरघा/उप आयुक्त, उद्योग विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की पुष्टि होने के उपरान्त बैंक–गारण्टी अवमुक्त कर दी जायेगी।

ii. **स्टाम्प शुल्क का आगणन सम्बन्धी प्रपत्र** :– यद्यपि यह वित्तीय सुविधा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सीधे ही इकाई को प्रदान की जायेगी, तथापि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा इकाई को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं की कुल मात्रा (quantum) के आगणन हेतु यह आवश्यक है कि स्टाम्प शुल्क का आगणन सम्बन्धी प्रपत्र इकाई द्वारा प्रारूप–2 के साथ संलग्न किया जाये।

**11.पूंजीगत उपादान (वित्तीय सहायता का विवरण, पात्रता की शर्तें एवं वांछित प्रपत्र) :–**

**A. वित्तीय सहायता का विवरण :–**

**i.** वस्त्र एवं गारमेटिंग इकाइयों को प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

**ii.** उक्त के अतिरिक्त राज्य के पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित हेने वाली वस्त्र एवं गारमेटिंग इकाइयों को 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रदान की जाएगी। आंचलिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची **अनुलग्नक–3** पर संलग्न है।

**iii.** पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा निम्नवत् तालिका के अनुसार अधिकतम रूपये 100 करोड़ प्रति यूनिट तक सीमित होगी।

**तालिका**

| इकाई का स्तर | प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश (करोड़ रूपये में) | न्यूनतम रोजगार सृजन | पूंजीगत उपादान का प्रतिशत | पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में इकाईयों को अतिरिक्त पूंजीगत उपादान का प्रतिशत | पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा (करोड़ रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रथम | <=10 | <50 | 15% | NIL | 1 |
| द्वितीय | <=10 | 50 | 25% | 10% | 2 |
| तृतीय | >10 but <=50 | 200 | 25% | 10% | 10 |
| चतुर्थ | >50 but<=100 | 300 | 25% | 10% | 20 |
| पंचम | >100 but <=200 | 500 | 25% | 10% | 40 |
| षष्ठम | >200 | 1000 | 25% | 10% | 100 |

**iv.** उपर्युक्त तालिका के अनुसार यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश का स्तर तथा "न्यूनतम रोजगार सृजन" का स्तर भिन्न–भिन्न हो, तो उस स्थिति में अपेक्षाकृत लघु स्तर की अधिकतम सीमा **(कालम–6)** के अनुसार पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा देय होगी।

**v.** **उदाहरणार्थ** :– यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश रू0 80 करोड़ है तथा रोजगार सृजन 100 है, तो लागत के अनुसार इकाई का स्तर चतुर्थ होगा तथा रोजगार सृजन के अनुसार इकाई का स्तर द्वितीय होगा। इस प्रकार इकाई द्वारा **"प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश का स्तर"** तथा **"रोजगार सृजन का स्तर"** भिन्न–भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत लघु स्तर "द्वितीय" इकाई का प्रभावी स्तर होगा तथा द्वितीय स्तर के संगत कालम–6 के अनुसार पूंजीगत उपादान रू0 02 करोड़ तक सीमित होगा।

**B. चरणबद्ध निवेश की स्थिति में "प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश" का आगणन :–** यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश कई चरणों में किया जाता है तो इकाई को पूंजीगत उपादान की सुविधा निम्नांकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दी जाएगी

**i.** इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि घोषित करने के पूर्व प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये समस्त निवेश को आगणन में सम्मिलित किया जायगा चाहे निवेश कई चरणों में किया गया हो।

**ii.** इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि घोषित करने के पश्चात् प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश को पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा हेतु पात्र उसी स्थिति में माना जायगा जबकि इकाई द्वारा विस्तारीकरण के प्राविधानों को पूर्ण किया जा रहा हो।

**iii.** यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश के प्रथम चरण के उपरान्त पूंजीगत उपादान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके पश्चात् प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश को पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा हेतु पात्र उसी स्थिति में माना जायगा जबकि इकाई द्वारा विस्तारीकरण के प्राविधानों को पूर्ण किया जा रहा हो।

**C. पूंजीगत उपादान हेतु "इकाई द्वारा रोजगार सृजन" की गणना :–** "इकाई द्वारा रोजगार सृजन" का आगणन निम्नांकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा :–

**i.** इकाई के निम्नलिखित उन कार्मिकों को रोजगार सृजन के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, जिन्हें इकाई द्वारा ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की सुविधा प्रदान की जा रही है, तथा वेतन का भुगतान इकाई द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्मिक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा हो :–

**a)** उत्पादन कार्य में नियोजित श्रमिक स्तर एवं सुपरवाईजर स्तर के कार्मिक

**b)** लिपिक स्तर के कार्मिक

c) सेल्समैन

ii. इकाई के प्रबन्ध तन्त्र में कार्यरत कार्मिकों को रोजगार सृजन के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा इकाई के स्वामी (owner) के पारिवारिक सदस्यों (यथा:–माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र तथा अविवाहित पुत्री/भाई/बहन आदि) को रोजगार सृजन के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**D. पात्रता की शर्तें :–**

i. प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय वैध इनवाइस से होना चाहिए।

ii. प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश के आगणन के अन्तर्गत सिर्फ उन्हीं क्रय इनवाइस को पात्र माना जायेगा, जिसका भुगतान क्रेता–इकाई द्वारा विक्रेता–फर्म को उसके बैंक एकाउन्ट में किया गया हो।

iii. क्रय की गयी प्लान्ट एवं मशीनरी के स्थापित होने एवं कार्यरत होने की दशा में ही यह वित्तीय सुविधा देय होगी।

**E. वांछित प्रपत्र :–**

i. प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय का विवरण (प्रारूप–2सी पर)

ii. प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय सम्बन्धी वैध इनवाइस, जिसमें विक्रेता फर्म का जी0एस0टी0 नं0 एवं प्रयुक्त जी0एस0टी0 की धनराशि दर्शायी गयी हो।

iii. क्रेता–इकाई द्वारा विक्रेता–फर्म को उसके बैंक एकाउन्ट में किया गया भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य

iv. कम्पनी के कर्मचारियों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 द्वारा वेतन अन्तरण के साक्ष्यस्वरूप इकाई के बैंक–पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति।

v. कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 एकाउन्ट में जमा अंशदान का सार (प्रारूप–2डी पर) साक्ष्य सहित

**12. प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान (वित्तीय सुविधा का विवरण, पात्रता की शर्तें एवं वाँछित प्रपत्र) :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. प्लांट एवं मशीनरी के क्रय हेतु इकाई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये वार्षिक ब्याज की कुल धनराशि का 60 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 07 वर्षों के लिये देय होगा।

ii. गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर शेष प्रदेश की वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों हेतु ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 1.5 करोड़ तक होगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 75 लाख होगी।

iii. यह वित्तीय सुविधा भारत सरकार की TUFS/ATUFS स्कीम या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित स्कीम के अन्तर्गत इकाई को प्राप्त वित्तीय सुविधा के अतिरिक्त होगी।

**B. पात्रता की शर्तें :–**

i. वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को भारत सरकार की TUFS/ATUFS स्कीम या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित स्कीम में निर्धारित मानक के अनुसार पात्रता वाली प्लान्ट एवं मशीनरी पर ही ब्याज उपादान की सुविधा देय होगी।

ii. प्रस्तर 10 D i, ii , iii के अनुसार

**C. वांछित प्रपत्र :–**

i. प्रस्तर 10 E i, ii, iii के अनुसार

ii. प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति–पत्र

iii. बैंक द्वारा ऋण वितरण का प्रमाण–पत्र

iv. बैंक स्टेटमेन्ट

v. बैंक द्वारा सत्यापित प्लान्ट एवं मशीनरी की सूची, जिसके सापेक्ष बैंक द्वारा ऋण वितरित किया गया है।

vi. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट

vii. सी0ए0 द्वारा सत्यापित ब्याज उपादान की धनराशि का आगणन–प्रपत्र

**13.ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** पी0एम0 मित्र पार्क के बनने के पश्चात उसमें स्थापित वस्त्र इकाईयों द्वारा लाइसेंसी यूटिलिटी से बिजली की खरीद पर, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए प्रति बिल युनिट (किलोवाट) के लिए 2 रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 60 लाख तक होगी।

**ii.** यह वित्तीय सुविधा इकाई को वित्तीय वर्ष में एक बार प्रतिपूर्ति के आधार पर देय होगी।

**B. पात्रता की शर्तें :–**

**i.** यह वित्तीय सुविधा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्तावित पी0एम0 मित्र पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को ही देय है।

**ii.** जिस वित्तीय वर्ष के सापेक्ष इकाई द्वारा ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी का दावा प्रस्तुत किया गया है उस वित्तीय वर्ष के समस्त 12 माह में इकाई द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया हो।

**iii.** इकाई द्वारा विद्युत बिल का भुगतान ससमय किया जा रहा हो। विद्युत बिल का भुगतान इकाई के स्तर से लंबित होने की स्थित में इकाई को यह सुविधा देय नहीं होगी।

**iv.** अपने स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी गई बिजली पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

**C. वांछित प्रपत्र :–**

**i.** विद्युत बिल भुगतान का साक्ष्य सम्बन्धी प्रपत्र।

**ii.** जिस वित्तीय वर्ष के सापेक्ष इकाई द्वारा ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी का दावा प्रस्तुत किया गया है, उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में इकाई द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का साक्ष्य सम्बन्धी प्रपत्र।

**14.ऊर्जा से सम्बन्धित प्रोत्साहन :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** नई वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को 10 वर्षो तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

**ii.** नई वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों हेतु कैप्टिव पावर प्लांट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा जब इससे उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं किया जाये।

**iii.** विद्युत विभाग के नियमों के अनुरूप निर्दिष्ट सीमा (thresholdlimit) से अधिक विद्युत की खपत करने वाले पार्को/इकाइयों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार खुली पहुंच (open access) की अनुमति होगी।

**iv.** विशेष रूप से बुंदेलखण्ड में अभिनव पद्धतियों, जैसे टाइम ऑफ द डे मीटरिंग और नवीकरणीय स्त्रोतों के दोहन से विद्युत दरों को कम करने के प्रयास किए जाएगे।

**v.** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बिजली की खपत करने वाली इकाईयाँ जो स्वतंत्र फीडर की सुविधा रखती हैं, चाहे उनके द्वारा भुगतान किया गया हो या नहीं, यथासंभव विद्युत कटौती के अधीन नही है। ऐसे स्वतंत्र फीडरों से कोई अन्य भार नहीं जोड़ा जाएगा।

**vi.** उपरिवर्णित सुविधाओं हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से **शासनादेश** निर्गत किया जायेगा।

**B. पात्रता की शर्ते एवं वांछित प्रपत्र :–**

**i.** ऊर्जा विभाग के शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार।

**15.रोजगार सृजन अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** यह वित्तीय सुविधा प्रति माह प्रति श्रमिक रू0 3200/– की दर से 05 वर्षो तक रोजगार सृजन अनुदान के रूप में देय है।

**B. पात्रता की शर्तें :–**

**i.** यह वित्तीय सुविधा गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद जनपद को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली उन प्रथम मेगा और सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को देय हैं, जिनमें संचयी रूप से प्रथम 15000 सिलाई मशीनें स्थापित की जाती हैं।

**ii.** मेगा एवं सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों के निर्धारण हेतु न्यूनतम रोजगार सृजन के मानदण्ड निम्नवत् हैः–

| उद्योग का प्रकार | श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड | |
|---|---|---|
| | बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में | प्रदेश के अन्य भागों में |
| मेगा यूनिट | न्यूनतम रोजगार सृजन 1000 | न्यूनतम रोजगार सृजन 1500 |
| सुपर मेगा यूनिट | न्यूनतम रोजगार सृजन 1500 | न्यूनतम रोजगार सृजन 2000 |

**iii.** इकाई में स्थापित सिलाई मशीनों की न्यूनतम संख्या :-

**a)** यदि इकाई में स्थापित सिलाई मशीनों पर उत्पादन कार्य एक शिफ्ट में किया जा रहा है, तो सिलाई मशीनों की न्यूनतम संख्या उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित रोजगार सृजन की संख्या के समान होनी चाहिए।

**b)** यदि इकाई में स्थापित सिलाई मशीनों पर उत्पादन कार्य दो शिफ्टों में किया जा रहा है, तो सिलाई मशीनों की न्यूनतम संख्या उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित रोजगार सृजन की संख्या के आधी होनी चाहिए।

**c)** यदि इकाई में स्थापित सिलाई मशीनों पर उत्पादन कार्य तीन शिफ्टों में किया जा रहा है, तो सिलाई मशीनों की न्यूनतम संख्या उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित रोजगार सृजन की संख्या की एक तिहाई होनी चाहिए।

**iv.** रोजगार सृजन अनुदान की इस सुविधा हेतु इकाई में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति ई0पी0एफ0 में नामांकित होना चाहिये तथा उसका वैध आधार संख्या होना चाहिए तथा इकाई द्वारा कार्मिक को वेतन भुगतान उसके बैंक खाते में डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा हो।

**v.** सिलाई मशीन पर कार्य करने वाले श्रमिकों को इकाई द्वारा एक वर्ष तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया हो।

**C. वांछित प्रपत्र :-**

**i.** सिलाई मशीन पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची (प्रारूप-2डी पर)

**ii.** सिलाई मशीन पर कार्य करने वाले श्रमिकों को इकाई द्वारा एक वर्ष तक नियमित रूप से वेतन का भुगतान, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई अंशदान का भुगतान सुनिश्चित किये जाने का साक्ष्य।

**16. माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति :-**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :-** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई गारमेंटिंग इकाईयों को यह वित्तीय सुविधा इकाई से पोर्ट तक माल-भाड़ा की धनराशि का 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक 5 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 75% | प्रथम दो वर्षों हेतु | रू0 50 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रति इकाई प्रतिवर्ष |
| 50% | अगले दो वर्षों हेतु | रू0 40 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रति इकाई प्रतिवर्ष |
| 25% | पांचवें वर्ष में | रू0 30 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रति इकाई प्रतिवर्ष |

इसके उपरान्त इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लिया जा सकेगा।

**B. वित्तीय सुविधा का आगणन :-**

**i.** इकाई से पोर्ट तक माल-भाड़ा का आगणन रेलवे माल-भाड़ा दर के आधार पर किया जायेगा।

**ii.** यदि इकाई द्वारा भुगतान की गयी माल भाड़ा की वास्तविक धनराशि "इकाई से पोर्ट तक की न्यूनतम रेलवे दूरी के माल-भाड़ा" से कम है, तो वास्तविक भुगतान के आधार पर वित्तीय सुविधा आगणित होगी। अन्यथा की स्थिति में रेलवे के माल-भाड़ा के आधार पर वित्तीय सुविधा का आगणन किया जायेगा।

**C. पात्रता की शर्तें :-**

**i.** उ0प्र0 निर्यात नीति के अन्तर्गत इस मद में यह सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों को वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के अन्तर्गत माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उ0प्र0 निर्यात नीति के अन्तर्गत अन्य मदों का लाभ इकाईयों को मिलेगा।

**ii.** पालिसी अवधि में स्थापित नई गारमेन्टिंग इकाई को ही यह वित्तीय सुविधा देय होगी। विस्तारीकृत/विविधीकृत इकाईयों को यह वित्तीय सुविधा देय नहीं होगी।

**D. वांछित प्रपत्र**

**i.** माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति की वित्तीय सुविधा सम्बन्धी आगणन प्रपत्र

**ii.** इकाई द्वारा भुगतान किये गये माल-भाड़ा का विवरण निर्धारित

iii. माल–भाड़ा की वैध इनवाइस की प्रमाणित प्रतियाँ
iv. माल–भाड़ा के सापेक्ष किये गये भुगतान का साक्ष्य
v. निर्यात आदेश की प्रति
vi. आई0ई0सी0 सर्टिफिकेट

**17. मार्जिन मनी अनुदान :–**

**A. वित्तीय सहायता का विवरण**

i. उत्पादन क्षेत्र में चाकी पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग और कताई से सम्बन्धित, अधिकतम एक करोड़ रूपये का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयां बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर मार्जिन मनी के रूप में 15 प्रतिशत पूंजीगत उपादान हेतु पात्र होंगी। बैंक द्वारा किये गये परियोजना लागत के मूल्यांकन के आधार पर मार्जिन मनी की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मामले में यह अनुदान 20 प्रतिशत होगा।

ii. एक करोड़ रूपये या उससे अधिक के पूंजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयों को 20 प्रतिशत पूंजीगत उपादान दिया जायेगा। यह वित्तीय सुविधा केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसे भारत सरकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।

iii. उप प्रस्तर (i) व (ii) के अन्तर्गत देय सब्सिडी भारत सरकार या सी.एस.बी. की योजनाओं में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगी।

**B. पात्रता की शर्तें एवं वांछित प्रपत्र :–**

i. पात्रता की शर्तों एवं वांछित प्रपत्रों के सम्बन्ध में रेशम विकास विभाग द्वारा प्रथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

**18. कार्यशील पूंजी उपादान :–**

**A. वित्तीय सहायता का विवरण :–**

i. उत्तर प्रदेश में उत्पादित कोया से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागे का उत्पादन करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयां कार्यशील पूंजी हेतु लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों तक ब्याज उपादान (कार्यशील पूंजी सब्सिडी) हेतु पात्र होंगी। कार्यशील पूंजी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50.000 रूपये प्रति वर्ष प्रति इकाई होगी।

**B. पात्रता की शर्तें एवं वांछित प्रपत्र :–**

i. पात्रता की शर्तों एवं वांछित प्रपत्रों के सम्बन्ध में रेशम विकास विभाग द्वारा प्रथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

**19. अवस्थापना सुविधा–1 (सड़क) हेतु अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को स्वयं के उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत **सड़क निर्माण** हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1 करोड़ प्रति इकाई की सीमा तक अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणन:–**

i. उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय "सड़क निर्माण की परियोजना की कुल लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।

a) परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।

ii. यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर सड़क निर्माण कराया जाता है, तो मात्र मूलधन को ही परियोजना लागत में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्तें :–**

i. यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है। "अविकसित भूमि" का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है उस भूमि पर पहले से कोई सड़क निर्मित न हो।

ii. यदि सड़क का निर्माण इकाई द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था से कराया गया है तो इकाई द्वारा सरकारी संस्था के बैंक खाते में किये गये भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सुविधा देय होगी।

iii. यदि सड़क का निर्माण इकाई द्वारा किसी निजी संस्था से कराया गया है तो इकाई को यह वित्तीय सुविधा निम्नांकित शर्तों के अधीन देय होगी :–

  a) सड़क निर्माण हेतु निजी संस्था संबन्धित सरकारी विभाग से मान्यता प्राप्त हो एवं ब्लैकलिस्टेड न हो

  b) सड़क निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक का सत्यापन पी0डब्ल्यू0डी0 अथवा सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा किया गया हो

  c) निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन एवं वैध इनवाइस की धनराशि को ही परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो।

**D. वांछित प्रपत्र :–**

i. सडक निर्माण की अलग से डी0पी0आर0

ii. अविकसित भूमि का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रमाणित।

iii. सड़क निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन सम्बन्धी प्रपत्र

iv. सरकारी विभाग से सड़क निर्माण कराने की स्थिति में वांछित अंन्य प्रपत्र

  a) सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत आगणन एवं इनवाइस

  b) इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य

v. निजी संस्था से सड़क निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र

  a) सड़क निर्माण हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।

  b) ब्लैकलिस्टेड न होने के सम्बन्ध में निजी संस्था के स्तर से निर्गत स्व प्रमाण–पत्र

  c) सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा सड़क निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य

  d) निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस

  e) वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

**20. अवस्थापना सुविधा–2 (जल आपूर्ति एवं जल निकासी) हेतु अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. वस्त्र एवं गारमेटिंग इकाईयों को स्वयं के उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत **जल आपूर्ति एवं जल निकासी** हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1 करोड़ प्रति इकाई की सीमा तक अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणनः–**

i. उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय "जल आपूर्ति एवं जल निकासी की परियोजना की लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।

  a) परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।

ii. यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है, तो मात्र मूलधन को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्ते :–**

i. यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है। "अविकसित भूमि" का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पर "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण किया जा रहा है उस भूमि पर पहले से यह अवस्थापना सुविधा उपलब्ध न हो।

ii. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा सम्बन्धित किसी सरकारी संस्था से कराया गया है तो इकाई द्वारा सरकारी संस्था के बैंक खाते में किये गये भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सुविधा देय होगी।

iii. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा किसी निजी संस्था से कराया गया है तो इकाई को यह वित्तीय सुविधा निम्नांकित शर्तों में देय होगी :-

a) "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" के निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक तथा लागत का सत्यापन सक्षम सरकारी विभाग/संस्था द्वारा किया गया हो

b) निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत उसी इनवाइस की धनराशि को ही परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, जो वैध हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो।

**D. वांछित प्रपत्र :-**

i. "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" की डी0पी0आर0

ii. अविकसित भूमि का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रमाणित।

iii. "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" के निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन-प्रपत्र

iv. सरकारी विभाग से "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित अन्य प्रपत्र

a) सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत आगणन एवं इनवाइस

b) इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य

v. निजी संस्था से "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र

a) सक्षम सरकारी विभाग द्वारा जल आपूर्ति एवं जल निकास निर्माण की गुणवत्ता, मानक एवं लागत को प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य

b) निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस

c) वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

**21. अवस्थापना सुविधा-3 (विद्युत आपूर्ति, यथा-पावरलाइन, ट्रान्सफार्मर आदि) हेतु अनुदान :-**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :-**

i. वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को स्वयं के उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत **विद्युत आपूर्ति (पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि) के विकास** हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1 करोड़ प्रति इकाई की सीमा तक अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणन:-**

i. उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय "विद्युत आपूर्ति (पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि के विकास की परियोजना की लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।

a) परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।

ii. यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर विद्युत आपूर्ति (पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि) अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है, तो मात्र मूलधन को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्तें :-**

i. "विद्युत आपूर्ति यथाः– पावर लाइंन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" को स्थापित कराने यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी, जिनके लिए यह अवस्थापना सुविधा पहले से उपलब्ध न हो।

ii. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा ऊर्जा विभाग से कराया गया है तो इकाई द्वारा ऊर्जा विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सुविधा देय होगी।

iii. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा किसी निजी संस्था से कराया गया है तो इकाई को यह वित्तीय सुविधा निम्नांकित शर्तों में देय होगी :–

  a) "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" हेतु लागत का आगणन ऊर्जा विभाग के सक्षम स्तर से किया गया हो।

  b) "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" के निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक का सत्यापन ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया हो

  c) निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत उसी इनवाइस की धनराशि को ही परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, जो वैध हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो।

**D. वांछित प्रपत्र :–**

i. "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावरलाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" के विकास की डी0पी0आर0

ii. "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" के विकास हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र

iii. ऊर्जा विभाग से "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावर लाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" का विकास कराने की स्थिति में वांछित अन्य प्रपत्र

  a) ऊर्जा विभाग द्वारा सत्यापित इनवाइस

  b) ऊर्जा विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य

iv. निजी संस्था से "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावरलाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" का विकास कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र

  a) "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावरलाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" के विकास हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।

  b) ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत लाइन/ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य

  c) निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस

  d) वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

**22. अवस्थापना सुविधा–4 (इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ई.टी.पी.) एवं डी.जी. सेट) हेतु अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ई.टी.पी.) एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 05 करोड़ प्रति इकाई की सीमा तक अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणनः–**

i. उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय "ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना की परियोजना की लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।

  a) परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।

ii. यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना की जाती है, तो मात्र मूलधन को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्ते :–**

- **i.** ईटीपी एवं डीजी सेट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) अथवा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी वैधानिक निकाय द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है।
- **ii.** यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है। "अविकसित भूमि" का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पर "ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना की परियोजना की लागत सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण किया जा रहा है उस भूमि पर पहले से यह अवस्थापना सुविधा उपलब्ध न हो।

**D. वांछित प्रपत्र :–**

- **i.** "ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना" की डी0पी0आर0
- **ii.** अविकसित भूमि का प्रमाण–पत्र, सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रमाणित।
- **iii.** "ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना" हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र
  - **a)** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) अथवा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार "ईटीपी एवं डीजी सेट" स्थापित होने का प्रमाण–पत्र
- **iv.** वैध इनवाइस एवं वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा फर्म के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

**23. अवस्थापना सुविधा–5 (आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केंद्र) हेतु अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

- **i.** आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.5 करोड़ तक प्रति इकाई अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणनः–**

- **i.** उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय " आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने की परियोजना की लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।
  - **a)** परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा निर्माणकारी संस्था/विक्रेता फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।
- **ii.** यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित कराये जाते है, तो मात्र मूलधन को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्ते :–**

- **i.** यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है। "अविकसित भूमि" का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पर "आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने" का निर्माण किया जा रहा है, उस भूमि पर पहले से यह अवस्थापना सुविधा उपलब्ध न हो।
- **ii.** अवस्थापना सुविधाओं की डी0पी0आर0 तथा निर्माण/विकास कार्य अनुमोदन इकाई द्वारा भारत सरकार की टेक्सटाइल कमेटी से कराना होगा।
- **iii.** अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत मशीनरी का क्रय इकाई द्वारा किसी मान्यताप्राप्त संस्था/फर्म से किया गया हो।

**D. वांछित प्रपत्र :–**

- **i.** अविकसित भूमि का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रमाणित।

ii. आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने हेतु अपेक्षित वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र

iii. टेक्सटाइल कमेटी/निट्रा से डी0पी0आर0 के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र

iv. वैध इनवाइस तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा निर्माणकारी संस्था/विक्रेता फर्म के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

**24.अवस्थापना सुविधा–6 ( स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल/डॉरमेट्री के निर्माण ) हेतु अनुदान :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल/डॉरमेट्री के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा तक प्रति इकाई अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

**B. परियोजना लागत का आगणन:–**

i. उपर्युक्त उप प्रस्तर A(i) में उल्लिखित "परियोजना लागत" शब्द का अभिप्राय "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री निर्माण की परियोजना लागत" से है। परियोजना लागत के आगणन हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नही माना जाएगा।

a) परियोजना लागत के आगणन के अन्तर्गत उस व्यय धनराशि को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी वैध इनवाईस हो तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष भुगतान इकाई द्वारा निर्माणकारी संस्था/ फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो। वैध इनवाइस एवं भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियाँ वस्त्र इकाई के लेखा (account) में विधिवत् प्रदर्शित हो तथा सी0ए0 द्वारा सत्यापित की गयी हो।

ii. यदि इकाई द्वारा बैंक से ऋण लेकर "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री का निर्माण कराया जाता है, तो मात्र मूलधन को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, ब्याज को नहीं।

**C. पात्रता की शर्ते :–**

i. यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई है। "अविकसित भूमि" का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पर "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण किया जा रहा है, उस भूमि पर पहले से यह अवस्थापना सुविधा उपलब्ध न हो।

ii. निर्मित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो

iii. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा सम्बन्धित किसी सरकारी संस्था से कराया गया है तो इकाई द्वारा सरकारी संस्था के बैंक खाते में किये गये भुगतान के सापेक्ष यह वित्तीय सुविधा देय होगी।

iv. यदि अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण इकाई द्वारा किसी निजी संस्था से कराया गया है तो इकाई को यह वित्तीय सुविधा निम्नांकित शर्तों में देय होगी :–

a) निर्माणकारी निजी संस्था संबन्धित सरकारी विभाग से मान्यता प्राप्त हो एवं ब्लैकलिस्टेड न हो

b) निर्माण की गुणवत्ता मानक एवं लागत का आगणन सम्बन्धित सक्षम विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया हो

**D. वांछित प्रपत्र :–**

i. अविकसित भूमि का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रमाणित।

ii. "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र

iii. सरकारी विभाग से "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री" का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित अन्य प्रपत्र

a) सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत इनवाइस

b) इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य

iv. निजी संस्था से "स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र

a) निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।

b) सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा निर्माण की गुणवत्ता, मानक एवं लागत प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य

c) निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस

d) वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य

## 25. निजी टेक्सटाइल पार्कों हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का कियान्वयन :–

### A. अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का विवरण

| क0 | वित्तीय सुविधा का नाम | वित्तीय सुविधा का विवरण |
|---|---|---|
| i. | पार्क के विकास हेतु अनुदान | a. ई0टी0पी0 तथा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के साथ पार्क के विकास हेतु परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) के 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 करोड़ रूपये तक। |
| ii. | स्टाम्प शुल्क में छूट | a. निजी वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकासकर्ता द्वारा राज्य में (गौतमबुद्ध नगर जिले को छोड़कर) भूमि कय करने पर बैंक गारंटी (एफ0डी0आर0) के विरूद्ध स्टाम्प शुल्क की शत–प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।<br>b. इस वित्तीय सुविधा हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा। |
| iii. | बिजली की खुली पँहुच | a. एसपीवी/मास्टर डेवलपर को बिजली की खुली पहुंच के लिए विद्युत रेग्यूलेशन एक्ट के अनुरूप अनुमति दी जाएगी। |
| iv. | राज्य सरकार द्वारा देय अन्य सुविधाएं | a. राज्य सरकार यथा आवश्यक पार्क को जोड़ने वाली मौजूदा सड़क को मजबूत करेगी एवं आवश्यक विद्युत लाइन तथा अलग से विद्युत फीडर एवं ट्रांसफार्मर/विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था की जाएगी। |

### B. पात्रता की शर्तें :

**i.** टेक्सटाइल पार्क का प्रवर्तक/विकासकर्ता/संचालक हेतु पात्रता :–

- **a)** कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कोई कम्पनी, अथवा
- **b)** विशेष प्रयोजन तन्त्र (Special Purpose Vehicle)
  - एस0पी0वी0/कम्पनी के गठन में स्थानीय उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक निगमों तथा राज्य सरकार की अन्य एजेन्सियों के प्रतिनिधि सम्मिलिति हो सकते हैं।
  - एस0पी0वी0 कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होगी।

**ii.** भूमि सम्बन्धी पात्रता :–

- **a)** टेक्सटाइल पार्क न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि पर स्थापित हो।
- **b)** टेक्सटाइल पार्क हेतु भूमि का पंजीकरण एस0पी0वी0/कम्पनी के नाम पर होना चाहिए।
- **c)** एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा भूमि की खरीद अथवा लीज के माध्यम से भूमि की व्यवस्था न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।
- **d)** पार्क हेतु चयनित भूमि हर मौसम हेतु उपयुक्त हो तथा पूर्व से विद्यमान ऐसी सड़क से जुड़ी हो, जो कम से कम 18 मीटर चौड़ी हो एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था हो।
- **e)** ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवश्यकतानुसार भूमि एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

**iii.** इकाईयों की स्थापना सम्बन्धी पात्रता :–

- **a)** पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों की न्यूनतम संख्या 10 होगी।
- **b)** टेक्सटाइल पार्क में किसी एक इकाई को आवंटित भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल कुल आवंटन भूमि के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

**iv.** डी0पी0आर0 सम्बन्धी पात्रता :–

- **a)** यदि वित्तीय सुविधाओं हेतु एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा पहली बार आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस स्थिति में डी0पी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- **b)** आवेदन–पत्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात उत्तरोत्तर दावा वर्षों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के साथ डी0पी0आर0 संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि किन्हीं कारणोवश डी0पी0आर0 को संशोधित/परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संशोधित डी0पी0आर0 को आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

c) डी0पी0आर0 में तथ्यों का विवरण औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

d) डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्ययोजना का समयबद्ध कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

v. न्यूनतम साझा सुविधाओं सम्बन्धी पात्रता :–

a) पार्क में न्यूनतम साझा सुविधाओं यथा एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट पार्क (ETP) एवं पेयजल, वर्षाजल संचयन, ट्रक सीवेज लाइन पार्किंग एवं अन्य प्रचालन तंत्र आदि सुविधा अनिवार्य रूप से एस0पी0वी0/कम्पनी उपलब्ध करायी गयी हो।

b) एस0पी0वी0/कम्पनी अपना स्वयं का मलजल निस्तारण प्रणाली निर्मित करेगी अथवा ट्रंक सीवेज लाइन तक पहुँच सुनिश्चित करेगी।

c) स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमैट्री के निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा उसी स्थिति में दी जायेगी, जबकि निर्मित भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग की भी समुचित व्यवस्था होगी।

vi. अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धी पात्रता :–

a) टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा।

vii. टेक्सटाइल पार्क में निवेश की पात्र अवधि सम्बन्धी पात्रता :–

a) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति/वितरण की तिथि 17 अक्टूबर 2022 अथवा उसके पश्चात की हो।

viii. ऋण की किश्तें समय से चुकाने सम्बन्धी पात्रता :–

a) ऋण प्राप्त करने के उपरान्त एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा किश्तों के भुगतान में चूक न की जाये। अर्थात् किश्त भुगतान के परिप्रेक्ष्य में एस0पी0वी0/कम्पनी डिफाल्टर की स्थिति में न हो।

ix. टेक्सटाइल पार्क का विकास/निर्माण की गुणवत्ता का सत्यापन सम्बन्धी पात्रता :–

a) टेक्सटाइल पार्क का विकास/निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक तथा लागत का सत्यापन सक्षम सरकारी विभाग/संस्था द्वारा किया गया हो।

**C. देय वित्तीय सहायता की अवमुक्ति**

i. निजी क्षेत्र में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने पर विकासकर्ता/निवेशक को प्रोत्साहन राशि निम्नवत् तालिका के अनुसार 3 (तीन) किस्तों में वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर देय होगी :–

| **कुल उपलब्ध क्षेत्र में इकाईयों का आवंटन (प्रतिशत में)** | **प्रोत्साहन राशि जारी करने का प्रतिशत** |
|---|---|
| इकाईयों को 25 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन | पात्र प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत |
| इकाईयों को 50 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन | पात्र प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत |
| इकाईयों को 100 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन | पात्र प्रोत्साहन राशि का 20 प्रतिशत |

**D. अनुमन्य वित्तीय सहायता हेतु टेक्सटाइल पार्क/एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा आवेदन की प्रकिया :–**

i. एस0पी0वी0/कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। "लेटर आफ कम्फर्ट के निर्गमन" हेतु प्रारूप–3 पर आवेदन किया जायेगा तथा धनराशि के वितरण हेतु प्रारूप–4 पर आवेदन किया जायेगा।

**E. वाँछित प्रपत्र**

**i. प्रारूप–3 के साथ**

a) प्रस्तावित पार्क की डी0पी0आर0

b) भूमि कय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

c) पार्क निर्माण का मानचित्र सम्बन्धित सरकारी विभाग की स्वीकृति

d) सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति–प्रमाण–पत्र सहित

**ii. प्रारूप–4 के साथ**

a) वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का विवरण

b) सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति–प्रमाण–पत्र सहित

c) हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी का प्रमाण

d) रस्ट्रिेशन शुल्क के भुगतान की पावती

e) यदि नीलामी में यू0पी0एस0आई0डी0सी0/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/अन्य विकास प्राधिकरणों/बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख।

f) निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाह्य परामर्शदाताओं/सी0ए0 फर्मों द्वारा तैयार ले–आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविधिक लेख–परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत

g) स्कूटनी/वेरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–14 के कियान्वयन हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूंजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।

h) नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूंजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण–पत्र

i) नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूंजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जॉच/सत्यापन आख्या

**F. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण**

**i. प्राप्त आवेदन–पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें**

a) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन–पत्र की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।

b) परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त आवेदन–पत्र को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित किया जायेगा।

**ii. मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें**

a) मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त आवेदन–पत्रों को कमेटी के परीक्षण/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

b) राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त टेक्सटाइल पार्क हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वीकृति कमेटी के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

c) शासकीय स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय सहायता की धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा एस0पी0वी0 के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

**26. प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 की कियान्वयन योजना के इस घटक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हथकरघा/पावरलूम बुनकरों/हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं रेशम के वस्त्रों की बिकी को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में प्रति वर्ष चार विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। ऐसी प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने के लिए बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रदर्शनी के आयोजन पर व्यय की अधिकतम सीमा रू0 50 लाख है।

**B. आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के विवरण सम्बन्धी मानक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | प्रदर्शनी का नाम | – | यू0पी0 स्टेट स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो। |
| ii. | प्रदर्शनी की अवधि | – | 14 दिन तक |
| iii. | प्रतिभागियों की संख्या | – | 35 अधिकतम |
| iv. | अनुमानित बिकी | – | 1 करोड़ |

**C. प्रतिभागी हेतु पात्रता :–**

i. व्यक्तिगत हथकरघा/पावरलूम बुनकर/हस्तशिल्पी बुनकर।

ii. प्राइमरी, केन्द्रीय एवं एपेक्स हथकरघा बुनकर सहकारी समितियॉ/हथकरघा निगम।

iii. हथकरघा उत्पादन में संलिप्त स्वंय सहायता समूह/क्लस्टर।

iv. हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाएँ।

**D. प्रदर्शनी के आयोजन हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता का मदवार विवरण**

**i. मदवार औसत व्यय सीमा**

| क्र0 | मद का नाम | मदवार व्यय की औसत सीमा (लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| a. | ग्राउन्ड/हाल रेन्ट/विद्युत/अस्थायी अवस्थापना पर व्यय | 25.00 |
| b. | एक्सपो के प्रचार–प्रसार आदि पर व्यय | 13.73 |
| c. | प्रतिभागियों को माल–भाड़ा/यात्रा–भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान पर व्यय | 6.37 |
| d. | प्रशासनिक व्यय/विविध व्यय आदि | 4.90 |
| | योग | 50.00 |

**ii. मदवार व्यय की औसत सीमा में परिवर्तन** :–मदवार औसत व्यय सीमा के सापेक्ष कम या अधिक व्यय आयोजन की आवश्यकताओं एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनुमन्य होगा। आन्तरिक मद में व्यय की सीमा आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है, परन्तु कुल आयोजन व्यय रू0 50.00 लाख से अधिक नहीं होगा।

**iii. विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य** :– एक्सपो के कियान्वयन हेतु विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी विविध कार्यों हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा के आधार पर फर्म/ठेकेदार का चयन किया जायेगा। निविदा का प्रारूप जेम पोर्टल के नियमानुसार निदेशालय स्तर पर तैयार किया जायेगा।

**iv. प्रतिभागियों को प्रतिभागिता व्यय की निर्धारित शर्तें** :– एक्सपो में अधिकतम 35 प्रतिभागियों को प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :–

a) **माल–भाड़ा** : माल–भाड़ा की प्रतिपूर्ति प्रतिभागी के जनपद से प्रदर्शनी स्थल तक वस्त्र उत्पादों को ले जाने एवं शेष माल को वापस लाने के लिए माल–भाड़ा की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रू0 8000/–प्रति प्रतिभागी की दर से देय होगी।

b) **यात्रा–भत्ता** : प्रत्येक प्रतिभागी संख्या के 02 विकेताओं को अधिकतम रू0 1350/–प्रति विकेता की दर से अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से एक्सपो स्थल के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एवं एक्सपो समापन के उपरान्त पुनः इसी प्रकार एक्सपो स्थल से अपने निवास स्थान वापस आने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल का किराया अथवा किराये पर हुए वास्तविक व्यय जो कम हो अनुमन्य होगा।

c) **दैनिक भत्ता–** प्रत्येक प्रतिभागी संख्या के 02 विकेताओं को 15 दिन का नियत (फिक्सड) धनराशि रू0 250/–प्रतिदिन प्रति विकेता की दर से दैनिक भत्ता का भुगतान (जिसमें एक्सपो प्रारम्भ की तिथि से एक दिन पूर्व सायंकाल से एवं एक्सपो की समाप्ति के अगले दिन पूर्वान्ह तक) अनुमन्य होगा।

d) **प्रतिपूर्ति का भुगतान** :– उप प्रस्तर– a,b,c पर अंकित प्रतिपूर्तियों के भुगतान की धनराशि सीधे प्रतिभागी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

**v. एक्सपो का प्रशासनिक व्यय/विविध व्यय**

a) प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत स्टेशनरी, उद्‌घाटन, समापन, वी0आई0पी0, पत्रकारों के जलपान एवं गिफ्ट आदि कार्यालय के रख–रखाव तथा नामित/तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को टी0ए0/डी0ए0/ठहरने आदि पर व्यय अनुमन्य होगा।

**vi. एक्सपो के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश/कार्यादेश एवं अन्य मानकों का निर्धारण एवं कियान्वयन**

a) एक्सपो के आयोजन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र/दिशा–निर्देश/निविदा प्रपत्र/कार्यादेश आदि के प्रारूपों का निर्धारण निदेशालय स्तर पर समय–समय पर किया जायेगा है तथा मानकों के अनुसार कियान्वयन कराया जायेगा।

**E. प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता** :–

i. उ0प्र0 राज्य के प्रतिभागी उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों का विपणन एवं प्रदर्शन करके प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बाजार की मांग एवं ग्राहकों की वर्तमान रूचियों एवं भविष्य की रूचियों के अनुरूप आधुनिक एवं परम्परागत डिजाइनों से युक्त वस्त्रों का उत्पादन करके तथा

समाज में उन वस्त्रों की ख्याति एवं प्रचलन बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित कराने में वे भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

**F. महानगरों का चयन/आयोजन अवधि की तिथियों का निर्धारण :–**

**i.** योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर एक्सपो के आयोजन के लिए हथकरघा, पावरलूम एवं हस्तशिल्प वस्त्रों की अधिक से अधिक बिक्री को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के बाहर 04 महानगरों का चयन एवं आयोजन की अवधि का निर्धारण शासन की अनुमति से आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा किया जायेगा।

**G. एक्सपो में प्रतिभागिता हेतु परिक्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारण :–**

**i.** एक्सपो के आयोजन हेतु शहरों का चयन एवं आयोजन तिथि निर्धारित होने के पश्चात एक्सपो में प्रतिभागिता हेतु परिक्षेत्रवार प्रतिभागियों का लक्ष्य हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

**H. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के दायित्व :–**

**i.** निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एक्सपो में प्रतिभागिता हेतु प्रतिभागियों का आवेदन–पत्र आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा निदेशालय को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।

**I. निदेशालय द्वारा प्रतिभागियों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया जाना :–**

**i.** प्रत्येक यू0पी0 स्टेट स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के लिए कम से कम 35 प्रतिभागियों के आवेदन–पत्र को निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। कोई भी प्रतिभागी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 02 (दो) प्रदर्शनियों में ही प्रतिभाग कर सकेगा।

**J. अनुश्रवण समिति :–**

**i.** एक्सपो के सफलतापूर्वक आयोजन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यकता के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/एक्सपो इंचार्ज द्वारा किया जायेगा।

**K. फर्म/ठेकेदार का चयन :–**

**i.** योजना के अन्तर्गत देश के बड़े शहरों में आयोजित होने वाले यू0पी0 स्टेट स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के लिए विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार आदि सम्बन्धी विविध कार्यों हेतु फर्म/ठेकेदार का चयन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा द्वारा किया जायेगा और एक्सपो के कार्यों हेतु चयनित फर्म/ठेकेदार को समस्त कार्य समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश सहित कार्यादेश निदेशालय स्तर से निर्गत किया जायेगा।

**L. एक्सपो के आयोजन की अनुमति :–**

**i.** एक्सपो के आयोजन की आवश्यकतानुसार पूर्व अनुमति सम्बन्धित महानगर/जिले के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अग्नि शमन अधिकारी से प्राप्त की जायेगी। इस कार्य में शासन एवं एक्सपो के आयोजन हेतु चयनित फर्म/ठेकेदार से सहयोग लिया जायेगा।

**M. प्रायोजक एवं आयोजक का नाम :–**

**i.** एक्सपो के समस्त पब्लिसिटी मैटेरियल में "प्रायोजक–हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ" तथा "आयोजक–आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर" अंकित किया जायेगा। साथ ही उ0प्र0 शासन का लोगो भी अंकित किया जायेगा।

**N. प्रतिभागियों का बीमा :–**

**i.** परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा को एक्सपो में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को पूर्व में ही सूचित करना होगा कि वे अपने माल एवं स्वयं का बीमा करा लें। किसी भी दैवीय आपदा इत्यादि की स्थिति में हुई क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिभागी स्वयं उत्तरदायी होंगे। किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उ0प्र0 शासन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर एवं सम्बन्धित राज्य सरकार जहां पर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, उत्तरदायी नहीं होंगे।

**O. प्रतिभागियों को स्टालों का आवंटन :–**

**i.** एक्सपो में प्रतिभागियों को स्टालों का आवंटन अधिकृत एक्सपो इंचार्ज के स्तर से लाटरी पद्धति द्वारा एक्सपो प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा।

**ii.** यदि प्रतिभागी स्टाल आवंटन में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो प्रतिभागियों के मध्य उचित समन्वय होने की स्थिति में स्टाल आवंटन में परिवर्तन किया जायेगा।

**P. एक्सपो का उद्घाटन :–**

**i.** प्रस्तावित एक्सपो का उद्घाटन मा0 मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा स्थानीय जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/महापौर, नगर निगम/जनप्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।

**Q. एक्सपो के कार्यों का भौतिक सत्यापन :–**

**i.** एक्सपो के अस्थायी अवस्थापना, प्रसार–प्रसार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यों का स्थलीय भौतिक सत्यापन प्रदर्शनी अवधि में पूर्व निर्धारित तिथि व समय पर फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि सहित उपस्थित होकर निम्नानुसार दो सदस्यीय गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा :–

**a)** नामित एक्सपो इंचार्ज (विभागीय योजनाधिकारी/निदेशालय के अधिकारी)

**b)** आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा नामित मुख्यालय/परिक्षेत्र का कोई भी राजपत्रित अधिकारी।

**R. भुगतान की प्रक्रिया :–**

**i.** एक्सपो के अस्थायी अवस्थापना, प्रचार–प्रसार, प्रतिभागियों को पूतिपर्ति एवं प्रशासनिक व्यय की धनराशि का भुगतान धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होने पर एक्सपो के अस्थायी अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार मद की धनराशि का भुगतान दो किश्तों में नामित फर्म/ठेकेदार को किया जायेगा। प्रथम किश्त की धनराशि एक्सपो का उद्घाटन होने के पश्चात नामित एक्सपो इंचार्ज की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा तथा द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि का भुगतान स्थलीय भौतिक सत्यापन समिति की आख्या के आधार पर एवं अधिकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा फाइनल बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

**27. निर्यात मेले या एक्सपो का आयोजन (उ0प्र0 हैण्डलूम, सिल्क एवं खादी एक्सपो)**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–** उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 की कियान्वयन योजना के इस घटक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हथकरघा, पावरलूम, सिल्क, खादी एवं अन्य वस्त्र उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए प्रदेश अथवा देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र शहरों में वर्ष में एक बार 14 दिवसीय एक्सपो का आयोजन कराया जायेगा। इसकी व्यवस्था एवं प्रचार–प्रसार पर रू0 70 लाख व्यय अनुमन्य होगा।

**B. आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के विवरण सम्बन्धी मानक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **i.** | प्रदर्शनी का नाम | – | उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, सिल्क एवं खादी एक्सपो |
| **ii.** | प्रदर्शनी की अवधि | – | 14 दिन तक |
| **iii.** | प्रतिभागियों की संख्या | – | 60 (बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रतिभागियों की संख्या घटायी बढ़ायी जा सकती है।) |
| **iv.** | अनुमानित बिकी | – | रू0 1.5 करोड़ |

**C. प्रतिभागी हेतु पात्रता :–**

**i.** व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/पावरलूम बुनकर/खादी बुनकर।

**ii.** प्राइमरी, केन्द्रीय एवं एपेक्स हथकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ।

**iii.** हथकरघा उत्पादन में संलिप्त स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर।

**iv.** हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाएँ।

**v.** रेशम उत्पादक एवं सिल्क बुनाई करने वाले बुनकर

**D. प्रदर्शनी के आयोजन हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता का मदवार विवरण**

**i. मदवार व्यय विवरण**

| क्र0 | मद का नाम | मदवार व्यय की औसत सीमा (लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| **a.** | ग्राउन्ड/हाल रेन्ट/विद्युत/अस्थायी अवस्थापना पर व्यय | 34.00 |
| **b.** | एक्सपो के प्रचार–प्रसार आदि पर व्यय | 20.60 |
| **c.** | प्रतिभागियों को माल–भाड़ा/यात्रा–भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान पर व्यय | 9.10 |
| **d.** | प्रशासनिक व्यय/विविध व्यय आदि | 6.30 |
| | **योग** | **70.00** |

**ii. मदवार व्यय की औसत सीमा में परिवर्तन** :– मदवार औसत व्यय सीमा के सापेक्ष कम या अधिक व्यय आयोजन की आवश्यकता एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनुमन्य होगा। (एक मद की धनराशि आवश्यकतानुसार दूसरे मद में परिवर्तनीय होगा) परन्तु कुल आयोजन व्यय रू0 70 लाख से अधिक नहीं होगा।

**iii. विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य** :– एक्सपो के कियान्वयन हेतु विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी विविध कार्यों हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा के आधार पर फर्म/ठेकेदार का चयन किया जायेगा। निविदा का प्रारूप जेम पोर्टल के नियमानुसार निदेशालय स्तर पर तैयार किया जायेगा।

**iv. प्रतिभागियों को प्रतिभागिता व्यय की निर्धारित शर्तें** :– एक्सपो में अधिकतम 60 प्रतिभागियों को प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति प्रस्तर 26D(iv) के अनुसार देय होगी।

**v. एक्सपो का प्रशासनिक व्यय** :– प्रस्तर 26D(v) के अनुसार

**vi. निर्धारित शर्तों के अनुसार मानकों का निर्धारण एवं कियान्वयन** :– प्रस्तर 26D(vi) के अनुसार

**E. प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता** :–

**i.** उ0प्र0 राज्य के प्रतिभागी केवल उच्च गुणवत्ता के हथकरघा, सिल्क एवं खादी वस्त्रों का विपणन एवं प्रदर्शन करके प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बाजार की मांग एवं ग्राहकों की वर्तमान रूचियों एवं भविष्य की रूचियों के अनुरूप आधुनिक एवं परम्परागत डिजाइनों से युक्त वस्त्रों का उत्पादन करके तथा समाज में उन वस्त्रों का प्रचलन बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित कराने में वे भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

**F. आयोजन हेतु महानगर का चयन/आयोजन अवधि की तिथियों का निर्धारण** :–

**i.** योजना के अन्तर्गत प्रदेश या देश में एक्सपो के आयोजन के लिए वस्त्रों की अधिक से अधिक बिकी को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक महानगर/शहर का चयन एवं आयोजन की अवधि का निर्धारण शासन की अनुमति से आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा किया जायेगा।

**G. एक्सपो में प्रतिभागिता हेतु परिक्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारण** :– प्रस्तर 26G के अनुसार

**H. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के दायित्व** :– प्रस्तर 26H के अनुसार

**I. निदेशालय द्वारा प्रतिभागियों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया जाना** :–

**i.** प्रत्येक उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, सिल्क तथा खादी एक्सपो के लिए अधिकतम 60 प्रतिभागी समितियों/प्रतिभागी बुनकरों के आवेदन–पत्र को निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा।

**J. अनुश्रवण समिति** :– प्रस्तर 26 J के अनुसार

**K. फर्म/ठेकेदार का चयन** :– प्रस्तर 26 K के अनुसार

**L. एक्सपो के आयोजन की अनुमति** :– प्रस्तर 26 L के अनुसार

**M. प्रायोजक एवं आयोजक का नाम** :– प्रस्तर 26 M के अनुसार

**N. प्रतिभागियों का बीमा** :– प्रस्तर 26 N के अनुसार

**O. प्रतिभागियों को स्टालों का आवंटन** :– प्रस्तर 26 O के अनुसार

**P. एक्सपो का उद्घाटन** :– प्रस्तर 26 P के अनुसार

**Q. एक्सपो के कार्यों का भौतिक सत्यापन** :– प्रस्तर 26 Q के अनुसार

**R. भुगतान की प्रकिया** :– प्रस्तर 26 R के अनुसार

**28.** **हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा बायर–सेलर मीट/क्रेता–विक्रेता संगम का आयोजन :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक वर्ष में दो बायर–सेलर मीट, एक प्रदेश के पश्चिमी एवं एक पूर्वी क्षेत्र में आयोजित कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था आदि हेतु अधिकतम रू0 20 लाख प्रति बायर–सेलर मीट व्यय किया जायेगा।

**B. आयोजित होने वाली बायर–सेलर मीट/क्रेता–विक्रेता संगम के विवरण सम्बन्धी मानक**

**i.** आयोजन का नाम – उत्तर प्रदेश वस्त्र उत्पाद क्रेता–विक्रेता संगम ( Uttar Pradesh Textile Products Buyer-Seller Meet)

**ii.** आयोजन की अवधि – 02 दिवसीय

**C. क्रेता–विक्रेता संगम आयोजन व्यय की विभिन्न मदें :–**

**i.** **मदवार व्यय की औसत सीमा**

| क्र0 | मद का नाम | मदवार व्यय की औसत सीमा (लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| a) | अस्थायी अवस्थापना एवं आयोजन सम्बन्धी विविध व्यय | 15.00 |
| b) | यात्रा–भत्ता की प्रतिपूर्ति | 2.50 |
| c) | प्रशासनिक व्यय | 2.50 |

**ii.** **मदवार व्यय की औसत सीमा में परिवर्तन** :–मदवार औसत व्यय सीमा के सापेक्ष कम या अधिक व्यय आयोजन की आवश्यकता एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनुमन्य होगा (आंतरिक मद की धनराशि आपस में परिवर्तनीय होगी।) कुल आयोजन व्यय रू0 20 लाख से अधिक नहीं होगा तथा मदवार निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

**iii.** **विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य** :– क्रेता–विक्रेता संगम के क्रियान्चयन हेतु विद्युत सहित अस्थाई अवस्थापना एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी विविध कार्यों हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा के आधार पर फर्म/ठेकेदार का चयन किया जायेगा। निविदा का प्रारूप जेम पोर्टल के नियमानुसार निदेशालय स्तर पर तैयार किया जायेगा।

**iv.** **"अस्थायी अवस्थापना एवं आयोजन सम्बन्धी विविध" मद हेतु शर्तें**

**a)** **क्रेता–विक्रेता संगम हेतु हाल की क्षमता** :–ऐसे हाल का चयन किया जाये जिसमें पर्याप्त रोशनी, वातानुकूलन/वेन्टीलेशन की व्यवस्था हो, तथा न्यूनतम 100 व्यक्तियों के बैठने–उठने एवं विचरण करने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। हाल में कम से कम 40 विक्रेता अपने वस्त्र उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें।

**b)** कम से कम 20 क्रेताओं एवं 40 विक्रेताओं, पत्रकारों विभागीय अ धिकारियों/कर्मचारियों के बैठने हेतु सोफा/कुर्सी आदि की व्यवस्था हो।

**c)** अग्नि सुरक्षा हेतु व्यवस्था हो।

**d)** आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर प्रवेश गेट/समुचित बैनर, स्टैण्डी की व्यवस्था हो।

**e)** गैलर में 6 विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की खूबियां दर्शित करने वाले स्टैण्डी हो।

**f)** वीडियोग्राफी/स्टिल फोटोग्राफी की व्यवस्था।

**g)** आगन्तुकों/क्रेताओं–विक्रेताओं के ठहरने तथा भोजन एवं जलपान की यथासम्भव उचित व्यवस्था की जाये।

**h)** यदि आवश्यक हो तो क्रेताओं को रेलवे–स्टेशन/बस स्टैण्ड/एयरपोर्ट से संगम स्थल चक लाने/वापस ले जाने की यथासम्भव ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था की जाये।

**i)** निमंत्रण–पत्र की छपाई एवं प्रेषण का व्यय वहन किया जायेगा।

**v.** **प्रतिभागी उत्पादक/विक्रेताओं को प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तें :–**

**a)** **विक्रेताओं/उत्पादकों को यात्रा–भत्ता** :– औसतन 40 विक्रेताओं को उनके सहयोगी सहित यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति द्वितीय श्रेणी के रेल किराये के आधार पर की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 1000/प्रति व्यक्ति होगी। यदि विक्रेता/उत्पादक अपने सहयोगी के साथ क्रेता–विक्रेता संगम में प्रतिभाग करता है, तो उसे अधिकतम रू0 2000/– की धनराशि अनुमन्य होगी।

**b)** **क्रेताओं को यात्रा–भत्ता** :– क्रेता द्वारा यात्रा–भत्ता की मांग किये जाने पर उसे ए०सी० सेकेण्ड रेल किराये के आधार पर या वास्तविक यात्रा व्यय के आधार पर यात्रा–भत्ता देय होगी।

**vi. निर्धारित शर्तों के अनुसार मानकों का निर्धारण एवं कियान्वयन**

**a)** निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रेता–विक्रेता संगम के सफल आयोजन हेतु विभिन्न मानकों एवं नियम व शर्तों का निर्धारण निदेशालय द्वारा किया जायेगा है तथा मानकों के अनुसार ठेकेदार फर्म का चयन कर आयोजन कराया जायेगा।

**vii. प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता :–**

**a)** उ०प्र० राज्य के प्रतिभागी उच्च गुणवत्ता के निर्यात योग्य वस्त्रों का क्रेता–विक्रेता संगम में प्रदर्शन करके प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के प्रचार–प्रसार एवं निर्यात में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वैश्विक बाजार की मांग एवं विदेशी ग्राहकों की वर्तमान रूचियों एवं भविष्य की रूचियों के अनुरूप आधुनिक एवं परम्परागत डिजाइनों से युक्त निर्यात योग्य वस्त्रों का उत्पादन करके तथा वैश्विक समाज में उन वस्त्रों का प्रचलन बढ़ाकर उत्तर प्रदेश के वस्त्रों का निर्यात बढ़ाकर अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित कराने में वे भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

**viii. महानगर का चयन/आयोजन अवधि की तिथियों का निर्धारण :–**

**a)** योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र एवं प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक–एक क्रेता–विक्रेता संगम के आयोजन के लिए प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा एवं आयोजन अवधि तथा की तिथियों का निर्धारण आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र० कानपुर द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा। यदि उक्त आयोजन कहीं अन्यत्र किया जाना आवश्यक हो तो उसकी पूर्व अनुमति शासन से प्राप्त की जायेगी।

**ix. क्रेता–विक्रेता संगम में प्रतिभागिता हेतु परिक्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारण :–**

**a)** क्रेता–विक्रेता संगम के आयोजन हेतु महानगरों का चयन एवं आयोजन तिथि निर्धारित होने के पश्चात क्रेता–विक्रेता संगम में प्रतिभागिता हेतु परिक्षेत्रवार प्रतिभाग करने वाली प्रतिभागियों का लक्ष्य हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर द्वारा निर्यात योग्य वस्त्रों के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जायेगा।

**x. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के दायित्व :–**

**a)** निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप क्रेता–विक्रेता संगम में प्रतिभागिता हेतु प्रतिभागियों के आवेदन–पत्र आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा निदेशालय को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।

**xi. निदेशालय द्वारा प्रतिभागियों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया जाना :–**

**a)** प्रत्येक क्रेता–विक्रेता संगम के लिए कम से कम 40 प्रतिभागियों के आवेदन–पत्र को निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा।

**xii. अनुश्रवण समिति :–**

**a)** क्रेता–विक्रेता संगम के सफलतापूर्वक आयोजन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रतिभागियों का चयन एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र० कानपुर द्वारा किया जायेगा।

**xiii. फर्म/ठेकेदार का चयन :–**

**a)** योजना के अन्तर्गत देश के 02 बड़े महानगरों में आयोजित होने वाले क्रेता–विक्रेता संगम के अस्थायी अवस्थापना एवं आयोजन सम्बन्धी विविध कार्यों हेतु फर्म/ठेकेदार का चयन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर के स्तर से टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा तथा क्रेता–विक्रेता संगम के कार्यों हेतु चयनित फर्म/ठेकेदार को समस्त कार्य समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश सहित कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

**xiv. क्रेता–विक्रेता संगम के आयोजन की अनुमति :–**

**a)** क्रेता–विक्रेता संगम के आयोजन की आवश्यकतानुसार पूर्व अनुमति शासन से प्राप्त की जायेगी।

**xv. प्रायोजक एवं आयोजक का नाम :–**

a) क्रेता–विक्रेता संगम के समस्त पब्लिसिटी मैटेरियल में प्रायोजक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं आयोजक–आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर अंकित किया जायेगा।

**xvi. प्रतिभागियों का बीमा :–**

a) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा को संगम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को पूर्व से ही सूचित करना होगा कि वे अपने माल एवं स्वयं का बीमा करा लें। किसी भी दैवीय आपदा इत्यादि की स्थिति में हुई क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिभागी क्रेता–विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे। किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उ0प्र0 शासन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर उत्तरदायी नहीं होंगे।

**xvii. क्रेता–विक्रेता संगम का उद्घाटन :–**

a) प्रस्तावित क्रेता–विक्रेता संगम का उद्घाटन मा0 मंत्री जी प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा स्थानीय जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/महापौर, नगर निगम/जनप्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।

**xviii. क्रेता–विक्रेता संगम के कार्यों का भौतिक सत्यापन** :–क्रेता–विक्रेता संगम के अस्थायी अवस्थापना एवं आयोजन सम्बन्धी विविध व्यय सम्बन्धी कार्यों का स्थलीय भौतिक सत्यापन आयोजन अवधि में पूर्व निर्धारित तिथि व समय पर फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि सहित उपस्थित होकर निम्नानुसार दो सदस्यीय गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा :–

a) नामित संगम इंचार्ज (विभागीय योजनाधिकारी/निदेशालय के अधिकारी)

b) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा नामित मुख्यालय/परिक्षेत्र का कोई भी राजपत्रित अधिकारी।

**xix. भुगतान की प्रकिया :–**

a) क्रेता–विक्रेता संगम के अस्थायी अवस्थापना, प्रचार–प्रसार, प्रतिभागियों को पूतिपर्ति एवं प्रशासनिक व्यय की धनराशि का भुगतान धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होने पर क्रेता–विक्रेता संगम के अस्थायी अवस्थापना एवं आयोजन सम्बन्धी विविध मद में व्यय की धनराशि का भुगतान नामित/चयनित फर्म/ठेकेदार को किया जायेगा। क्रेता–विक्रेता संगम का सफल आयोजन होने के पश्चात नामित क्रेता–विक्रेता संगम इंचार्ज की संस्तुति के आधार पर स्थलीय भौतिक सत्यापन समिति की आख्या के आधार पर एवं अधिकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा फाइनल बिल प्रस्तुत करने पर एकमुश्त किया जायेगा।

b) प्रतिभागियों को यात्रा–भत्ता की प्रतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में निदेशालय द्वारा बजट की उपलब्धता में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

## 29. निर्यात से सम्बन्धित संस्था द्वारा बायर–सेलर मीट का आयोजन

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. यदि निर्यात से सम्बन्धित कोई संस्था (निर्यात कौंसिल या ब्यूरो) बायर–सेलर मीट का आयोजन कराना चाहती है, तो उसके लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 10 लाख प्रति बायर–सेलर मीट हेतु अनुदान/प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

ii. प्रति वर्ष अधिकतम 02 बायर सेलर मीट हेतु वित्तीय सुविधा अनुमन्य की जायेगी।

iii. यह वित्तीय सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सुविधा के अतिरिक्त होगी। परन्तु राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से क्रेता–विक्रेता संगम हेतु वित्तीय सुविधा प्राप्त होने की स्थिति में यह वित्तीय सुविधा देय नहीं होगी।

**B. निर्यात से सम्बन्धित संस्था हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित वस्त्र क्षेत्र से सम्बन्धित कोई भी निर्यात काउन्सिल या ब्यूरो

ii. पंजीकृत निर्यातकों का समूह/संघ/संगठन

**C. आयोजन की प्रभावी लागत का आगणन** :– क्रेता–विक्रेता संगम के आयोजन की प्रभावी लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

i. आयोजन सम्बन्धी "विविध व्ययों" तथा "प्रतिभागियों को दी गयी वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि" को जोड़कर "आयोजन की कुल लागत" का आगणन किया जायेगा।

ii. "आयोजन की कुल लागत" में से "सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता" एवं "प्रतिभागियों से लिये गये शुल्क" यदि लिखकर लिया गया हो को घटाते हुए "आयोजन की प्रभावी लागत" का आगणन किया जायेगा।

**D. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रकिया :-** निदेशालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से केता-विक्रेता संगम के आयोजन हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दो चरणों में करना होगा।

i. यदि निर्यात से सम्बन्धित संस्था उप-प्रस्तर B(i) के अनुसार है, तो आवेदन-पत्र सीधे निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

ii. यदि निर्यात से सम्बन्धित संस्था उप-प्रस्तर B(ii) के अनुसार है, तो उप-प्रस्तर B(i) में वर्णित संस्था की संस्तुति के उपरान्त आवेदन-पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

**E. आवेदन-पत्र का प्रसंस्करण :-**

i. निदेशालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा।

ii. द्वितीय चरण के अन्तर्गत "वित्तीय सहायता की अवमुक्ति" हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर उसे राज्यस्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**F.** वित्तीय सहायता की अवमुक्ति के सापेक्ष राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त निदेशालय द्वारा शासन से वित्तीय स्वीकृति की मांग की जायेगी। शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त निर्यात-संस्था के बैंक एकाउन्ट में डी0बी0टी0 द्वारा वित्तीय सहायता की धनराशि अन्तरित की जायेगी।

## 30. देश में आयोजित वस्त्र प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में प्रतिभागिता हेतु वित्तीय सहायता

**A. वित्तीय सुविधा का उद्देश्य :-** भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा देश में आयोजित 3 प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले बुनकरों, मास्टर वीवर, बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा/पावरलूम इकाईयों/वस्त्र इकाईयों (सूक्ष्म इकाईयों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी सीखने/राज्य में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को सम्मिलित करने हेतु इन प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भेजे जायेंगे। दो व्यक्तियों द्वारा किये गये कुल प्रतिभागिता व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर दिया जायेगा।

**B. वित्तीय सुविधा का विवरण :-** प्रतिभागियों को उनके द्वारा वहन किये गये प्रतिभागिता व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :-

i. **माल-भाड़ा की प्रतिपूर्ति :** माल-भाड़ा की प्रतिपूर्ति प्रतिभागी के जनपद से प्रदर्शनी/कार्यक्रम स्थल तक वस्त्र उत्पादों को ले जाने एवं शेष माल को वापस लाने के लिए माल-भाड़ा की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 7200/-प्रति प्रतिभागी की दर से देय होगी।

a) यदि प्रदर्शनी/कार्यक्रम के आयोजक द्वारा आयोजक/कार्यक्रम स्थल

ii. **यात्रा-भत्ता की प्रतिपूर्ति :** प्रत्येक प्रतिभागी के दो 02 व्यक्तियों को यात्रा भत्ता निम्नानुसार देय होगा :-

a) प्रतिभागी के निकटतम रेलवे स्टेशन से प्रदर्शनी/कार्यक्रम स्थल के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एवं एक्सपो समापन के उपरान्त पुनः इसी प्रकार एक्सपो स्थल से अपने निवास स्थान वापस आने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल का किराया अथवा वास्तविक व्यय रेल का किराया, जो कम हो, की 90 प्रतिशत धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1215/-प्रति व्यक्ति अनुमन्य होगी।

iii. **दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति** – प्रत्येक प्रतिभागी के 02 व्यक्तियों को प्रतिभागिता अवधि में रू0 225/– प्रति व्यक्ति की दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।

iv. **प्रतिभागिता शुल्क की प्रतिपूर्ति :-** प्रतिभागी द्वारा आयोजक संस्था को भुगतान किये गये शुल्क की 90 प्रतिशत धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 18000/-प्रति प्रतिभागी होगी।

v. उप प्रस्तर i, ii, iii, iv में वर्णित जो वित्तीय सुविधा प्रदर्शनी/कार्यकम के आयोजक द्वारा प्रतिभागी को दिया जाना प्राविधानित है, तो वह वित्तीय सुविधा इस नीति के अन्तर्गत प्रतिभागी को देय नहीं होगी।

**C. प्रतिपूर्ति का भुगतान :-** उप प्रस्तर- i, ii, iii, iv में वर्णित प्रतिपूर्तियों के भुगतान की धनराशि सीधे प्रतिभागी के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

**D. पात्रता की शर्तें :–**

**i. आयोजन सम्बन्धी पात्रता :–**

a) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा देश में आयोजित प्रदर्शनी/कार्यक्रम।

b) एक लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम 3 प्रदर्शनी/कार्यक्रम में प्रतिभांगिता के सापेक्ष प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

**ii. प्रतिभागी हेतु पात्रता :–**

a) हथकरघा/पावरलूम बुनकर, मास्टर वीवर, बुनकर सहकारी समिति, हथकरघा/पावरलूम इकाई, सूक्ष्म वस्त्र इकाई

**E. प्रतिभागिता हेतु पूर्वानुमति :–**

i. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा आयोजित प्रदर्शनी/कार्यक्रम में प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति उसी स्थिति में अनुमन्य होगी, जबकि प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रारूप–19 पर आवेदन परिक्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत किया जाये, तथा निदेशालय स्तर से प्रतिभागी के पक्ष में अनुमति प्रदान कर दी गयी हो।

**F. प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन :–** प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिभागी को प्रारूप–20 पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न करने होंगे।

i. माल–भाड़ा की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष – भुगतान किये गये माल–भाड़ा की रसीद

ii. यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष – ट्रेन टिकट/बस टिकट/ट्रैवेल एज़ेन्सी को किये गये भुगतान की रसीद

iii. दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष – प्रतिभागिता प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रतिभागिता अवधि की तिथि अंकित हो।

iv. प्रतिभागिता शुल्क की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष :– प्रतिभागिता शुल्क के रूप में किये गये भुगतान की रसीद

v. प्रतिभागी द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को प्रेषित पूर्वानुमति सम्बन्धी पत्र

vi. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के स्तर से प्रतिभागी के पक्ष में निर्गत अनुमति सम्बन्धी पत्र

**G. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण :–**

i. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्रारूप–19 एवं प्रारूप–20 पर प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर परिक्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति सहित आवेदन–पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जोयगा।

ii. निदेशालय स्तर पर आवेदन–पत्र का अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर वित्त नियंत्रक की संस्तुति के उपरान्त प्रारूप–19 के सापेक्ष अनुमति निर्गत की जायेगी तथा प्रारूप–20 के सापेक्ष "प्रतिभागिता–व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव" राज्यस्तरीय कमेटी में प्रस्तुत किया जायेगा।

iii. वित्तीय सहायता की अवमुक्ति हेतु राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त निदेशालय द्वारा शासन से वित्तीय स्वीकृति की मांग की जायेगी। शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त प्रतिभागी के बैंक एकाउन्ट में डी0बी0टी0 द्वारा वित्तीय सहायता की धनराशि अन्तरित की जायेगी।

**31. फैशन शो का आयोजन**

**A. वित्तीय सुविधा का उद्देश्य :–** प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों का प्रचार–प्रसार तथा वस्त्रों के निर्यात/विपणन को बढ़ावा देना।

**B. फैशन शो के आयोजन की संख्या :–** एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो फैशन शो, उत्तर प्रदेश के बड़े महानगरों में आयोजित कराया जायेगा।

**C. वित्तीय सुविधा का विवरण :–** रू0 20 लाख प्रति फैशन शो।

**D. फैशन–शो के आयोजन की प्रकिया :–**

i. प्रदेश के बुनकरों/समितियों/गारमेन्टिंग इकाईयों द्वारा वस्त्र उत्पादों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से फैशन शो आयोजित कराने की मांग सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। मांग–पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि फैशन शो में जिन वस्त्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उन वस्त्रों का कुल कितना विपणन मूल्य अनुमानित है?

ii. परिक्षेत्रीय कायालय में परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

iii. निदेशालय स्तर पर फेशन शों के आयोजन हेतु महानगरों का चयन एवं तिथि का निर्धारण किया जायेगा तथा आयोजन हेतु संस्था/फर्म का चयन जेम पोर्टल पर टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।

iv. चयनित संस्था/फर्म "फैशन–शो के आयोजन की डी0पी0आर0" निफ्ट की संस्तुति सहित निदेशालय को प्रस्तुत करेगी।

v. प्राप्त डी0पी0आर0 को राज्यस्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

vi. शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को कार्यदेश निर्गत किया जायेगा तथा कार्यादेश की शर्तों के अनुरूप फैशन शो का आयोजन सम्पादित कराया जायेगा।

**32. विपणन से सम्बन्धित अन्य प्रोत्साहन**

**A.** राज्य सरकार के विभागों एवं उनकी एजेंसियों द्वारा वर्दी, कंबल, अन्य वस्त्र उत्पाद जैसे साड़ी, ड्रेस मैटेरियल आदि सामान खरीदते समय उत्तर प्रदेश में हैंडलूम एवं पावरलूम निर्मित उत्पादों को वरीयता दी जाएगी।

**B.** राज्य सरकार बड़े भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों तथा खुदरा विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश से स्त्रोत हेतु संवेदनशील बनाने का प्रयास करेंगी ताकि राज्य में विशेष रूप से एमएसएमई इकाईयों को मजबूत बाजार संबंध प्रदान करने में मदद मिल सके।

**33. प्रदेश के युवाओं/युवतियों को नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं :–**

**A.** उत्तर प्रदेश के निवासी (युवाओं एवं युवतियों), जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन विपणन या निर्यात से सम्बन्धित नया रोजगार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। वित्तीय सुविधाओं का विस्तृत विवरण, पात्रता की शर्तों, आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया, निम्नानुसार सम्बन्धित प्रस्तरों में वर्णित हैं :–

| क्र0 | वित्तीय सुविधा | सम्बन्धित प्रस्तर |
|---|---|---|
| i. | हथकरघा/पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं | प्रस्तर–34 |
| ii. | गारमेन्टिंग/अपैरल/होम फर्नीशिंग के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं | प्रस्तर–35 |
| iii. | डिजाइन क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं | प्रस्तर–36 |
| iv. | विपणन क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं | प्रस्तर–37 |
| v. | निर्यात हेतु वित्तीय सुविधाएं | प्रस्तर–38 |

**34. वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधा**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

i. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टेक्नोलाजी (आई0आई0एच0टी0) से तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा अन्य किसी संस्था से समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा धारक छात्र/छात्राएं जो एक शेड में 5 से 20 हथकरघा अथवा 5 से 10 पावरलूम की स्थापना करके स्वयं के बुनाई का नया रोजगार प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

ii. **अनुदान की अधिकतम सीमा** :– हथकरघा क्षेत्र हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी तथा पावरलूम क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रूपये 60 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी।

a) एक वर्कशेड में न्यूनतम 5 हथकरघे स्थापित करने की परियोजना के सापेक्ष वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा रू0 5 लाख होगी तथा अतिरिक्त हथकरघा की स्थापना के लिए रू0 एक लाख प्रति हथकरघा की दर से अधिकतम रू0 20 लाख तक देय होगा।

b) एक वर्कशेड में न्यूनतम 5 पावरलूम स्थापित करने की परियोजना के सापेक्ष वित्तीय सुविधा की अधिकतम रू0 30 लाख होगी तथा अतिरिक्त पावरलूम की स्थापना के लिए रू0 छः लाख प्रति पावरलूम की दर से अधिकतम रू0 60 लाख तक देय होगा।

iii. वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नांकित में किसी एक विकल्प का चयन करना होगा :–

a) हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधा

अथवा

b) पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधा

iv. वित्तीय सुविधा का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा।

**B. वांछित वित्तीय सहायता का आगणन :–** आवेदक को परियोजना के कियान्वयन हेतु वांछित वित्तीय सहायता का अनुमानित आगणन डी0पी0आर0 में निम्नांकित तथ्यों का समावेश करना होगा :–

i. **"कुल पूँजी निवेश"** का अभिप्राय **"स्थायी पूँजी"** एवं **"कार्यशील पूँजी"** में किये जाने वाले कुल निवेश से है। "स्थायी पूंजी निवेश" का अभिप्राय भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी से है। "कार्यशील पूंजी" का अभिप्राय स्थायी पूंजी निवेश को छोड़कर उन समस्त व्ययों से है, जो परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक हैं, यथा:– कच्चे माल का कय, मजदूरी/वेतन एवं अन्य विविध व्यय।

ii. वांछित वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में **"परियोजना लागत का आगणन"** के अंतर्गत कतिपय व्ययों को निम्नांकित सीमा तक सम्मिलित किया जायेगा :–

a) **भूमि तथा भवन :–** भूमि सहित भवन की कुल लागत, परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

- वर्कशेड हेतु भूमि यदि औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पालिसी अवधि में कय की गयी है, तो उस स्थिति में ही भूमि की कीमत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।
- यदि पालिसी अवधि से पहले भूमि का कय किया गया है अथवा भूमि रेन्ट लीज पर ली गयी है, तो भूमि की कीमत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- रेन्ट लीज पर ली गयी भूमि/भवन/वर्कशेड के सापेक्ष किराये की वही धनराशि भूमि/भवन/वर्कशेड की लागत में आगणित की जायेगी, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा पालिसी अवधि में द्वितीय किश्त के आवदेन से पूर्व वास्तविक रूप किया जा चुका है/किया जाना सम्भावित है।

b) **प्लान्ट एवं मशीनरी :–** नई प्लान्ट एवं मशीनरी की समस्त लागत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा। हथकरघा क्षेत्र की प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत एन0एच0डी0पी0 की गाइडलाइन में निर्धारित मूल्य मानकों **(अनुलग्नक–4)** के अनुसार सीमित होगी। पुरानी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्लान्ट एवं मशीनरी की वास्तविक लागत का आगणन प्रारूप–102 ए पर प्रस्तुत किया जायेगा।

c) **कार्यशील पूंजी :–** बैंक से कार्यशील पूंजी हेतु ऋण लिये जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, जो परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

iii. लाभार्थी अंश का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा :–

**लाभार्थी अंश =(परियोजना के कियान्वयन हेतु अपेक्षित कुल पूंजी निवेश) – (वित्तीय सुविधा की देय धनराशि)**

**C. वित्तीय सुविधा की प्रथम किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. आवेदक आई0आई0एच0टी0 से हैण्डलूम टेक्नोलाजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो

ii. आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

iii. न्यूनतम 5 पावरलूम या हथकरघे स्थापित करने की परियोजना हो। आवेदक को पावरलूम या हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वांछित वित्तीय सुविधाओं की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करनी होगी। डी0पी0आर0 वायबिल होनी चाहिए अर्थात् परियोजना के कियान्वयन से अनुमानित लाभ का आगणन प्रदर्शित हो।

**iv.** आवेदक यदि एक व्यक्ति है, तो उसे परियोजना की लागत के अनुसार सम्बन्धित श्रेणी में इकाई का पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक कई व्यक्तियों का समूह है, तो उन्हें समूह का वैधानिक पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा।

**v.** परियोजना के कियान्वयन हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी तथा आवश्यक सामग्री का क्रय जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म से किया जाये तथा क्रय के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया जायेगा।

**vi.** परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

**vii.** यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन/वर्कशेड लेकर परियोजना का कियान्वयन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित किया गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

**D. वित्तीय सुविधा की द्वितीय किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक इकाई/समूह द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर लिया गया हो।

**ii.** लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंश की धनराशि का पूर्णरूपेण निवेश कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**E. आवेदन की प्रक्रिया :–**

**i.** हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी परियोजना की प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–5 पर आवेदन करना होगा। पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी परियोजना की प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–7 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे :–

**a)** आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड

**b)** आवेदक की इकाई/समूह का पंजीकरण प्रमाण–पत्र

**c)** जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र

**d)** डी0पी0आर0

**e)** परियोजना में लाभार्थी अंश की व्यवस्था सुनिश्चित करने की क्षमता हो। साक्ष्यस्वरूप बैंक–पासबुक की फोटोकापी

**f)** रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर परियोजना को न्यूनतम 16 वर्ष तक क्रियान्वित करने का शपथपत्र

**ii.** हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–6 पर आवेदन करना होगा। पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी परियोजना की प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–8 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में किये जायेंगे :–

**a)** प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र

**b)** क्रय की गयी मशीनरी की वैध इनवाइस तथा भुगतान का साक्ष्य, क्रय की गयी मशीनरी के फोटोग्राफ

**c)** स्थापित मशीनरी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने का प्रमाण–पत्र

**d)** वर्कशेड में कार्य करने वाले व्यक्ति बीमित हों तथा उनकी सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित हो।

**F. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण :–**

**i.** परिक्षेत्र स्तर पर :–

**a)** परिक्षेत्र में प्रथम किश्त हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रोजेक्ट के वायबिल होने की स्थिति में वित्तीय सुविधा हेतु आवेदक की पात्रता की संस्तुति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा पर की जायेगी।

**b)** परिक्षेत्र में द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख पूर्ण होने की स्थिति में एवं इकाई के कार्यरत होने की स्थिति में वित्तीय सुविधा हेतु आवेदक की पात्रता एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु संस्तुति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा पर की जायेगी।

**ii.** मुख्यालय स्तर पर :–

**a)** परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की संस्तुति सहित प्रथम एवं द्वितीय किश्त के आवेदन–पत्र को मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा। मुख्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त

पात्र आवेदन–पत्र को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त शासन से वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु मांग–पत्र प्रेषित किया जायेगा।

**b)** शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी इकाई/समूह के बैंक खाते में धनराशि डी0बी0टी0 द्वारा अंतरित की जायेगी।

**G. वित्तीय सुविधा के सदुपयोग हेतु लाभार्थी की प्रतिबद्धता :–**

**i.** लाभार्थी वित्तीय सुविधा के सदुपयोग के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करेगा। यदि लाभार्थी द्वारा वित्तीय सुविधा के दुरूपयोग की स्थिति संज्ञान में आती है, तो शासकीय नियमों के अन्तर्गत वसूली की जायेगी।

**35. गारमेन्टिंग/अपैरल/होम फर्निशिंग के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधा**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** टेक्सटाइल, टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन के क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष योग्यता धारक को गारमेन्टिंग एवं अपैरेल या होम फर्नीशिंग क्षेत्र में रोजगार प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहित किया जायेगा।

**a)** प्राधिकरणों या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित किये गए फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये पर 50 प्रतिशत अनुदान 5 वर्ष तक दिया जायेगा।

**b)** इस क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु स्थापित प्लांट एवं मशीनरी तथा अवस्थापना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

**ii.** वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा :– रूपये 25 लाख अनुदान प्रति उद्यमी।

**iii.** वित्तीय सुविधा के भुगतान की किश्तें :– प्रस्तर i(a) में वर्णित वित्तीय सुविधा का भुगतान 5 किश्तों (वर्षों) में किया जायेगा तथा प्रस्तर ii(b) में वर्णित वित्तीय सुविधा का भुगतान 2 किश्तों में किया जायेगा।

**B. वांछित वित्तीय सहायता का आगणन :–**

**i.** यदि परियोजना में फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये पर 50 प्रतिशत अनुदान वांछित नहीं है, तो वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में **"परियोजना लागत का आगणन"** प्रस्तर **34 B** के अनुसार किया जायेगा।

**ii.** यदि परियोजना में फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये पर 50 प्रतिशत अनुदान वांछित है, तो वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में **"परियोजना लागत का आगणन"** में निम्नानुसार किया जायगा :–

**a)** भूमि एवं भवनः– प्राधिकरणों या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित किये गए फ्लैटेड फैक्ट्री का 5 वर्ष का किराया

**b)** प्लान्ट एवं मशीनरी :– नयी प्लान्ट एवं मशीनरी की समस्त लागत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा। पुरानी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**c)** कार्यशील पूंजी :– बैंक से कार्यशील पूंजी हेतु ऋण लिये जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा, जो परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

**iii.** लाभार्थी अंश का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा :–
**लाभार्थी अंश =(परियोजना के कियान्वयन हेतु अपेक्षित कुल पूंजी निवेश) – (वित्तीय सुविधा की देय धनराशि)**

**C. वित्तीय सुविधा की प्रथम किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन में स्नातक उत्तीर्ण हो अथवा इसके समकक्ष समकक्ष योग्यता धारक हो।

**ii.** आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

**iii.** आवेदक को गारमेन्टिंग/अपैरल/होम फर्निशिंग के क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वांछित वित्तीय सुविधाओं की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करनी होगी। डी0पी0आर0 वायबिल होनी चाहिए अर्थात् परियोजना के कियान्वयन से अनुमानित लाभ का आगणन प्रदर्शित हो।

**iv.** आवेदक यदि एक व्यक्ति है, तो उसे परियोजना की लागत के अनुसार सम्बन्धित श्रेणी में इकाई का पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक कई व्यक्तियों का समूह है, तो उन्हें समूह का वैधानिक पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा।

**v.** परियोजना के कियान्वयन हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी तथा आवश्यक सामग्री का कय जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म से किया जाये तथा कय के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया जाये।

**vi.** परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

**vii.** यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन/वर्कशेड लेकर परियोजना का क्रियान्वयन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित किया गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

**D. वित्तीय सुविधा की द्वितीय किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक इकाई कार्यशील एवं उत्पादनरत हो। समूह द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर लिया गया हो।

**ii.** लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंश की धनराशि का पूर्णरूपेण निवेश कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**E. वित्तीय सुविधा की उत्तरवर्ती किश्तों (फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये की किश्तें) हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक इकाई कार्यशील एवं उत्पादनरत हो।

**ii.** इकाई द्वारा भुगतान किये गये किराये से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो।

**F. आवेदन की प्रकिया :–**

**i.** प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–9 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तर 34E(i) के अनुसार संलग्न कर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे।

**ii.** द्वितीय किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–10 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तर 34E(ii) के अनुसार संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे।

**iii.** उत्तरवर्ती किराये की/किश्तों की प्रतिपूर्ति (फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये की किश्तों) की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–11 पर आवेदन करना होगा।

**G. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण :–**

**i.** परिक्षेत्र स्तर पर :–

**a)** परिक्षेत्र में प्रथम किश्त हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रोजेक्ट के वायबिल होने की स्थिति में वित्तीय सुविधा हेतु आवेदक की पात्रता की संस्तुति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी।

**b)** परिक्षेत्र में द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ वांछित आभिलेख पूर्ण होने की स्थिति में एवं इकाई के कार्यरत होने की स्थिति में वित्तीय सुविधा हेतु आवेदक की पात्रता की संस्तुति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी।

**c)** परिक्षेत्र में उत्तरवर्ती किराये की किश्तों की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण/निरीक्षण परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख पूर्ण होने की स्थिति में एवं इकाई के कार्यरत होने की स्थिति में वित्तीय सुविधा हेतु आवेदक की पात्रता की संस्तुति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी।

**ii.** मुख्यालय स्तर पर आवेदन –पत्र का प्रसंस्करण :– प्रस्तर 34G(ii) के अनुसार

**H. वित्तीय सुविधा के सदुपयोग हेतु लाभार्थी की प्रतिबद्धता :–** प्रस्तर 34H के अनुसार

**36. डिजाइन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन या फैशन ब्रांडिग/मार्केटिंग में स्नातक उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष योग्यता धारक हो। यदि आधुनिक सुविधाओं के साथ नये रोजगार के रूप में कोई डिजाइन स्टूडियो स्थापित

करना चाहते है, तो उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 30 लाख प्रति उद्यमी अनुदान देय होगा।

**ii. वित्तीय सुविधा का भुगतान दो किश्तों में किया जायगा।**

**B. वांछित वित्तीय सहायता का आगणन** :– प्रस्तर **34 B** के अनुसार

**C. वित्तीय सुविधा की प्रथम किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन या फैशन ब्रांडिग/मार्केटिंग में स्नातक उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष योग्यता धारक हो।

**ii.** आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

**iii.** परियोजना के कियान्वयन हेतु उपकरण/मशीनरी तथा आवश्यक सामग्री का कय जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म से किया जाये तथा कय के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया जाये।

**iv.** परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

**v.** यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन लेकर परियोजना का कियान्वयन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित कियां गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

**D. वित्तीय सुविधा की द्वितीय किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक इकाई/समूह द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर लिया गया हो।

**ii.** लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंश की धनराशि का पूर्णरूपेण निवेश कर डिजाइन/वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**E. आवेदन की प्रकिया :–**

**i.** प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–11 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे :–

**a)** आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड

**b)** जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र

**c)** डी0पी0आर0

**d)** परियोजना में लाभार्थी अंश की व्यवस्था सुनिश्चित करने का साक्ष्यस्वरूप बैंक–पासबुक की फोटोकापी

**e)** रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर परियोजना को न्यूनतम 07 वर्ष तक कियान्वित करने का शपथपत्र

**ii.** द्वितीय किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–12 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में किये जायेंगे :–

**a)** प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र

**b)** कय की गयी मशीनरी की वैध इनवाइस तथा भुगतान का साक्ष्य

**c)** डिजाइन स्टूडियो में स्थापित उपकरण एवं मशीनरी द्वारा वाणिज्यिक गतिविधयाँ प्रारम्भ किये जाने का प्रमाण–पत्र

**F. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण** :– प्रस्तर 34F के अनुसार

**G. वित्तीय सुविधा के सदुपयोग हेतु लाभार्थी की प्रतिबद्धता** :– प्रस्तर 34G के अनुसार

**37. विपणन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण** :– विपणन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित दो प्रकार की वित्तीय सुविधायें अनुमन्य हैं :–

**i. मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वित्तीय सुविधा :–** प्रदेश के निवासी युवा/युवतियां जो संगठित होकर वस्त्रों की बिकी को बढ़ाने हेतु सभी प्रकार की विपणन व्यवस्था के साथ ऑनलाइन बिकी की व्यवस्था करने हेतु मार्केटिंग कम्पनी बनाकर अपना नया रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु मार्केटिंग कम्पनी का पंजीकरण कराने एवं उसे स्थापित करने हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं पर आने वाली लागत

का 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये 50 लाख प्रति कम्पनी देय होगा। इस कार्य में प्रोत्साहन हेतु बुनकरों के बच्चों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस वित्तीय सुविधा का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा।

**ii.** **चेन आउटलेट की स्थापना हेतु वित्तीय सुविधा :–** प्रदेश के युवा/युवतियों द्वारा बनायी गयी कम्पनी वस्त्रों की मार्केटिंग के अंतर्गत अपना ब्राण्ड बनाकर उसका चेन आउटलेट खोलता है, तो उसे निम्नानुसार वित्तीय सहायता देय होगी :–

**a)** प्रदेश या प्रदेश के बाहर 50 आऊटलेट खोलने पर रू0 2 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि :–

- 40 आउटलेट प्रदेश के बाहर खोले गये हों, तथा
- तीन वर्ष तक सभी आउटलेट से बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 4 करोड़ की बिक्री की गयी हो।

**b)** प्रदेश या प्रदेश के बाहर 200 आऊटलेट खोलने पर रू0 8 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि :–

- 160 आउटलेट प्रदेश के बाहर खोले गये हों, तथा
- तीन वर्ष तक सभी आउटलेट से बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 16 करोड़ की बिक्री की गयी हो।

**c)** प्रदेश या प्रदेश के बाहर 500 आऊटलेट खोलने पर रू0 10 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि :–

- 400 आउटलेट प्रदेश के बाहर खोले गये हों, तथा
- तीन वर्ष तक सभी आउटलेट से बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 20 करोड़ की बिक्री की गयी हो।

**d)** देश के बाहर 25 आऊटलेट खोलने पर रू0 2 करोड़ का अनुदान अतिरिक्त देय होगा है, शर्त यह है कि :–

- तीन वर्ष तक सभी आउटलेट से बिक्री हुई हो, तथा न्यूनतम रू0 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बिक्री की गयी हो।
- देश में 500 आउटलेट खोलने के उपरान्त विदेश में 25 आउटलेट खोलने यह वित्तीय सुविधा देय होगी

**e)** चेन आउटलेट खोलने हेतु वित्तीय सुविधा का भुगतान उपरिवर्णित शर्तों एवं प्रस्तर 37 E में वर्णित शर्तों के पूर्ण होने पर किया जायगा।

**B. वांछित वित्तीय सहायता का आगणन :–**

**i.** आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सहायता का आगणन :– प्रस्तर 34 B के अनुसार

**ii.** खोले गये आउटलेट के सापेक्ष वांछित वित्तीय सहायता का आगणन :– प्रारूप–16 के अनुसार

**C. मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सुविधा की प्रथम किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक युवा/युवतियों को ज्वाइन्ट लायबिलिटी ग्रुप या ज्वाइंट कम्पनी के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

**ii.** ग्रुप के किसी भी सदस्य की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

**iii.** आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा।

**iv.** परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण/सामग्री का कय जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म से किया जाये तथा कय के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया जाये।

**v.** परियोजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक समूह द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

**vi.** यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन लेकर परियोजना का कियान्वयन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित किया गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

**D. मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सुविधा की द्वितीय किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. आवेदक इकाई/समूह द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर लिया गया हो।

ii. लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंश की धनराशि का पूर्णरूपेण निवेश कर वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**E. खोले गये चेन आउटलेट केसापेक्ष वांछित वित्तीय सुविधा हेतु पात्रता की शर्तें :–**

i. आवेदक युवा/युवतियों को ज्वाइन्ट लायबिलिटी ग्रुप या ज्वाइंट कम्पनी के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

ii. ग्रुप के किसी भी सदस्य की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

iii. आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा।

**F. आवेदन की प्रकिया :–**

i. आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–13 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे :–

a) आवेदक समूह का पंजीकरण प्रमाण–पत्र

b) समूह के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड, पैन कार्ड

c) मार्केटिंग कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र

d) मार्केटिंग कम्पनी का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र

e) मार्केटिंग कम्पनी के संचालन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण/सामग्री का क्रय जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म से किया जाये तथा क्रय के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया जाये।

f) मार्केटिंग कम्पनी के संचालन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक समूह द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

g) यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन लेकर मार्केटिंग कम्पनी के आफिस का संचालन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित किया गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

ii. आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त की धनराशि की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–14 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे :–

a) प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र

b) मार्केटिंग कम्पनी के टर्नओवर एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का साक्ष्य

iii. खोले गये चेन आउटलेट के सापेक्ष वांछित वित्तीय सुविधा की धनराशि की अवमुक्ति हेतु प्रारूप–15 पर आवेदन–पत्र को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे :–

a) खोले गये चेन आउटलेट का विवरण तथा प्रत्येक आउटलेट से न्यूनतम तीन वर्ष की गयी बिक्री से सम्बन्धित साक्ष्य, सभी आउटलेट की सूची आउटलेट का पूर्ण पता लैण्डमार्क सहित।

b) मार्केटिंग कम्पनी की तीन वर्ष की बैलेंसशीट एवं टर्नओवर (सी0ए0 द्वारा सत्यापित)

c) मार्केटिंग कम्पनी के टर्नओवर के खाते का तीन वर्षो का बैंक स्टेटमेन्ट

d) तीन वर्षो का वार्षिक जी0एस0टी0 रिटर्न

**G. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण :–**

i. आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु वांछित वित्तीय सहायता से सम्बन्धित आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण प्रकिया प्रस्तर 34G के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

ii. खोले गये चेन आउटलेट की स्थापना हेतु वाछित वित्तीय सुविधा से सम्बन्धित आवेदन–पत्र के परीक्षण/निरीक्षण हेतु आयुक्त एवं निदेशक के आदेश से एक टीम का गठन किया जायेगा। गठित टीम की संस्तुति सहित आख्या के उपरान्त पात्र आवेदन–पत्र को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। शेष प्रक्रिया प्रस्तर 34F के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

**H. वित्तीय सुविधा के सदुपयोग हेतु लाभार्थी की प्रतिबद्धता :–** प्रस्तर 34H के अनुसार

**38.निर्यात क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :–**

**A. वित्तीय सुविधा का विवरण :–**

**i.** प्रदेश में बने वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यदि कोई युवा/युवतियां प्रदेश में नया एक्सपोर्ट हाउस या निर्यात से सम्बन्धित कम्पनी प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे पंजीकरण आदि में लगने वाले शुल्क का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, तथा

**ii.** आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

**iii.** उपर्युक्त दोनों सुविधाओं की कुल धनराशि की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख प्रति एक्सपोर्ट हाउस/कम्पनी देय होगी।

**iv.** वित्तीय सुविधा का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा।

**B. वांछित वित्तीय सहायता का आगणन** :– प्रारूप–15 के अनुसार किया जायेगा।

**C. वित्तीय सुविधा की प्रथम किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

**ii.** आवेदक को एक्सपोर्ट हाउस का पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण कराना होगा। निर्यात से सम्बन्धित समसत औपचारिकताएं पूर्ण हो।

**iii.** एक्सपोर्ट हाउस के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष "लाभार्थी अंश" की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर ली गयी हो।

**iv.** यदि आवेदक किराये पर भूमि/भवन लेकर एक्सपोर्ट हाउस का क्रियान्वयन करता है, तो रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट पालिसी अवधि में सम्पादित किया गया हो तथा एग्रीमेन्ट न्यूनतम 16 वर्ष का हो।

**D. वित्तीय सुविधा की द्वितीय किश्त हेतु पात्रता की शर्तें :–**

**i.** आवेदक इकाई/समूह द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर लिया गया हो।

**ii.** लाभार्थी द्वारा लाभार्थी अंश की धनराशि का पूर्णरूपेण निवेश कर वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारम्भ कर दिया गया हो।

**E. आवेदन की प्रक्रिया :–**

**i.** प्रथम किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–15 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ डी0पी0आर0 एवं निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे :–

**a)** आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड
**b)** एक्सपोर्ट हाउस का पंजीकरण प्रमाण–पत्र
**c)** जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र
**d)** डी0पी0आर0
**e)** परियोजना में लाभार्थी अंश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साक्ष्यस्वरूप बैंक–पासबुक की फोटोकापी
**f)** रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर परियोजना को न्यूनतम 07 वर्ष तक क्रियान्वित करने का शपथपत्र

**ii.** द्वितीय किश्त की अवमुक्ति हेतु आवेदक को प्रारूप–16 पर आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में किये जायेंगे :–

**a)** प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र
**b)** एक्सपोर्ट हाउस की अवस्थापना सुविधाओं में किये गये व्यय की वैध इनवाइस तथा भुगतान का साक्ष्य
**c)** एक्सपोर्ट हाउस द्वारा वाणिज्यिक गतिविधयाँ प्रारम्भ किये जाने का प्रमाण–पत्र

**F. आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण** :– प्रस्तर 34F के अनुसार

**G. वित्तीय सुविधा के सदुपयोग हेतु लाभार्थी की प्रतिबद्धता** :– प्रस्तर 34G के अनुसार

**39.ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :–**

**A. प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर** – वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रारंभिक लागत को कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने एवं उन्हें समय प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्लग एंड प्ले सुविधाएं तथा फ्लैटेड कारखानों के विकास के माध्यम से क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। ये प्लग एंड प्ले सुविधाएं उद्योगों को

किराये/अल्पावधि के पट्टे पर दी जाएंगी ताकि निवेशकों के अग्रिम निवेश को कम किया जा सके एवं उन्हें प्रौद्योगिकी में अधिक पूंजी निवेश करने में मदद मिल सके।

**B.** **समस्या निवारण प्रणाली** :– निवेशकों से प्राप्त सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए दो–स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा समस्याओं की मासिक समीक्षा की जाएगी। निवेशक अपनी समस्या निर्धारित वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। निवेशकों द्वारा की गई समस्याओं को युक्त संगत पाये जाने पर प्राथमिक स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अध्यक्षता आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा किया जायेगा। यदि उक्त समस्या का निवारण प्राथमिक स्तर की समिति के स्तर पर सम्भव नहीं है, तो इस प्रकरण को शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

**C.** **एकीकृत प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली** :– इस नीति के अंतर्गत किये गये निवेश हेतु पेपर लेस आवेदन स्वीकार करने तथा समयबद्ध तरीके से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने एवं प्रोत्साहनों के संवितरण की प्रकिया को सुव्यवस्थित सुनिश्चित किये जाने के लिए एकीकृत प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (ऑनलाइन पोर्टल) विकसित किया जायेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेशक वास्तविक समय पर अपने प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा पात्र प्रोत्साहन धनराशि के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने के बाद प्रोत्साहन धनराशि यथाशीघ्र वितरित किए जाएंगे।

**D.** **समर्पित निवेशक हेल्पडेस्क** :– निवेशकों को नीतिगत सुविधाओं एवं उनके प्रश्नों के साथ हैंडहोल्ड करने, उनकी निवेश प्रकिया को सरल बनाने एवं प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को समर्थन देने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया जायेगा।

**E.** **एंकर इकाईयों को आकर्षित करना** :–राज्य में निवेश के अपार अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंर्राष्ट्रीय गंतव्यों पर रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इन रोड शो के माध्यम सेराज्य में बड़े टेक्सटाइल प्लेयर को आमंत्रित किया जाएगा जो टेक्सटाइल पार्कों के लिए एंकर इकाईयों के रूप में कार्य करेंगे।

**40. परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी :–**

**A.** नीति के कियान्वयन तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, ब्रांडों एवं अन्य हितधारकों के मध्य नीति के लाभों को प्रचारित करने में विभाग की सहायता करने के लिए तथा निवेशकों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) के रूप में एक अनुभवी टीम नियुक्त की जायेगी। पी0एम.ए. द्वारा निम्नालिखित कार्यों का निर्वहन किया जायेगा :–

**i.** राज्य सरकार के साथ हैण्ड होल्डिंग– वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति के प्रभावी एवं सुगम संचालन के लिए पी.एम.ए. राज्य सरकार को नियम बनाने/वैधानिक संशोधन करने और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।

**ii.** विपणन के अनुषांगिक सामग्री का विकास– परियोजना प्रबंधक एजेन्सी (PMA) उत्तर प्रदेश में निवेश के लाभों को उजागर करने वाली विपणन सामग्री जैसे ब्रोशर, फ्लायर्स, आदि विकसित करेगी। इसके लिए भावी निवेशकों को अलग–अलग विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा मूल्य श्रृंखला (फाइबर से अन्तिम उत्पाद) के अलग–अलग हिस्सों भावी निवेशक हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित करने की आवश्यकता होगी।

**iii.** राज्य नीति की सूचनाओं का प्रसार– पी.एम.ए. नीति में मौजूद सहायता के प्रचार–प्रसार हेतु रोड शो/कार्यशालाओं/सेमिनार/मीडिया अभियान आदि के आयोजन में राज्य सरकार को सहयोग करेगी। यह कार्य सम्बन्धित स्टेक होल्डरों को नीति में की गयी पहल के प्रति प्रेरित करने एवं उपलब्ध उपायों और समर्थन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पी.एम.ए. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के कार्यकमों (events) में भागीदारी सुनिश्चित कर समर्थन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।

**iv.** सम्भावित निवेशकों की पहचान करना :– पी.एम.ए. उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए संभावित क्षमतावान निवेशकों की पहचान करेगी। भारतीय के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्पूर्ण वस्त्र निर्माण मूल्य श्रृंखला जैसे स्पन यार्न, बुनाई, निटिंग, नानवोवेंस, प्रोसेसिंग, गारमेन्ट, मेड–अप्स, और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं कार्य करने हेतु तत्पर है। इसमें गारमेन्ट सामान के साथ–साथ सहायक सामग्री वाले क्षेत्र भी शामिल किये जायेगे।

**v.** भावी निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित करना :– पी.एम.ए. निवेशकों से अलग–अलग मिलकर बाजार में निवेश के अवसर के बारे में जानकारी देगी। जो निवेशक उ0प्र0 में निवेश को इच्छुक होंगे, उनसे बिजनेस मीटिंग एवं निवेशक विजिट में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करेंगे तथा उसका फालो–अप भी करेंगे। भावी निवेशकों द्वारा उठाये सवालों के जवाब प्रेषित करने में पी.एम.ए. उ0प्र0 सरकार को सहायता प्रदान करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रदेश में निवेश आये।

vi. विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव के संग्रहण में सहायता :– पी.एम.ए. नीति के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों के आवेदन मांगने हेतु उसकी बारीकी से जॉच करने एवं उनके कागजात पूर्ण करने में भी सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी।

vii. तकनीकी औचित्य रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं समीक्षा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) :– पी.एम.ए. निवेशकों द्वारा जमा की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं तथा तकनीकी औचित्य के आधार पर चयन करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।

viii. अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन :– पी.एम.ए. अनुमोदित प्रोजेक्टों के नियतकालिक उन्नति प्रतिवेदन एवं इन प्रोजेक्टों के प्रभावों के अनुश्रवण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।

| | | |
|---|---|---|
| सत्येन्द्र प्रताप सिंह<br>(अनु सचिव) | पी0के0 पाण्डेय<br>(संयुक्त सचिव) | शेषमणि पाण्डेय 07/12/22<br>(विशेष सचिव) |

अनुलग्नक–1

परिक्षेत्रों एवं उनके अन्तर्गत जनपदों की सूची (कोड सहित)

| S.No. | Name of Region | Region Code | Name of District | District Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aligarh | 01 | | |
| | | | Agra | 01 |
| | | | Aligarh | 02 |
| | | | Etah | 03 |
| | | | Hathras | 04 |
| | | | Kasganj | 05 |
| | | | Mathura | 06 |
| 2 | Prayagraj | 02 | | |
| | | | Prayagraj | 07 |
| | | | Banda | 08 |
| | | | Chitrakoot | 09 |
| | | | Fatehpur | 10 |
| | | | Kaushambi | 11 |
| | | | Pratapgrah | 12 |
| 3 | Bareilly | 03 | | |
| | | | Bareilly | 13 |
| | | | Budaun | 14 |
| | | | Pilibhit | 15 |
| | | | Shahjanhapur | 16 |
| 4 | Etawah | 04 | | |
| | | | Auraiya | 17 |
| | | | Etawah | 18 |
| | | | Farukkhabad | 19 |
| | | | Firozabad | 20 |
| | | | Kannauj | 21 |
| | | | Mainpuri | 22 |
| 5 | Ayodhya | 05 | | |
| | | | Ambedkar Nagar | 23 |
| | | | Amethi | 24 |
| | | | Bahraich | 25 |
| | | | Balrampur | 26 |
| | | | Ayodhya | 27 |
| | | | Gonda | 28 |
| | | | Shravasti | 29 |
| | | | Sultanpur | 30 |
| 6 | Gorakhpur | 06 | | |
| | | | Basti | 31 |
| | | | Deoria | 32 |
| | | | Gorakhpur | 33 |
| | | | Kushinagar | 34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Maharajganj | 35 |
| | | | Sant Kabir Nagar | 36 |
| | | | Siddharth Nagar | 37 |
| 7 | Jhansi | 07 | | |
| | | | Hamirpur | 38 |
| | | | Jalaun | 39 |
| | | | Jhansi | 40 |
| | | | Lalitpur | 41 |
| | | | Mahoba | 42 |
| 8 | Kanpur | 08 | | |
| | | | Kanpur Dehat | 43 |
| | | | Kanpur Nagar | 44 |
| | | | Unnao | 45 |
| 9 | Lucknow | 09 | | |
| | | | Barabanki | 46 |
| | | | Hardoi | 47 |
| | | | Lakhimpur Khiri | 48 |
| | | | Lucknow | 49 |
| | | | Raebareli | 50 |
| | | | Sitapur | 51 |
| 10 | Mau | 10 | | |
| | | | Azamgarh | 52 |
| | | | Balia | 53 |
| | | | Ghazipur | 54 |
| | | | Mau | 55 |
| 11 | Meerut | 11 | | |
| | | | Baghpat | 56 |
| | | | Bulandshahar | 57 |
| | | | Gautambudhnagar | 58 |
| | | | Ghaziabad | 59 |
| | | | Hapur | 60 |
| | | | Meerut | 61 |
| | | | Muzaffarnagar | 62 |
| | | | Saharanpur | 63 |
| | | | Shamli | 64 |
| 12 | Moradabad | 12 | | |
| | | | Bijnor | 65 |
| | | | J P Nagar (Amroha) | 66 |
| | | | Moradabad | 67 |
| | | | Rampur | 68 |
| | | | Sambhal | 69 |
| 13 | Varanasi | 13 | | |
| | | | Chandauli | 70 |
| | | | Jaunpur | 71 |
| | | | Mirzapur | 72 |
| | | | SantRavidas Nagar Bhadohi | 73 |
| | | | Sonbhadra | 74 |
| | | | Varanasi | 75 |

अनुलग्नक–2

## परिक्षेत्रीय कार्यालय के पतों का विवरण

| क्रमांक | परिक्षेत्रीय कार्यालय का नाम | पता |
|---|---|---|
| 1. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), गोरखपुर | सी0–11–12 औद्योगिक आस्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर–273001 |
| 2. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), वाराणसी | रथयात्रा चौराहा, वाराणसी 221008 |
| 3. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), मऊ | निजामुद्दीनपुरा, मऊ, 275101 |
| 4. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), अयोध्या | धारारोड, अयोध्या 224001 |
| 5. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), प्रयागराज | 67 लाउदर रोड (इण्डियन प्रेस के सामने) प्रयागराज 211001 |
| 6. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), लखनऊ | जिला पंचायत भवन, द्वितीय तल, राजा नवाब अली रोड, लखनऊ 226001 |
| 7. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), कानपुर | कबीर भवन जी0टी0 रोड, कानपुर 208001 |
| 8. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), झॉसी | 198 सी0–पी0 मिशन कम्पाउण्ड, झासी 284001 |
| 9. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), इटावा | डी0सी0बी0 बिल्डिंग, नौरंगाबाद, इटावा 206001 |
| 10. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), अलीगढ़ | नवाब छतरी कम्पाउण्ड रसलगंज, अलीगढ 202001 |
| 11. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), बरेली | सिटी रेलवे स्टेशन रोड, बरेली, 243001 |
| 12. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), मुरादाबाद | विकास भवन, काठरोड, मुरादाबाद 244001 |
| 13. | सहायक आयुक्त (हथकरघा), मेरठ | थापर नगर, गली नं0 5, मेरठ 250001 |

अनुलग्नक–3

<u>उ0प्र0 के आंचलिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची</u>

| पूर्वान्चल | बुन्देलखण्ड | मध्यांचल | पश्चिमांचल |
|---|---|---|---|
| **फैजाबाद मण्डल** | **झांसी मण्डल** | **कानपुर मण्डल** | **आगरा मण्डल** |
| 1.फैजाबाद | 1.झांसी | 1.कानपुर नगर | 1.आगरा |
| 2.अम्बेडकर नगर | 2.जालौन | 2.कानपुर देहात (रमाबाईनगर) | 2.फिरोजाबाद |
| 3.बाराबंकी | 3.ललितपुर | 3.इटावा | 3.मैनपुरी |
| 4.सुल्तानपुर | **चित्रकूट मण्डल** | 4.औरैया | 4.मथुरा |
| 5.अमेठी | 4.बांदा | 5.फर्रूखाबाद | **अलीगढ़ मण्डल** |
| **गोरखपुर मण्डल** | 5.चित्रकूट | 6.कन्नौज | 5.अलीगढ़ |
| 6.गोरखपुर | 6.हमीरपुर | **लखनऊ मण्डल** | 6.हाथरस |
| 7.देवरिया | 7.महोबा | 7.लखनऊ | 7.कासगंज |
| 8.महाराजगंज | | 8.हरदोई | 8.एटा |
| 9.कुशीनगर | | 9.लखीमपुर खीरी | **मुरादाबाद मण्डल** |
| **इलाहाबाद मण्डल** | | 10.रायबरेली | 9.मुरादाबाद |
| 10.इलाहाबाद | | 11.सीतापुर | 10.बिजनौर |
| 11.कौशाम्बी | | 12.उन्नाव | 11.सम्भल |
| 12.फतेहपुर | | | 12.रामपुर |
| 13.प्रतापगढ़ | | | 13.अमरोहा |
| **वाराणसी मण्डल** | | | **मेरठ मण्डल** |
| 14.वाराणसी | | | 14.मेरठ |
| 15.चन्दौली | | | 15.बुलन्दशहर |
| 16.जौनपुर | | | 16.हापुड़ |
| 17.गाजीपुर | | | 17.बागपत |
| **मिर्जापुर मण्डल** | | | 18.गाजियाबाद |
| 18.मिर्जापुर | | | 19.गौतमबुद्ध नगर |
| 19.सन्त रविदास नगर (भदोही) | | | **सहारनपुर मण्डल** |
| 20.सोनभद्र | | | 20.सहारनपुर |
| **आजमगढ़ मण्डल** | | | 21.मुजफ्फरनगर |
| 21.आजमगढ़ | | | 22.शामली |
| 22.बलिया | | | **बरेली मण्डल** |
| 23.मऊ | | | 23.बरेली |
| **देवीपाटन मण्डल** | | | 24.बदायूं |
| 24.गोण्डा | | | 25.पीलीभीत |
| 25.बहराइच | | | 26.शाहजहांपुर |
| 26.बलरामपुर | | | |
| 27.श्रावस्ती | | | |
| **बस्ती मण्डल** | | | |
| 28.बस्ती | | | |
| 29.सन्तकबीरनगर | | | |
| 30.सिद्धार्थनगर | | | |

**List of items admissible under the scheme along with cost norms is as follows:**

| S. No. | Item | Total cost (upto Rs.) of item |
|---|---|---|
| 1. | a) Pneumatic jacquard system for a set of 2 handlooms | 35000/- |
| | b) Pneumatic jacquard system for a set of 4 handlooms | 50,000/- |
| 2. | a) Motorized lifting device for jacquard (Single lever) | 18,000/- |
| | b) Motorized lifting device for jacquard (Two levers) | 21,000/- |
| | c) Motorized lifting device for jacquard (Three levers) | 23,000/- |
| 3. | Take-up & let off motions on the existing handloom (including fitting charges) | 7,000/- |
| 4. | Multiple box motion device | 4,500/- |
| 5. | Multiple buti (spot motif) weaving sley (09 buti, 50” working space, 60” reed space) | 9,500/- |
| 6. | a) Twin cloth weaving upto 66” (including fitting charges) | 7,000/- |
| | b) Twin cloth weaving mechanism upto 72”(including fitting charges) | 9,000/- |
| 7. | Jacquard | |
| | a) Complete set ofjacquard (100 hooks) | 15,000/- |
| | b) Complete set of jacquard (200 hooks) | 22,000/- |
| | c) Complete set of jacquard (300 hooks) | 35,000/- |
| 8. | Dobby with complete set (upto 32 lever) | 7,000/- |
| 9. | Loom Accessories: Set of heald, reed, bobbin, shuttle, charkha etc. | 6,000/- |
| 10. | a) Frame Loom - upto 56” Reed Space (RS) | 30,000/- |
| | b) Frame Loom – 60” RS | 32,000/- |
| | c) Frame Loom – 66” RS | 36,000/- |
| | d) Frame Loom –72” RS | 45,000/- |
| | e) Frame Loom – 96” RS/102” RS | 57,000/- |
| 11. | a) Pit Loom – 56” RS (alongwith reed, heald) | 30,000/- |
| | b) Pit Loom – 60” RS (alongwith reed, heald) | 32,000/- |
| 12. | a) Frame Loom (Iron) up to – 56” RS (alongwith reed, heald) | 26,000/- |
| | b) Frame Loom (Iron) – 60” RS (alongwith reed, heald) | 32,000/- |
| | c) Frame Loom (Iron) – 66” RS (alongwith reed, heald) | 35,000/- |
| | d) Frame Loom (Iron) –72” RS (alongwith reed, heald) | 38,000/- |
| | e) Frame Loom (Iron) – 96” RS/102” RS (alongwith reed, heald) | 45,000/- |
| 13. | a) Loin loom (conventional) (alongwith reed, heald) | 5,000/- |
| | b) Modified loin loom (Arunachal Pradesh type) | 10,000/- |
| 14. | a) Pashmina loom up to 60” (with accessories) for Jammu & Kashmir | 23,000/- |
| | b) Pashmina loom above 60” (with accessories) for Jammu & Kashmir | 26.000/- |
| 15. | a) Asu Machine (manually operated) | 10,000/- |
| | b) Asu Machine (motorized) | 30,000/- |
| 16. | Warp beam & cloth beam | |
| | a) Warp Beam (5”dia) for 56” loom | 5,000/- |
| | b) Cloth Beam (4”dia) for 56” loom | 3,500/- |
| | c) Warp Beam (5”dia) for 60”- 66” loom | 5,300/- |
| | d) Cloth Beam (4”dia) for 60”- 66” loom | 4,000/- |
| | e) Warp Beam (5”dia) for 72” loom | 6,000/- |
| | f) Cloth Beam (4”dia) for 72” loom | 4,500/- |
| | g) Warp Beam (6”dia) for 96”/102” loom | 11,500/- |
| | h) Cloth Beam (5”dia) for 96”/102” loom | 8,300/- |
| 17. | a) Warping machine – 72” | 30,000/- |
| | b) Warping machine (cast iron wheel) – 72” | 37,000/- |
| 18. | Motorized warping machine - 72” | 60,000/- |
| 19. | a) Motorized Pirn winding machine | 4,000/- |
| | b) Motorized Pirn- cum-bobbin/dubba winding machine | 5,000/- |
| 20. | Street Sizing kit (brush, sticks, spray gun etc.) | 10,000/- |
| 21. | Electronic Jacquard with motorized lifting device (maximum 5 units/cluster) | 3,00,000/- |

# प्रारूप–1

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( सभी प्रकार की वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को ''लेटर आफ कम्फर्ट'' के निर्गमन हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| क्र0सं0 | विवरण | ब्यौरा | सम्बन्धित सहायक दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवेदक वस्त्र इकाई का नाम व पता | | – | – |
| 2. | आवेदक वस्त्र इकाई की ई–मेल आई0डी0 एवं सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाइल | | प्रारूप–1 ए | – |
| 3. | कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन–प्रपत्र | |
| | (3.1) विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व का पूंजी निवेश | | आगणन–प्रपत्र | |
| | | | निवेश प्रारम्भ करने से पूर्व गत पांच वर्षो की आडिटेड बैंलेंसशीट | |
| | | | मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र | |
| 4. | आवेदक वस्त्र इकाई की श्रेणी | (सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद) | – | – |
| | (4.1) पंजीकरण के आधार पर | | पंजीकरण प्रमाण–पत्र यू0ए0एम0/यू0आर0सी0 आई0ई0एम0/आर0ओ0सी0 | |
| | (4.2) कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश के आधार पर श्रेणी (सूक्ष्म–रू0 1 करोड़ तक, लघु–रू0 10 करोड़ तक, मध्यम–रू0 50 करोड़ तक, वृहद–रू0 50 करोड से अधिक) | | – | |
| 5. | आवेदक वस्त्र इकाई की प्रकृति (नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत) | | | |
| 6. | (6.1) वस्त्र उत्पाद (प्रस्तावित) | | – | – |
| | (6.2) वस्त्र उत्पाद (मौजूदा) | | – | – |
| 6. | आवेदक वस्त्र इकाई की जीएसटीआईएन | | जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित दस्तावेज | |
| 7. | आवेदक वस्त्र इकाई का पैन नं0 | | पैन कार्ड | |
| 8. | आवेदक इकाई का संघटन (कान्सटीट्यूशन) ( कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य) | | कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य (संगम अनुच्छेद (MOA)/ अनुच्छेद/उप–नियम आदि) | |
| | | | निदेशकों/भागीदारों/अन्य के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण (प्रारूप–1बी तत्संलग्नक सहित) | |
| 9 | मुख्य प्रवर्तक का नाम, पता, ई–मेल आई डी0 एवं मोबाइल नं0 | | – | |
| 10 | निवेश प्रारम्भ करने की प्रस्तावित/वास्तविक तिथि | | – | |
| 11 | क्या पूँजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है (हाँ/नहीं) | | यदि हाँ, तो चरणबद्ध निवेश का विवरण संलग्न किया जाये। | |
| 12 | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | पात्र स्थायी पूँजी निवेश का सकल मूल्य | | 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (इकाई के प्रबन्धन/ अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित)<br>2. प्रस्तावित/स्थापित प्लान्ट एवं मशीनरी, उत्पादन क्षमता, मानव संसाधन के सम्बन्ध में चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण–पत्र<br>3. परियोजना लागत के सम्बन्ध में चार्टड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र | |

14. आवेदक इकाई द्वारा वांछित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

| क0सं0 | वित्तीय सुविधा का नाम | वांछित धनराशि (रू0) | सम्बन्धित सहायक दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| | खण्ड–''क'' | | | |
| 14.1 | भूमि लागत अनुदान | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.2 | स्टाम्प ड्यूटी से छूट | | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत होने वाले शासनादेश के अनुसार | |
| 14.3 | पूँजीगत उपादान | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.4 | प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.5 | ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी<br>(पी0एम0 मित्र पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु) | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.6 | इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.7 | रोजगार सृजन अनुदान<br>(मेगा/सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु) | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.8 | माल–भाड़ा प्रतिपूर्ति<br>(नई गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु ) | | आगणन–प्रपत्र | |
| 14.9 | मार्जिन मनी अनुदान<br>(रेशम इकाईयों हेतु ) | | रेशम विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप. | |
| 14.10 | कार्यशील पूंजी हेतु अनुदान<br>(रेशम इकाईयों हेतु ) | | रेशम विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप. | |
| 14.11 | अवस्थापना सुविधा–1 : सड़क | | डी0पी0आर0<br>( अवस्थापना सुविधा–1 सड़क ) | |
| 14.12 | अवस्थापना सुविधा–2 : जल आपूर्ति एवं जल निकासी | | डी0पी0आर0<br>अवस्थापना सुविधा–2 | |
| 14.13 | अवस्थापना सुविधा–3 : विद्युत आपूर्ति (पावरलाइन, ट्रान्सफार्मर आदि) | | डी0पी0आर0<br>(अवस्थापना सुविधा–3 : | |
| 14.14 | अवस्थापना सुविधा–4 : इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं डी0जी0 सेट की स्थापना | | डी0पी0आर0<br>अवस्थापना सुविधा–4 : | |
| 14.15 | अवस्थापना सुविधा–5 : आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता | | डी0पी0आर0<br>अवस्थापना सुविधा–5 : | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) | | | |
| 14.16 | अवस्थापना सुविधा–6 : स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल / डॉरमेट | | डी0पी0आर0 (अवस्थापना सुविधा–6 ) | |
| | **योग** | | | |

**15. वांछित वित्तीय सुविधाओं की सकल धनराशि की पात्रता सीमा का स्वतः आगणन**

| गौतमबुद्ध नगर जनपद हेतु स्थायी पूजी निवेश का 80 प्रतिशत / अन्य जनपदों हेतु स्थायी पूजी निवेश का 100 प्रतिशत (रू0 में) | समस्त वित्तीय सुविधाओं की धनराशि का योग (रू0 में) | क्या कालम–2 की धनराशि कालम–1 की धनराशि के समान अथवा कम है ? (हाँ / नहीं) |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| | | |

**16. अन्य संलग्नकों का विवरण**

| **क0** | **संलग्नकों का विवरण** | **संलग्नक पृष्ठ कमांक** |
|---|---|---|
| 1 | शपथपत्र (रू0 100 के स्टाम्प पेपर ) | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं / हम एतद्वारा सहमत हूँ / हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे / हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै / हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा / देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–1ए

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र का सह–प्रारूप

## ( वस्त्र इकाई के निदेशकों / भगीदारों / अन्य के नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदन द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक / साझेदार / अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| क0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नक का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इकाई का नाम व पता | | | |
| 2 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |

| 4. निदेशक / भागीदार / अन्य | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | नाम तथा पिता / पति का नाम तथा पता | मोबाइल नं0 | आधार नं0 | पैन नं0 | संलग्नक का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक | फोटो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | आधार कार्ड<br>पैन कार्ड | | |
| | | | | | आधार कार्ड<br>पैन कार्ड | | |
| | | | | | आधार कार्ड<br>पैन कार्ड | | |
| | | | | | आधार कार्ड<br>पैन कार्ड | | |

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–2

# उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन–पत्र

( वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की ''धनराशि वितरण'' हेतु )

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## 1- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज

| क्रम सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नक | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | आवेदक इकाई का नाम और पता | | | |
| 1.2 | पंजीकरण संख्या | | | |
| 1.3 | जी0एस0टी0 नं0 | | | |
| 1.4 | इकाई की प्रकृति (नयी / विस्तारीकृत / विविधीकृत) *इकाई द्वारा विस्तारीकरण / विविधीकरण की पात्रता सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण किये जाने का विवरण प्रारूप–..... में दर्शाया जाये* | | प्रारूप–2ई | |
| 1.5 | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि (चरणबद्ध निवेश की स्थिति में अन्तिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि) | | | |
| 1.7 | इकाई में कुल रोजगार सृजन (व्यक्तियों की संख्या) | | | |
| 1.8 | इकाई में पात्र रोजगार सृजन | | प्रारूप–2डी | |

## 2– पूंजी निवेश ( नई इकाई / इकाई के विस्तारीकृत / विविधीकृत अंग में पूंजी निवेश )

| क्र0 सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नक | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **कुल पूंजी निवेश** | | | |
| 2.1.1 | गाइडलाइन्स के प्रस्तर–.... तथा इकाई के एकाउन्ट / बैंलेंसशीट के अनुसार आगणित कुल पूंजी निवेश | | बैंलेन्सशीट / सी0ए0 प्रमाण–पत्र | |
| **2.2** | **स्थायी पूंजी निवेश** | | | |
| 2.2.1 | भूमि पर स्थायी पूंजी निवेश (रू0) | | प्रारूप–2ए | |
| 2.2.2 | प्रशासनिक भवन को छोड़कर शेष भवन एवं विविध स्थायी निर्माण पर स्थायी पूंजी निवेश (रू0) | | प्रारूप–2बी | |
| 2.2.3 | प्लान्ट एवं मशीनरी पर स्थायी पूंजी निवेश (रू0) | | प्रारूप–2सी | |
| | **कुल योग** | | | |
| 2.2.4 | स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि की अधिकतम सीमा | | | |

3– विस्तारीकरण/विविधीकृत इकाई हेतु.

| 3.1 | विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व इकाई का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | विवरण | ब्यौरा | संलग्नक | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1 | मौजूदा स्थायी पूंजी निवेश (रू0) | | प्रारूप–2..... | |
| 2 | वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0)<br>(पिछले 5 वर्षों में अधिकतम) | | प्रारूप–2..... | |
| 3 | इकाई में रोजगार सृजन<br>(इकाई के पे–रोल के अनुसार नियोजित कार्मिकों की संख्या) | | प्रारूप–2..... | |
| 3.2 | विस्तारीकरण/विविधीकरण का प्रतिशत | | | |
| क्र0 सं0 | विवरण | ब्यौरा | संलग्नक | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1 | स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रतिशत | | प्रारूप–2..... | |

4. <u>भूमि लागत अनुदान</u>

| 4.1 | भूमि लागत अनुदान हेतु इकाई की पात्रता का परीक्षण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 | बिन्दु | विवरण | सम्बन्धित दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| i | क्या इकाई की भूमि सरकारी संस्थाओं से सीधे क्रय की गयी है?, यदि हाँ, तो संस्था का नाम व पता अंकित करें।<br>*(नोट :– लिक्विडेटर भूमि के क्रय की स्थिति में यह वित्तीय सुविधा देय नहीं होगी।)* | | | |
| ii | भूमि क्रय की तिथि<br>( लीज–डीड में निर्धारित क्रय की तिथि ) | | | |
| iii | भूमि क्रय की तिथि के 5 वर्ष पश्चात की तिथि | | | |
| iv | लेटर आफ कम्फर्ट के निर्गमन की तिथि | | | |
| v | लेटर आफ कम्फर्ट के निर्गमन की तिथि के 3 वर्ष पश्चात की तिथि | | | |
| vi | बिन्दु (iii) व (v) में से जो भी तिथि पहले की हो, अंकित करें | | | |
| vii | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि | | | |
| viii | क्या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि बिन्दु (vi) में अंकित तिथि से पूर्व की है ? (हाँ/नहीं)<br>**(नोट :– यदि हाँ, तो भूमि लागत अनुदान का आगणन किया जाये, अन्यथा नहीं)** | | | |

| 4.2 | भूमि लागत अनुदान का आगणन | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 | बिन्दु | विवरण | सम्बन्धित दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| i | क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | | भूमि क्रय एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। | |
| ii | क्रय की गयी भूमि के सापेक्ष सरकारी संस्था को वास्तविक रूप से भुगतान की गयी धनराशि (रू0) | | | |
| iii | भूमि क्रय की तिथि को प्रचलित सर्किल रेट के | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अनुसार क्रय की गयी भूमि की कीमत (रू0) | | | |
| iv | बिन्दु (iii) व (iv) में से जो भी धनराशि कम हो (रू0) | | | |
| v | बिन्दु (v) में अंकित धनराशि का 25 प्रतिशत (रू0)<br>(गौतमबुद्ध नगर की इकाई हेतु 15 प्रतिशत) | | | |
| vi | परियोजना लागत की धनराशि (रू0) | | | |
| vii | परियोजना लागत धनराशि का 10 प्रतिशत (रू0) | | | |
| viii | ''लेटर आफ कम्फर्ट'' में अनुमन्य भूमि लागत अनुदान की धनराशि (रू0) | | | |
| ix | **दावा धनराशि** (बिन्दु v अथवा vii में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो) (रू0) | | | |

5. <u>पूँजीगत उपादान</u>

5.1 इकाई के प्रभावी स्तर का आगणन

| प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत धनराशि (रू0) (प्रारूप–... के कालम.... के अनुसार) | लागत के अनुसार इकाई का स्तर | रोजगार सृजन (प्रारूप–.... के अनुसार) | रोजगार सृजन के अनुसार इकाई का स्तर | इकाई का प्रभावी स्तर (कालम–2 व कालम–4 में जो भी निम्न हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | प्रारूप–....<br>प्रारूप–.... | |

**5.2** पूंजीगत उपादान का आगणन

| प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत (प्रारूप–..... के कालम–...... के अनुसार) | पूंजीगत उपादान | | अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल हेतु) | | पूंजीगत उपादान की कुल धनराशि (कालम 3+5) | इकाई के प्रभावी स्तर के अनुसार पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा (रू0) | ''लेटर आफ कम्फर्ट'' में अनुमन्य पूंजीगत उपादान की धनराशि | पूंजीगत उपादान की दावा धनराशि (रू0) (कालम–6, 7 एवं 8 में से जो भी न्यूनतम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिशत में | धनराशि | प्रतिशत में | धनराशि | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

6. <u>प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान</u>

| 6.1 | पूँजीगत उपादान/ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0 | बिन्दु | विवरण | अपेक्षित दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | बैंको/वित्तीय संस्थाओ का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया | | 1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार<br>2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।<br>3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।<br>4. क्रय की गयी संयंत्र और मशीनरी का विवरण (इन्वाइस सहित)<br>5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट | |
| ii | ऋण स्वीकृति की तारीख | | | |
| iii | ऋण वितरण की तिथि | | | |
| iv | ब्याज की दर | | | |
| v | वितरित ऋण की धनराशि | | | |
| vi | प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की गयी अर्ह/पात्र धनराशि (प्रारूप........के कालम–8 के अनुसार ) | | | |
| vii | देय ब्याज उपादान हेतु अनुपातिक गुणांक (बिन्दु vi की धनराशि/ बिन्दु v की धनराशि)<br>(आनुपातिक गुणंक की अधिकतम सीमा 1 होगी) | | | |

| 6.2 | टर्म लोन एकाउन्ट का विवरण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता | बैंक–शाखा का नाम | बैंक में ऋण खाता संख्या | खाताधारक का नाम | IFSC Code | वितरित ऋण की धनराशि (रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 6.3 | ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कम सं0 | दावा वर्ष जिसके सापेक्ष ब्याज उपादान हेतु सब्सिडी का आवेदन किया गया | वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान | | | ब्याज की धनराशि का 60 प्रतिशत | प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की अर्ह धनराशि के आधार पर आगणित आनुपातिक गुणांक | आगणित आनुपातिक गुणांक के आधार पर अर्ह ब्याज उपादान की धनराशि | दावा धनराशि (रू0) (कालम–8 में वर्णित धनराशि अथवा रू0 1.5 करोड प्रतिवर्ष, जो भी कम हो |
| | | मूलधन (रू0) | ब्याज (रू0) | कुल धनराशि (रू0) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | वर्ष–I ( ) | | | | | | | |
| 2. | वर्ष–II ( ) | | | | | | | |
| 3. | वर्ष–III ( ) | | | | | | | |
| 4. | वर्ष–IV ( ) | | | | | | | |
| 5. | वर्ष–V ( ) | | | | | | | |
| 6. | वर्ष–VI ( ) | | | | | | | |
| 7. | वर्ष–VII ( ) | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |

7. ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी :– (पी0एम0मित्र पार्क में स्थापित होने वाली इकाई हेतु)

| 7.1 ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी हेतु पात्रता का परीक्षण | | |
|---|---|---|
| क0 | बिन्दु | विवरण |
| 1 | क्या बिजली की खरीद लाइसेंसी यूटिलिटी से की गयी है ? (हां/नहीं) | |
| | क्या इकाई द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ? (हां/नहीं) | |
| | क्या बिजली आपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी गयी है ? (हां/नहीं) | |

| 7.2 ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी का आगणन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | दावा वर्ष जिसके सापेक्ष ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी का आवेदन किया गया | दावा वर्ष की अवधि की तिथियां | | ऊर्जा खपत (यूनिट/किलोवाट घंटा) | रू0 2/– प्रति यूनिट दर से देय सब्सिडी | दावा धनराशि (रू0) (कालम–8 में वर्णित धनराशि अथवा रू0 60 लाख प्रतिवर्ष, जो भी कम हो |
| | | से | तक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | वर्ष–I ( ) | | | | | |
| 2. | वर्ष–II ( ) | | | | | |
| 3. | वर्ष–III ( ) | | | | | |
| 4. | वर्ष–IV ( ) | | | | | |
| 5. | वर्ष–V ( ) | | | | | |
| | | | | | योग | |

| 7.3 | ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज | |
|---|---|---|
| क0 | संलग्नक का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| 1 | इकाई में रोजागर सृजन का साक्ष्य (प्रारूप–....पर .) | |
| 2 | इकाई द्वारा ऊर्जा खपत के विद्युत बिल | |
| 3 | विद्युत बिल के सापेक्ष किया गया भुगतान का साक्ष्य | |

8. रोजगार सृजन अनुदान :– (नई मेगा / सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाई हेतु)

| 8.1 रोजगार सृजन अनुदान हेतु पात्रता का परीक्षण | | | |
|---|---|---|---|
| क0 | बिन्दु | विवरण | |
| 1 | क्या गारमेन्टिंग इकाई द्वारा आंचलिक क्षेत्रवार निर्धारित न्यूनतम रोजगार सृजन किया गया है ? (प्रारूप) (हां / नहीं) | | |

| 8.2 रोजगार सृजन अनुदान का आगणन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | दावा वर्ष जिसके सापेक्ष रोजगार सृजन अनुदान का आवेदन किया गया | इकाई में संस्थापित सिलाई मशीनों की संख्या | इकाई में सृजित रोजगार की संख्या (प्रारूप–... के अनुसार) | रोजगार सृजन अनुदान हेतु आधार व्यक्तियों की कुल संख्या (कालम–3X2 अथवा कालम कालम–4 में से जो भी कम हो) | प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देय रोजगार सृजन अनुदान (रू0) | दावा धनराशि (रू0) (कालम–5 X कालम–6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | वर्ष–I ( ) | | | | 3,84,000 / – | |
| 2. | वर्ष–II ( ) | | | | 3,84,000 / – | |
| 3. | वर्ष–III ( ) | | | | 3,84,000 / – | |
| 4. | वर्ष–IV ( ) | | | | 3,84,000 / – | |
| 5. | वर्ष–V ( ) | | | | 3,84,000 / – | |
| | | | | | योग | |

| 8.3 | रोजगार सृजन अनुदान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज | |
|---|---|---|
| क0 | संलग्नक का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| 1 | इकाई में रोजागर सृजन का साक्ष्य (प्रारूप–....पर .) | |

9. <u>माल–भाड़े की प्रतिपूर्ति</u>

(प्रतिपूर्ति हेतु उसी माल–भाड़े की धनराशि को सम्मिलित किया जाये, जो सीधा इकाई से पोर्ट तक कम दूरी के रास्ते से वहन किया गया हो एवं उसका निर्यात किया गया हो)

| 9.1 | माल भाड़ा प्रतिपूर्ति का आगणन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम) | सम्बन्धित वित्तीय वर्ष | इकाई से पोर्ट तक चुकाये माल भाड़ा की कुल धनराशि (रू0) | देय प्रतिपूर्ति का आगणन | |
| | | | | प्रतिशत में | दावा धनराशि (रू0) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | | | | |
| | | | | | योग |

| 9.2 | माल–भाड़ा प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित दस्तावेज | |
|---|---|---|
| | दस्तावेज का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| i | शिपमेन्ट बिल की प्रति कस्टम विभाग द्वारा सत्यापित | |
| ii | कन्टेनर डिपो के बिल की प्रति | |
| iii | कस्टम क्लियरेन्स सर्टिफिकेट की प्रति | |
| iv | आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति | |
| v | उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति | |
| vi | चुकाये गये माल–भाड़े की रसीद | |

10. <u>अवस्थापना सुविधा–1 (सड़क निर्माण) हेतु अनुदान</u>

| सड़क निर्माण की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (कालम–1का) | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 एक करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **i.** सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत आगणन एवं इनवाइस<br>**ii.** इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य<br>**iii.** निजी संस्था से सड़क निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र :–<br>**a)** सड़क निर्माण हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।<br>**b)** ब्लैकलिस्टेड न होने के सम्बन्ध | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | में निजी संस्था के स्तर से निर्गत स्व प्रमाण–पत्र<br>c) सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा सड़क निर्माण की गुणवत्ता एवं मानक प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य<br>d) निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस<br>e) वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

11. <u>अवस्थापना सुविधा–2 (जल आपूर्ति एवं जल निकासी ) हेतु अनुदान</u>

| जल आपूर्ति एवं जल निकासी की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 एक करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | i. सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत आगणन एवं इनवाइस<br>ii. इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य<br>iii. निजी संस्था से "जल आपूर्ति एवं जल निकासी सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं" का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र<br>a. सक्षम सरकारी विभाग द्वारा जल आपूर्ति एवं जल निकास निर्माण की गुणवत्ता, मानक एवं लागत को प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य<br>b. निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस<br>c. वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

12. अवस्थापना सुविधा–3 ( विद्युत आपूर्ति ) हेतु अनुदान

| विद्युत आपूर्ति की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 एक करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | i. ऊर्जा विभाग द्वारा सत्यापित इनवाइस<br>ii. ऊर्जा विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य<br>iii. निजी संस्था से "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावरलाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" का विकास कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र<br>a. "विद्युत आपूर्ति यथाः–पावरलाइन, ट्रान्सफर्मर आदि अवस्थापना सुविधाओं" के विकास हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।<br>b. ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत लाइन/ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य<br>c. निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध इनवाइस<br>d. वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

13. अवस्थापना सुविधा–4 ( ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेट की स्थापना ) हेतु अनुदान

| विद्युत आपूर्ति की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 5 करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | i. "ई0टी0पी0 एवं डी0जी0 सेटों की स्थापना" हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र<br>ii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) अथवा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार "ईटीपी एवं डीजी सेट" स्थापित होने का प्रमाण–पत्र<br>iii. वैध इनवाइस एवं वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा फर्म के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

14. अवस्थापना सुविधा–5 ( आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र विकसित करने ) हेतु अनुदान

| अवस्थापना सुविधा–5 की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 25 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 2.5 करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **i.** आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने हेतु अपेक्षित वित्तीय सुविधा का आगणन–प्रपत्र<br>**ii.** टेक्सटाइल कमेटी/निट्रा से डी0पी0आर0 के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र<br>**ii.** वैध इनवाइस तथा वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा निर्माणकारी संस्था/विक्रेता फर्म के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

15. अवस्थापना सुविधा–6 ( स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डोरमेट्री निर्माण ) हेतु अनुदान

| अवस्थापना सुविधा–6 की परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) | परियोजना लागत का 25 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) (कालम–2 अथवा रू0 5 करोड़ में से जो भी कम हो) | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **i.** सरकारी विभाग से ''स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री'' का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित अन्य प्रपत्र<br>**ii.** सरकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रस्तुत इनवाइस<br>**iii.** इकाई द्वारा सरकारी विभाग के बैंक खाते में किये गये भुगतान का साक्ष्य<br>**iv.** निजी संस्था से ''स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हास्टल/डारमेट्री का निर्माण कराने की स्थिति में वांछित प्रपत्र :–<br>**a)** निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु संबन्धित सरकारी विभाग से निजी संस्था को प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र।<br>**b)** सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा निर्माण की गुणवत्ता, मानक एवं लागत प्रमाणित किये जाने का साक्ष्य<br>**c)** निजी संस्था द्वारा इकाई को प्रस्तुत वैध | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | इनवाइस<br>**d)** वैध इनवाइस के सापेक्ष इकाई द्वारा संस्था के बैंक एकाउन्ट में किये गये भुगतान का साक्ष्य | |

## घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नही किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभो के लिए आवदेन नही किया है।

मै/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी –2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभो का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देगें।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................ पृष्ठ**

स्थानः

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम,पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

अनुलग्नक–1

**इकाई के नाम से उ0प्र0 राज्य में क्रय किये गये रु0 100/–के जनरल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ–पत्र**

मैं.......................................................आयु..................................वर्ष पुत्र (श्री/स्व0)............................................................निवासी..... ...................................................................................मे0.............................................................................................जिसका पंजीकृत कार्यालय ..........................................पर स्थित है, का अधीकृत हस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ, एवं निम्नवत घोषणा करता हूँ :–

1. यह कि शपथी मे0...........................................................का........................................................है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक ........................के द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

   (अ) यह कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बन्धी विभागीय नीति के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा कोई लाभ न तो प्राप्त किया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेंगे ।

2. यह कि मैं.....................................................निम्नवत् शपथ लेता हूँ कि :–

   (अ) यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या .......................................दिनांक............... ........... में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई के औद्योगिक उपक्रम को स्वीकृत विशेष सुविधाओं को वापस लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

   (ब) यह कि यदि किसी कारणवश वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक वित्तीय लाभ की राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई औद्योगिक उपक्रम द्वारा ''उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी–2017'' के अन्तर्गत वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक प्राप्त किये गये वित्तीय लाभ की राशि को वापस किया जायेगा।

3. यह कि आवेदक इकाई के औद्योगिक उपक्रम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सूचनायें/दस्तावेज मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान–
दिनांक–

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं...............................................उपरोक्त नामित शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर 1 से 3 पर इंगित विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है एवं कोई भी तथ्यपरक जानकारी छिपाई नहीं गयी है एवं दोषरहित है।
सत्यापित एवं हस्ताक्षरित.................................................दिनांक.....................................................

शपथकर्ता

**नोट–** इकाई के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव जिसके द्वारा शपथकर्ता को उपरोक्त शपथपत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न करें।

## प्रारूप–2ए

## नई इकाई/इकाई के विस्तारीकृत/विविधीकृत अंग द्वारा भूमि पर स्थायी पूंजी निवेश से सम्बन्धित आगणन

वस्त्र इकाई का नाम व पता :–

पंजीकरण संख्या व जी0एस0टी0 नं0 :–

| क्र0 | बिन्दु | विवरण | सम्बन्धित दस्तावेज | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भूमि की रजिस्ट्री की तिथि | | 1. भूमि की लीज–डीड<br>2. भूमि की रजिस्ट्री<br>3. इकाई द्वारा भूमि विक्रेता को भुगतान की गयी धनराशि का साक्ष्यस्वरूप रसीदें<br>4. भुगतान की तिथि से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 2 | यदि भूमि की रजिस्ट्री की तिथि दिनांक 17–10–2022 से पूर्व की है, तो भूमि के प्रभावी मूल्य शून्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रभावी मूल्य की गणना निम्नवत् करें :– | | | |
| 3 | रजिस्ट्री/लीज–डीड में अंकित भूमि का मूल्य (रू0) | | | |
| 4 | भूमि के क्रय मूल्य के सापेक्ष दिनांक 17–10–2022 से आवेदन की तिथि तक की अवधि अथवा विस्तारीकरण की अवधि में इकाई द्वारा भूमि विक्रेता को वास्तविक रूप से भुगतान की गयी धनराशि (रू0) | | | |
| 5 | भूमि की रजिस्ट्रेशन फीस | | | |
| 6 | **भूमि का प्रभावी मूल्य (रू0)**<br>(बिन्दु–3 अथवा बिन्दु–4 में से जो भी कम हो)<br>+<br>(कानम–5) | | | |
| 7 | **भूमि पर स्थायी पूंजी निवेश (रू0)**<br>(भूमि के प्रभावी मूल्य का 10 प्रतिशत) | | | |

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–2बी

## नई इकाई/इकाई के विस्तारीकृत/विविधीकृत अंग में भवन निर्माण पर पूंजी निवेश से सम्बन्धित विवरण

(नोट :– सूची में भवन निर्माण की सामग्री विक्रेता/सेवा प्रदाता जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्म से सम्बन्धित उसी इनवाइस का विवरण सूची में दर्शाया जाये, जो कट–आफ डेट के पश्चात की हो तथा इनवाइस के सापेक्ष वस्त्र इकाई द्वारा भुगतान सम्बन्धित फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो)

**वस्त्र इकाई का नाम व पता :–**

**पंजीकरण संख्या व जी0एस0टी0 नं0 :–**

**प्रशासनिक भवन को छोड़कर भवन निर्माण की कुल लागत (रू0)**

| क0 | इनवाइस नं0 एवं तिथि | संलग्नक इनवाइस का पृष्ठ कमांक | निर्माण सामग्री विक्रेता/ भवन निर्माता फर्म का नाम व पता | विक्रेता/सेवा प्रदाता फर्म का बैंक एकाउन्ट नं0, जिसमें वस्त्र इकाई द्वारा भुगतान किया गया | साक्ष्यस्वरूप संलग्न इकाई के बैंक स्टेटमेन्ट का पृष्ठ कमांक | इनवाइस की धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | योग | |

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–2सी

## नई इकाई/इकाई के विस्तारीकृत/विविधीकृत अंग में प्लाण्ट एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश से सम्बन्धित विवरण

(नोट :– सूची में प्लान्ट एवं मशीनरी से सम्बन्धित उसी इनवाइस का विवरण सूची में दर्शाया जाये, जिसके सापेक्ष भुगतान विक्रेता फर्म के बैंक एकाउन्ट में किया गया हो)

**वस्त्र इकाई का नाम व पता :–**

**पंजीकरण संख्या व जी0एस0टी0 नं0 :–**

| क्र0 | इनवाइस नं0 एवं तिथि | संलग्नक इनवाइस का पृष्ठ क्रमांक | मशीनरी विक्रेता फर्म का नाम व पता | विक्रेता फर्म का बैंक एकाउन्ट नं0, जिसमें वस्त्र इकाई द्वारा भुगतान किया गया | साक्ष्यस्वरूप संलग्न इकाई के बैंक स्टेटमेन्ट का पृष्ठ क्रमांक | इनवाइस की धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रू0) | इनवाइस की धनराशि जी0एस0टी0 को छोड़कर (रू0) | इनवाइस में टफ्स पात्रता वाली मशीनरी का विवरण | टफ्स पात्रता वाली मशीनरी की धनराशि जी0एस0टी0 छोड़कर (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | योग | पात्र स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी की सकल धनराशि | पूंजीगत उपादान के आगणन हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय कुल धनराशि | योग | ब्याज उपादान के आगणन हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय कुल धनराशि |

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–2डी

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं के सन्दर्भ में वस्त्र इकाई द्वारा रोजगार सृजन का विवरण

(नोटः– सूची में उन्हीं कार्मिकों के नाम दर्शाये जायें, जिनका वेतन न्यूनतम मजदूरी के समान अथवा अधिक हो, वेतन भुगतान बैंक खाते में किया गया हो तथा ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अंशदान नियमित रूप से जमा किया हों)
(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये)

वस्त्र इकाई का नाम व पता :–

पंजीकरण संख्या व जी0एस0टी0 नं0 :–

| क0 | कर्मचारी का नाम | आधार नं0 | संलग्नक पृष्ठ कमांक | कर्मचारी की श्रेणी (कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) | सैलरी बैंक एकाउन्ट नं0 | ई0पी0एफ0 नं0 | ई0एस0 आई0 नं0 | श्रेणी के अनुसार 12 माह में देय न्यूनतम मजदूरी/वेतन | वस्त्र इकाई द्वारा 12 माह में भुगतान किया गया वास्तविक वेतन | | | | क्या कालम–13 की धनराशि कालम–9 की धनराशि के समान अथवा अधिक है (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | बैंक खाते में अंतरित धनराशि (रू0) | ई0पी0 एफ0 कटौती (रू0) | ई0 एस0 आई0 कटौती (रू0) | कुल वेतन (रू0) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | वेतन भ्रुगतान से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 2 | ई0पी0एफ0 अंशदान जमा करने का साक्ष्य | |
| 3 | ई0एस0आई0 अंशदान जमा करने का साक्ष्य | |

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

तारीखः
स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–3

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## (टेक्सटाइल पार्क को ''लेटर आफ कम्फर्ट'' के निर्गमन हेतु)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| क0सं0 | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1 | टेक्सटाइल पार्क/ वस्त्र औद्योगिक आस्थान का नाम | |
| 2 | टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान के परियोजना स्थल का पता | |
| 3 | एस0पी0वी0 (स्पेशल परपज वेहिकल)/कम्पनी का पंजीकरण तिथि संघटन(कान्सटीट्यूशन) | |
| 4 | **पार्क की भूमि का** क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेअर में) | |
| 5 | पूर्व से विद्यमान 30 मीटर चौड़ी सड़क से पार्क की दूरी एवं सम्पर्क मार्ग की स्थिति | |
| 6 | मलजल निस्तारण हेतु ट्रक सीवेज लाइन से पार्क की दूरी | |
| 7 | स्वतंत्र विद्युत फीडर एवं ट्रान्सफार्मर अथवा विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता | |
| 8 | भूमि की लागत, (भूमि का मूल्य, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एवं भूमि के समतलीकरण व्यय सहित) (रू0) | |
| 9 | ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु अनुमानित व्यय | |
| 10 | प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के विकास हेतु अनुमानित व्यय | |
| 11 | विविध अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनुमानित व्यय | |
| 12 | पार्क के विकास हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (बिन्दु. 8+9+10+11) | |
| 13 | पार्क की परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु. 9+10+11) | |
| 14 | वांछित वित्तीय सहायता की धनराशि (रू0) (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 50 करोड़, जो भी कम हो) | |

15. संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

| क0 | विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 15.1 | टेक्सटाइल पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट | |
| 15.2 | पार्क का नक्शा (सम्बन्धित विभाग से स्वीकृत) | |
| 15.3 | समस्त अनुसूचियों सहित एस0पी0वी0 के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ–साथ पिछले पाँच वर्ष) | |
| 15.4 | मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र | |
| 15.5 | बैंक से ऋण लेने/स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक अप्रेजल रिपोर्ट | |
| 15.6 | शपथपत्र (रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर) | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–4

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### (टेक्सटाइल पार्क को अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की ''धनराशि वितरण'' हेतु)

<table>
<tr><td rowspan="2">आवेदन पत्र का क्रमांक<br>(परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)<br>(9 अंकों की संख्या)</td><td colspan="2">परिक्षेत्र का कोड</td><td colspan="2">जनपद कोड</td><td colspan="5">आवेदन का क्रमांक</td><td>प्राप्ति का दिनांक</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>विवरण</th><th>ब्यौरा</th><th>संलग्नक का विवरण</th><th>संलग्नक पृष्ठ क्रमांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पार्क का नाम एवं पता</td><td></td><td>–</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>एस0पी0वी0 / कम्पनी का नाम एवं पंजीकरण संख्या</td><td></td><td>–</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>एस0पी0वी0 / कम्पनी का संघटन</td><td></td><td>–</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>वास्तविक परियोजना लागत की धनराशि (रू0)</td><td></td><td rowspan="4">परियोजना लागत का आगणन निर्धारित प्रारूप–4ए पर</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.1 ई0टी0पी0 पर व्यय</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.2 प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं पर व्यय</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.3 अन्य अवस्थापना सुविधाओं, जिनके विकास पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>परियोजना लागत की 50 प्रतिशत धनराशि (रू0)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>अनुमन्य वित्तीय सहायता की कुल धनराशि अथवा प्रोत्साहन राशि (रू0)<br>(कालम–5 अथवा रू0 5 करोड़ में जो भी कम हो)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>कुल उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र (हेक्टेअर में)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>इकाईयों को आवंटित औद्योगिक क्षेत्र (हेक्टेअर में)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

9. निर्धारित शर्तें पूर्ण होने पर देय कुल वित्तीय सहायता का आगणन

| आवंटित औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत | इकाईयों की संख्या, जिनको औद्योगिक क्षेत्र आवंटित किया गया | अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि (रू0) | यदि कालम–1 में 25 प्रतिशत तथा कालम–2 में 3 अथवा अधिक हो, तो प्रथम किश्त (प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत) देय है | यदि कालम–1 में 50 प्रतिशत तथा कालम–2 में 5 अथवा अधिक हो, तो द्वितीय किश्त (प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत) देय है | यदि कालम–1 में 100 प्रतिशत तथा कालम–2 में 10 अथवा अधिक हो, तो तृतीय किश्त (प्रोत्साहन राशि का 20 प्रतिशत) देय है | देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) (कालम 1+2+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

10. दावा धनराशि का आगणन

| देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) | पूर्व में प्राप्त वित्तीय सहायता की धनराशि (रू0) | दावा धनराशि (रू0) (कालम 1) – (कालम–2) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

11. एस0पी0वी0/कम्पनी के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण

| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

12. संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण

| क0 | संलग्नक का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | जिन इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया, उन इकाईयों का विवरण निर्धारित प्रारूप–.. पर | |

## घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नही किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभो के लिए आवदेन नही किया है।

मै/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभो का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देगें।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

स्थानः

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम,पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

अनुलग्नक–1

# इकाई के नाम से उ0प्र0 राज्य में क्रय किये गये रु0 100/–के जनरल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ–पत्र

मैं.........................................................आयु...................................वर्ष पुत्र (श्री/स्व0)...............................................................निवासी..... ..........................................................................................मे0..........................................................................................जिसका पंजीकृत कार्यालय ..............................................पर स्थित है, का अधीकृत हस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ, एवं निम्नवत घोषणा करता हूँ :–

1. यह कि शपथी मे0..............................................................का..........................................................है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक .........................के द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

   (अ) यह कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बन्धी विभागीय नीति के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा कोई लाभ न तो प्राप्त किया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेंगे ।

2. यह कि मैं......................................................निम्नवत् शपथ लेता हूँ कि :–

   (अ) यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या ........................................दिनांक............... ............ में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई के औद्योगिक उपक्रम को स्वीकृत विशेष सुविधाओं को वापस लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

   (ब) यह कि यदि किसी कारणवश वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक वित्तीय लाभ की राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई औद्योगिक उपक्रम द्वारा ''उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी–2017'' के अन्तर्गत वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक प्राप्त किये गये वित्तीय लाभ की राशि को वापस किया जायेगा।

3. यह कि आवेदक इकाई के औद्योगिक उपक्रम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सूचनायें/दस्तावेज मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान–
दिनांक–

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं..............................................उपरोक्त नामित शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर 1 से 3 पर इंगित विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है एवं कोई भी तथ्यपरक जानकारी छिपाई नहीं गयी है एवं दोषरहित है।
सत्यापित एवं हस्ताक्षरित................................................दिनांक....................................................

शपथकर्ता

**नोट–** इकाई के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव जिसके द्वारा शपथकर्ता को उपरोक्त शपथपत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न करें।

## प्रारूप–5

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त के निर्गमन हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | हैण्डलूम टेक्नोलाजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा | | | | |
| 2.2 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | इकाई/समूह का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–6 ए पर | |
| 3.6 | उद्यम/वर्कशेड का कार्यस्थल का पता | | कार्यस्थल का फोटोग्राफ | |
| 3.7 | अनुमानित रोजगार सृजन (इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9–वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त का आगणन<br>(यदि कार्यस्थल का स्वामित्व इकाई/समूह के पक्ष में क्रय द्वारा अथवा रेन्ट लीज डीड द्वारा हो, तो आगणन किया गया जाये ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | परियोजना में स्थापित हथकरघों की संख्या | रू0 एक लाख प्रति हथकरघा की दर से वित्तीय सहायता | देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 3 में से जो भी कम हो) | (कॉलम 4 का 50 प्रतिशत) | हथकरघा/मशीनरी के क्रय में व्यय धनराशि (रू0) | प्रथम किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कॉलम 5 व कॉलम 6, अथवा रू0 10 लाख में से जो भी कम हो) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैंक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | भूमि/वर्कशेड की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | क्रय की गयी मशीनरी/हथकरघा की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 5 | स्थापित मशीनरी/हथकरघा के फोटोग्राफ्स | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

<u>प्रारूप–6</u>

<u>उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र</u>

<u>( हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में युवाओं को वित्तीय सहायता की ''द्वितीय किश्त'' के निर्गमन हेतु )</u>

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक<br>(परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)<br>(9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि<br>(हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु<br>(आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई/समूह) | | | |
| 2.2 | इकाई/समूह का नाम | | | |
| 2.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 2.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 2.5 | इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | | |
| 2.6 | उद्यम/वर्कशेड का कार्यस्थल | | | |
| 2.7 | वास्तविक रोजगार सृजन<br>(इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | प्रारूप–6ए | |
| 2.8 | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों को देय कुल मजदूरी/वेतन (रू0) | | | |
| 2.9 | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों को भुगतान की गयी कुल मजदूरी/वेतन (रू0) | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 3. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु किया गया कुल पूंजी निवेश (रू0) (सी0ए0 प्रमाण–प.त्र के अनुसार) | | सी0ए0 प्रमाण–पत्र | |
| 4. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | सी0ए0 द्वारा प्रमाणित | |
| 5. | गत 12 माह की बिक्री टर्नओवर (रू0) | | | |
| 6. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 4 व 5 में जो भी कम हो) | | | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक लाभ (रू0) | | | |
| 8. | अनुमन्य वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) | | | |
| 9. | प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि (रू0) | | | |
| 10. | द्वितीय किश्त की वांछित धनराशि (रू0) | | | |

| 11–वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त का आगणन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | परियोजना में स्थापित हथकरघों की संख्या | रू0 एक लाख प्रति हथकरघा की दर से वित्तीय सहायता | देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 3, अथवा रू0 20 लाख में से जो भी कम हो) | प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि (रू0) | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कालम 4)–(कालम–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| 12–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

| 13–अन्य संलग्नकों का विवरण | | |
|---|---|---|
| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1 | प्रथम किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र | |
| 2 | | |

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एत्द्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................ पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–7

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किशत के निर्गमन हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक / मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता / पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान / बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | हैण्डलूम टेक्नोलाजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा | | | | |
| 2.2 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई / समूह) | | | |
| 3.2 | इकाई / समूह का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | उद्यम / वर्कशेड का कार्यस्थल का पता | | कार्यस्थल का फोटोग्राफ | |
| 3.7 | अनुमानित रोजगार सृजन (इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9–वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त का आगणन (यदि कार्यस्थल का स्वामित्व इकाई/समूह के पक्ष में क्रय द्वारा अथवा रेन्ट लीज डीड द्वारा हो, तो आगणन किया गया जाये ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | परियोजना में स्थापित पावरलूमों की संख्या | रू0 एक लाख प्रति पावरलूम की दर से वित्तीय सहायता | देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 3 में से जो भी कम हो) | (कॉलम 4 का 50 प्रतिशत) | पावरलूम/ मशीनरी के क्रय में व्यय धनराशि (रू0) | प्रथम किश्त की धनराशि (रू0) (कॉलम 5 व कॉलम 6 में से जो भी कम हो) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क्र0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | भूमि/वर्कशेड की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | क्रय की गयी मशीनरी/पावरलूम की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 5 | स्थापित मशीनरी/ पावरलूम के फोटोंग्राफ्स | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

<u>प्रारूप–8</u>

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में युवाओं को वित्तीय सहायता की ''द्वितीय किश्त'' के निर्गमन हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई/समूह) | | | |
| 2.2 | इकाई/समूह का नाम | | | |
| 2.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 2.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 2.5 | इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | | |
| 2.6 | उद्यम/वर्कशेड का कार्यस्थल | | | |
| 2.7 | वास्तविक रोजगार सृजन (इकाई/समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | प्रारूप–102 ए.. | |
| 2.8 | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों को देय कुल मजदूरी/वेतन (रू0) | | | |
| 2.9 | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों को प्रदत्त कुल मजदूरी/वेतन (रू0) | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 3. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु किया गया कुल पूंजी निवेश (रू0)<br>(सी0ए0 प्रमाण–प.त्र के अनुसार) | | सी0ए0 प्रमाण–पत्र | |
| 4. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | सी0ए0 द्वारा प्रमाणित | |
| 5. | गत 12 माह की बिक्री टर्नओवर (रू0) | | | |
| 6. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 4 व 5 में जो भी कम हो) | | | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक लाभ (रू0) | | | |
| 8. | अनुमन्य वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) | | | |
| 9. | प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि (रू0) | | | |
| 10. | द्वितीय किश्त की वांछित धनराशि (रू0) | | | |

11–वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त का आगणन

| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | परियोजना में स्थापित पावरलूमों की संख्या | रू0 एक लाख प्रति पावरलूम की दर से वित्तीय सहायता | देय वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 3, अथवा रू0 60 लाख में से जो भी कम हो) | प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि (रू0) | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कालम 4)–(कालम–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

12–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण

| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

13–अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र | |

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................ पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–9

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( गारमेन्टिंग / अपैरल / होम फर्निशिंग के क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक / मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता / पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान / बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | तकनीकी योग्यता में स्नातक | | | | |
| 2.2 | इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष | | | | |
| 2.3 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई / समूह) | | | |
| 3.2 | इकाई / समूह का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | उद्यम / वर्कशेड का कार्यस्थल का पता | | कार्यस्थल का फोटोग्राफ | |
| 3.7 | अनुमानित रोजगार सृजन (इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

9–परियोजना लागत की प्रथम किश्त का आगणन

9.1 फ्लैटेड फैक्ट्री का किराये के भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सहायता का आगणन
( नोट :– यदि उद्यम/फैक्ट्री का भवन प्राधिकरण/ अन्य सरकारी संस्थाओं से किराये पर पालिसी अवधि में लिया गया है, तभी इस वित्तीय सुविधा का आगणन किया जाये, अन्य नहीं । )

| प्राधिकरण/सरकारी संस्था का नाम, जिससे फैक्ट्री का भवन किराये पर लिया गया है। | किराये की अवधि, जिसके सापेक्ष उद्यम द्वारा भुगतान किया गया। | भुगतान किये गये किराये की धनराशि (रू0) | भुगतान किये गये किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) कालम–4 अथवा रू0 5 लाख में से जो भी कम हो। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

9.2 अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का आगणन

| प्रभावी परियोजना लागत | फ्लैटेड फैक्ट्री के 5 वर्षों के किराये की धनराशि | अवशेष प्रभावी परियोजना लागत (कालम–1)–(कालम–3) | कालम–3 का 37.5 प्रतिशत | अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत | कालम–2 का 50 प्रतिशत | अवशेष प्रभावी परियोजना लागत के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत (कालम 5–6) | अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि (कालम–4 अथवा कालम–7 में जो भी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 12.5 लाख | | | |

9.3 वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त की कुल धनराशि

| भुगतान किये गये किराये के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि | अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि (रू0) | प्रथम किश्त की कुल दावा धनराशि (रू0) (कालम–1)+(कालम–2) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण

| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैंक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | भूमि/वर्कशेड की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | क्रय की गयी मशीनरी की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 5 | स्थापित मशीनरी के फोटोग्राफ्स | |
| 6 | विकास प्राधिकरण/सरकारी संस्था को भुगतान किये गये किराये की प्राप्ति रसीद | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–10

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( गारमेन्टिंग / अपैरल / होम फर्निशिंग के क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक / मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता / पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान / बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | तकनीकी योग्यता में स्नातक | | | | |
| 2.2 | इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष | | | | |
| 2.3 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई / समूह) | | | |
| 3.2 | इकाई / समूह का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | उद्यम / वर्कशेड का कार्यस्थल का पता | | कार्यस्थल का फोटोग्राफ | |
| 3.7 | वास्तविक रोजगार सृजन (इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु वास्तविक कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

9–परियोजना लागत की द्वितीय किश्त का आगणन

9.1 फ्लैटेड फैक्ट्री का किराये के भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सहायता का आगणन
( नोट :– यदि उद्यम/फैक्ट्री का भवन प्राधिकरण/ अन्य सरकारी संस्थाओं से किराये पर पालिसी अवधि में लिया गया है, तभी इस वित्तीय सुविधा का आगणन किया जाये, अन्य नहीं । )

| प्राधिकरण/सरकारी संस्था का नाम, जिससे फैक्ट्री का भवन किराये पर लिया गया है। | किराये की अवधि, जिसके सापेक्ष उद्यम द्वारा भुगतान किया गया। | भुगतान किये गये किराये की धनराशि (रू0) | भुगतान किये गये किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत | दावा धनराशि (रू0) कालम–4 अथवा रू0 5 लाख में से जो भी कम हो। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

9.2 अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का आगणन

| प्रभावी परियोजना लागत | फ्लैटेड फैक्ट्री के 5 वर्षों के किराये की धनराशि | अवशेष प्रभावी परियोजना लागत (कालम–1)–(कालम–3) | कालम–3 का 37.5 प्रतिशत | अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत | कालम–2 का 50 प्रतिशत | अवशेष प्रभावी परियोजना लागत के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत (कालम 5–6) | अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि (कालम–4 अथवा कालम–7 में जो भी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 12.5 लाख | | | |

9.3 वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त की धनराशि का आगणन

| भुगतान किये गये किराये के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि | अवशेष परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता की दावा धनराशि (रू0) | कालम–1 व कालम–2 की धनराशि का योग | अनुमन्य वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा | प्रथम किश्त में प्राप्त वित्तीय सहायता | कालम–3 व कालम–4 की धनराशि का अन्तर | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कालम–3 व 4 में से जो भी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 25 लाख | | | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैंक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र | |
| 2 | स्थापित मशीनरी के फोटोंग्राफ्स | |
| 3 | विकास प्राधिकरण/सरकारी संस्था को भुगतान किये गये किराये की प्राप्ति रसीद | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................ पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–11

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

### ( गारमेन्टिंग / अपैरल / होम फर्निशिंग के क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की उत्तरवर्ती किश्तों हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक / मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता / पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान / बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | तकनीकी योग्यता में स्नातक | | | | |
| 2.2 | इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष | | | | |
| 2.3 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | उद्यम की प्रकृति (इकाई / समूह) | | | |
| 3.2 | इकाई / समूह का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | उद्यम / वर्कशेड का कार्यस्थल का पता | | कार्यस्थल का फोटोग्राफ | |
| 3.7 | वास्तविक रोजगार सृजन (इकाई / समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित उद्यम में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उद्यम में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु वास्तविक कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

9–परियोजना लागत की उत्तरवर्ती किश्त का आगणन

| | |
|---|---|
| 9.1 कौन सी किश्त के लिए आवेदन किया जा रहा है ? (तृतीय/चतुर्थ/पंचम) : | |

9.2 फ्लैटेड फैक्ट्री का किराये के भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सहायता का आगणन
( नोट :– यदि उद्यम/फैक्ट्री का भवन प्राधिकरण/ अन्य सरकारी संस्थाओं से किराये पर पालिसी अवधि में लिया गया है, तभी इस वित्तीय सुविधा का आगणन किया जाये, अन्य नहीं । )

| प्राधिकरण/सरकारी संस्था का नाम, जिससे फैक्ट्री का भवन किराये पर लिया गया है। | किराये की अवधि, जिसके सापेक्ष उद्यम द्वारा भुगतान किया गया। | भुगतान किये गये किराये की धनराशि (रू0) | भुगतान किये गये किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत | आवेदित किश्त की वांछित धनराशि (रू0) कालम–4 अथवा रू0 5 लाख में से जो भी कम हो। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

9.3 वित्तीय सहायता की उत्तरवर्ती किश्त की धनराशि का आगणन

| आवेदित किश्त की वांछित धनराशि (रू0) | विगत वर्षों में प्राप्त वित्तीय सहायता की धनराशि | | | | | अनुमन्य वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा | आवेदित किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कालम–3 व 4 में से जो भी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रथम किश्त की धनराशि | द्वितीय किश्त की धनराशि | तृतीय किश्त की धनराशि | चतुर्थ किश्त की धनराशि | योग (कालम–2 +3+4+5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | रू0 25 लाख | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | विगत किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र | |
| 2 | विकास प्राधिकरण/सरकारी संस्था को भुगतान किये गये किराये की प्राप्ति रसीद | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्‌देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–12

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( डिजाइन स्टूडियो के संचालन हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त के सम्बन्ध में )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | स्नातक परीक्षा | | | | |
| 2.2 | इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष | | | | |
| 2.3 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | डिजाइन स्टूडियो का स्वामित्व (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | डिजाइन स्टूडियो का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | डिजाइन स्टूडियो के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | डिजाइन स्टूडियो के कार्यस्थल का पता | | डिजाइन स्टूडियो का फोटो | |
| 3.7 | अनुमानित रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित डिजाइन स्टूडियो में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | डिजाइन स्टूडियो में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | डिजाइन स्टूडियो की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9. वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि का आगणन | | |
|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 37.5 प्रतिशत | डिजाइन स्टूडियो हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत | प्रथम किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो |
| 1 | 2 | 3 |
| | रू0 15 लाख | |

| 10—इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| | | | | | | बैंक—पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क्र0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/— के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | डिजाइन स्टूडियो के भवन की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | क्रय किये गये कम्प्यूटर एवं डिजाइन साफ्टवेअर की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |
| 5 | डिजाइन के फोटोंग्राफ्स | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र—विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति—2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :— उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

<u>प्रारूप–13</u>

<u>उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र</u>
<u>( डिजाइन स्टूडियो के संचालन हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में )</u>

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि<br>(हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु<br>(आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | स्नातक परीक्षा<br>(टेक्सटाइल/फैशन डिजाइन, | | | | |
| 2.2 | इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष | | | | |
| 2.3 | हाईस्कूल अथवा समकक्ष | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | डिजाइन स्टूडियो का स्वामित्व<br>(इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | डिजाइन स्टूडियो का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.5 | डिजाइन स्टूडियो के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | डिजाइन स्टूडियो के कार्यस्थल का पता | | डिजाइन स्टूडियो का फोटो | |
| 3.7 | वास्तविक रोजगार सृजन<br>(समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित डिजाइन स्टूडियो में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | डिजाइन स्टूडियो में नियोजित व्यक्तियों की वास्तविक औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | डिजाइन स्टूडियो की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | प्रारूप–109बी | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र सी0ए0 द्वारा प्रमाणित | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9. वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त की धनराशि का आगणन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | डिजाइन स्टूडियो हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा | देय कुल वित्तीय सुविधा की प्रभावी धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो) | प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि (रू0) | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | रू0 30 लाख | | | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम किश्त में प्राप्त वित्तीय सहायता का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र | |
| 2 | इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति | |

## घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

# प्रारूप–14

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त के सम्बन्ध में )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी के संस्थापक/संचालक समूह का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | समूह का नाम | | | |
| 1.2 | समूह का पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 1.3 | क्या समूह संयुक्त जवाबदेही समूह है? (हाँ/नहीं) | | | |
| 1.4 | समूह के सदस्यों की कुल संख्या | | समूह के सदस्यों का विवरण प्रारूप–110ए पर | |
| 1.5 | समूह के मुख्य प्रवर्तक का नाम | | | |
| 1.6 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.7 | निवास का पता | | | |
| 1.8 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) | | | |
| 1.9 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.10 | आधार नं0 | | | |
| 1.11 | पैन नं0 | | | |
| 1.12 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.13 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |
| | | | | | |

| 3. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का नाम (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | मार्केटिंग कम्पनी की पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.3 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | मार्केटिंग कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस का पता | | कार्यस्थल के वाहय एवं आंतरिक फोटोग्राफ | |
| 3.5 | अनुमानित रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित मार्केटिंग कम्पनी में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | कम्पनी में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 3.7 | कम्पनी की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | | |
| 3.8 | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 3.9 | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 3.10 | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 4. वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि का आगणन | | |
|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 37.5 प्रतिशत | मार्केटिंग कम्पनी हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत | प्रथम किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो |
| 1 | 2 | 3 |
| | रू0 25 लाख | |

| 5–मार्केटिंग कम्पनी के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैंक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

6. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | मार्केटिंग कम्पनी के भवन की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | अवस्थापना सुविधाओं हेतु कय की गयी वस्तुओं की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–15

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी के संस्थापक/संचालक समूह का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | समूह का नाम | | | |
| 1.2 | समूह का पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 1.3 | क्या समूह संयुक्त जवाबदेही समूह है? (हाँ/नहीं) | | | |
| 1.4 | समूह के सदस्यों की कुल संख्या | | | |
| 1.5 | समूह के मुख्य प्रवर्तक का नाम | | | |
| 1.6 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.7 | निवास का पता | | | |
| 1.8 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार) | | | |
| 1.9 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.10 | आधार नं0 | | | |
| 1.11 | पैन नं0 | | | |
| 1.12 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.13 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |
| | | | | | |

| 3. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का नाम (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | मार्केटिंग कम्पनी की पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.3 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | मार्केटिंग कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस का पता | | कार्यस्थल के वाहय एवं आंतरिक फोटोग्राफ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | अनुमानित रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित मार्केटिंग कम्पनी में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | कम्पनी में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 3.7 | कम्पनी की स्थापना एवं संचालन हेतु वास्तविक कुल पूंजी निवेश (रू0) | | | |
| 3.8 | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र प्रारूप–.. पर | |
| 3.9 | वास्तविक वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आडिटेड बैलेंसशीट | |
| 3.10 | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 4. वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त की धनराशि का आगणन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | मार्केटिंग कम्पनी हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा | देय कुल वित्तीय सुविधा की प्रभावी धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो | प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि (रू0) | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | रू0 50 लाख | | | |

| 5–मार्केटिंग कम्पनी के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड़ | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

6. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र | |
| 2 | मार्केटिंग कम्पनी के भवन की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | अवस्थापना सुविधाओं हेतु कय की गयी वस्तुओं की वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–16

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी के चेन आउटलेट खोलने हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता हेतु )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का कमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का कमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| नोट :– युवाओं/युवतियों के संयुक्त जवाबदेही समूह द्वारा पालिसी अवधि में स्थापित मार्केटिंग कम्पनी को देश एवं विदेश में चेन आउटलेट खोलने के लिए वित्तीय सुविधा निम्नानुसार देय है :– | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुमन्य वित्तीय सुविधा की तालिका | | | | | |
| (अ) देश में खोले गये आउटलेट के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सुविधा | | | | | |
| श्रेणी | खोले गये तथा बिकी करने वाले आउटलेट की न्यूनतम संख्या | | समस्त आउटलेट से न्यूनतम कुल बिकी (रू0) | | अनुमन्य वित्तीय सहायता (रू0) |
| | प्रदेश के बाहर | कुल | प्रति वर्ष बिकी | तीन वर्ष में बिकी | |
| प्रथम | 40 | 50 | 4 करोड़ | 12 करोड़ | 2 करोड़ |
| द्वितीय | 80 | 100 | 8 करोड़ | 24 करोड़ | 4 करोड़ |
| तृतीय | 160 | 200 | 16 करोड़ | 48 करोड़ | 8 करोड़ |
| चतुर्थ | 400 | 500 | 20 करोड़ | 60 करोड़ | करोड़ |

| (ब) विदेश में खोले गये आउटलेट के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सुविधा | | | |
|---|---|---|---|
| खोले गये तथा बिकी करने वाले आउटलेट की न्यूनतम संख्या | समस्त आउटलेट से न्यूनतम कुल बिकी (रू0) | | अनुमन्य वित्तीय सहायता (रू0) |
| | प्रति वर्ष बिकी | तीन वर्ष में बिकी | |
| 25 | 2 करोड़ | 6 करोड़ | 2 करोड़ |

| 1. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी के संस्थापक/संचालक समूह एवं समूह के मुख्य प्रवर्तक का विवरण (संयुक्त जवाबदेही समूह के होने पर ही यह वित्तीय सुविधा देय होगी ) | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| 1.1 | समूह का नाम | | | |
| 1.2 | समूह का पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 1.3 | क्या समूह संयुक्त जवाबदेही समूह है? (हाँ/नहीं) | | | |
| 1.4 | समूह के सदस्यों की कुल संख्या | | समूह के सदस्यों का विवरण प्रारूप–110ए पर | |
| 1.5 | समूह के मुख्य प्रवर्तक का नाम | | | |
| 1.6 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.7 | निवास का पता | | | |
| 1.8 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.9 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.10 | आधार नं0 | | | |
| 1.11 | पैन नं0 | | | |
| 1.12 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.13 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 3. | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
| 3.1 | आनलाइन मार्केटिंग कम्पनी का नाम (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | मार्केटिंग कम्पनी की पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.3 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | | |
| 3.4 | मार्केटिंग कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस का पता | | आफिस के वाहय एवं आंतरिक फोटोग्राफ | |
| 3.5 | वास्तविक रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित मार्केटिंग कम्पनी एवं आउटलेट में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | कम्पनी एवं आउटलेट में नियोजित व्यक्तियों को प्रदत्त कुल आय (रू0) | | | |
| 3.7 | कम्पनी एवं आउटलेट में नियोजित व्यक्तियों की औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 3.8 | देश में कम्पनी द्वारा खोले गये आउटलेट की संख्या | | 1. विवरण प्रारूप–112 ब पर<br>2. आउटलेट के फोटोग्राफ्स | |
| 3.9 | देश में प्रति वर्ष बिक्री करने वाले एवं तीन वर्ष तक बिक्री करने वाले आउटलेट की संख्या | | | |
| 3.10 | देश में प्रति वर्ष सभी आउटलेट से ब्रिकी की कुल धनरशि (रू0) | | | |
| 3.11 | देश में तीन वर्ष में सभी आउटलेट से ब्रिकी की कुल धनरशि (रू0) | | | |
| 3.12 | विदेश में कम्पनी द्वारा खोले गये आउटलेट की संख्या | | 3. विवरण प्रारूप–112 स पर<br>4. आउटलेट के फोटोग्राफ्स | |
| 3.13 | विदेश में प्रति वर्ष बिक्री करने वाले एवं तीन वर्ष तक बिक्री करने वाले आउटलेट की संख्या | | | |
| 3.14 | विदेश में प्रति वर्ष सभी आउटलेट से ब्रिकी की कुल धनरशि (रू0) | | | |
| 3.15 | विदेश में तीन वर्ष में सभी आउटलेट से ब्रिकी की कुल धनरशि (रू0) | | | |

<table>
<tr><td colspan="9">4. वित्तीय सहायता की धनराशि का आगणन</td></tr>
<tr><td colspan="7">देश में</td><td rowspan="4">विदेश में<br>(यदि तालिका के अनुसार न्यूनतम आउटलेट खोले जाने एवं बिक्री किये जाने की शर्त पूर्ण होती हो<br>(रू0)</td><td rowspan="4">कुल वित्तीय सहायता (कालम 7+8)<br>(रू0)</td></tr>
<tr><td colspan="6">श्रेणी का निर्धारण</td><td rowspan="3">श्रेणी के अनुसार देय वित्तीय सुविधा (रू0)</td></tr>
<tr><td colspan="2">खोले गये एवं बिक्री करने वाले आउटलेट की संख्या के अनुसार</td><td colspan="3">तीन वर्षों में बिक्री</td><td rowspan="2">प्रभावी श्रेणी (कालम–1, 2,3,4 व 5 में जो न्यूनतम हो)</td></tr>
<tr><td>प्रदेश के बाहर</td><td>कुल आउटलेट</td><td>प्रथम वर्ष में बिक्री</td><td>द्वितीय वर्ष में बिक्री</td><td>तृतीय वर्ष में बिक्री</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

5–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण

| क0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

6. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ कमांक |
|---|---|---|
| 1. | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2. | प्रत्येक आउटलेट की तीन वर्षों की आडिटेड बैंलेंसशीट | |
| 3. | मार्केटिंग कम्पनी की तीन वर्षों की आडिटेड बैंलेंसशीट | |

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

<u>प्रारूप–17</u>

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
## ( एक्सपोर्ट हाउस के संचालन हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त के सम्बन्ध में )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | आधार कार्ड | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | एक्सपोर्ट हाउस का स्वामित्व (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | एक्सपोर्ट हाउस का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | पंजीकरण प्रमाण–पत्र | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र | |
| 3.5 | एक्सपोर्ट हाउसके स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | एक्सपोर्ट हाउस के कार्यस्थल का पता | | एक्सपोर्ट हाउसका फोटो | |
| 3.7 | अनुमानित रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित एक्सपोर्ट हाउसमें प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | एक्सपोर्ट हाउस में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | अनुमानित परियोजना लागत (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 7. | अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0) (बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9. वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि का आगणन | | |
|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 37.5 प्रतिशत | एक्सपोर्ट हाउस हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत | प्रथम किश्त की दावा धनराशि (रू0) (कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो |
| 1 | 2 | 3 |
| | रू0 15 लाख | |

10. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र | |
| 2 | एक्सपोर्ट हाउस के भवन की रजिस्ट्री अथवा रेन्ट लीज एग्रीमेन्ट | |
| 3 | डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) | |
| 4 | एक्सपोर्ट हाउस की अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत क्रय की गयी वस्तुओं का विवरण, वैध इनवाइस एवं इनवाइस के सापेक्ष भुगतान के साक्ष्यस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट | |

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

## प्रारूप–18

### उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
### ( एक्सपोर्ट हाउस के संचालन हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में )

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक/मुख्य प्रवर्तक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

| आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन का क्रमांक | | | | | प्राप्ति का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| 1. | मुख्य प्रवर्तक (युवा उद्यमी) का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 1.1 | नाम | | | |
| 1.2 | पिता/पति का नाम | | | |
| 1.3 | निवास का पता | | | |
| 1.4 | जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनूसार) | | | |
| 1.5 | आवेदक की आयु (आवेदन वर्ष की तिथि 17 अक्टूबर को आगणित) | | | |
| 1.6 | आधार नं0 | | | |
| 1.7 | पैन नं0 | | | |
| 1.8 | मोबाइल नं0 | | | |
| 1.9 | ई–मेल आई0डी0 | | | |

| 2 | मुख्य प्रवर्तक की तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षा का नाम | संस्थान/बोर्ड/ परिषद/विश्वविद्यालय | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |

| 3. | मुख्य प्रवर्तक द्वारा संचालित उद्यम का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| 3.1 | एक्सपोर्ट हाउस का स्वामित्व (इकाई/समूह) | | | |
| 3.2 | एक्सपोर्ट हाउस का नाम | | | |
| 3.3 | पंजीकरण संख्या व दिनांक | | पंजीकरण प्रमाण–पत्र | |
| 3.4 | जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या व दिनांक | | जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र | |
| 3.5 | एक्सपोर्ट हाउस के स्वामित्वाधिकार सदस्यों की कुल संख्या | | सदस्यों का विवरण प्रारूप–.101 ए पर | |
| 3.6 | एक्सपोर्ट हाउस के कार्यस्थल का पता | | एक्सपोर्ट हाउसका फोटो | |
| 3.7 | वास्तविक रोजगार सृजन (समूह के स्वामित्वाधिकार सदस्यों सहित एक्सपोर्ट हाउस में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या | | | |

| क0सं0 | बिन्दु | विवरण | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 4. | एक्सपोर्ट हाउस में नियोजित व्यक्तियों की वास्तविक औसत मासिक आय (रू0) | | | |
| 5. | एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमानित कुल पूंजी निवेश (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र | |
| 6. | वास्तविक परियोजना लागत (रू0) | | प्रारूप–109बी | |
| 7. | वास्तविक वार्षिक बिक्री टर्नओवर (रू0) | | आगणन सम्बन्धी प्रपत्र सी0ए0 द्वारा प्रमाणित | |
| 8. | प्रभावी परियोजना लागत (रू0)<br>(बिन्दु 6 व 7 में जो भी कम हो) | | | |

| 9. वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त की धनराशि का आगणन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रभावी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत | एक्सपोर्ट हाउसहेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधा की अधिकतम सीमा | देय कुल वित्तीय सुविधा की प्रभावी धनराशि (रू0)<br>(कॉलम 1 व कॉलम 2 में जो भी कम हो) | प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि<br>(रू0) | द्वितीय किश्त की दावा धनराशि (रू0)<br>(कालम 3 – कालम 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | रू0 20 लाख | | | |

| 10–इकाई/उद्यम के लोन एकाउन्ट एवं अन्य बैंक एकाउन्ट का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | खाताधारक का नाम, जैसा कि बैक पासबुक में है | बैंक एकाउन्ट नं0 | बैक का नाम | बैंक शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड | संलग्न | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
| | | | | | | बैंक–पासबुक | |

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

| क्र0 | संलग्नकों का विवरण | संलग्नक पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम किश्त में प्राप्त वित्तीय सहायता का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र | |
| 2 | इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति | |

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मै/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल ................. पृष्ठ**

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप–19

## उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022'' में वर्णित वित्तीय सुविधा हेतु आवेदन–पत्र

( भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा देश में आयोजित वस्त्र सम्बन्धी प्रदर्शनी/कार्यक्रमों में प्रतिभागिता व्यय की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान )

| आवेदन–पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (09 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन पत्र का क्रमांक | | | | | प्राप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

सेवा में,

सहायक आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिक्षेत्र–..........................................

महोदय,

मैं ''उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022'' के प्रस्तर 5 (b) में वर्णित वित्तीय सुविधा ( भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्याति प्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा देश में आयोजित वस्त्र सम्बन्धी प्रदर्शनी/कार्यक्रमों में प्रतिभागिता व्यय की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान ) प्राप्त होने की प्रत्याशा में निम्नांकित कार्यक्रम/प्रदर्शन में मैं प्रतिभाग करने का इच्छुक हूँ:–

1. आवेदक का विवरण
   - i. नाम..............................................................................................................
   - ii. पता..............................................................................................................
   - iii. पंजीकरण संख्या...............................................................................................
   - iv. मो0 नं0........................................................................................................
2. प्रदर्शनी/एक्सपो/कार्यक्रम का नाम
   - i. आयोजन स्थल का नाम एवं पता...............................................................................
     ..........................................................................................................................
   - ii. आयोजक का नाम..............................................................................................
   - iii. आयोजन की अवधि–(दिनांक..................................................से दिनांक..................................................तक

कृपया मुझे उक्त प्रदर्शनी/एक्सपो/कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

# प्रारूप–20

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन–पत्र

**( देश में आयोजित वस्त्र प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में प्रतिभागिता व्यय की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु)**

| आवेदन–पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (09 अंकों की संख्या) | परिक्षेत्र का कोड | | जनपद कोड | | आवेदन पत्र का क्रमांक | | | | | प्राप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

1. आवेदक/प्रतिभागी का विवरण
   i. नाम.......................................................................................................................
   ii. पता.......................................................................................................................
   iii. पंजीकरण संख्या.......................................................................................................
   iv. मो0 नं0..................................................................................................................
2. प्रदर्शनी/एक्सपो/कार्यक्रम का विवरण
   i. आयोजन स्थल का नाम................................................................................................
   ii. आयोजक का नाम.....................................................................................................
   iii. आयोजन की अवधि–(दिनांक.......................................से दिनांक.......................................तक
3. वित्तीय सुविधाओं का आगणन

**3.1 माल–भाड़ा की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन**

| क्र0 सं0 | माल ढुलाई की तिथि | प्रतिभागी का जनपद | प्रदर्शनी स्थल का जनपद | दूरी (किमी0 में) | माल का वजन (किग्रा0 में) | रेलवे माल–भाड़ा की दर | रेलवे के अनुसार कुल माल–भाड़ा | वहन किया गया वास्तविक माल–भाड़ा | प्रभावी माल–भाड़ा ( कालम–8 एवं कालम–9 में से जो भी कम हो) | (कालम–10 का 90 प्रतिशत | दावा धनराशि ( रू0 ) (कालम–11 की कुल धनराशि अथवा रू0 7200/–में से जो भी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | कुल योग | | |

**3.2 यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन**

| क्र0 सं0 | यात्रा प्रारम्भ | | | यात्रा समाप्ति | | | न्यूनतम दूरी का द्वितीय श्रेणी शयनयान रेल किराया | वहन किया गया वास्तविक यात्रा व्यय | प्रभावी यात्रा व्यय ( कालम–8 एवं कालम–9 में से जो भी कम हो) | (कालम–10 का 90 प्रतिशत | दावा धनराशि ( रू0 ) (कालम–11 की कुल धनराशि अथवा रू0 1215/–में से जोभी कम हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | तिथि | जनपद | निकटतम रेलवे स्टेशन | तिथि | जनपद | निकटतम रेलवे स्टेशन | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | कुल योग | | |

**3.3 दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन**

| क्र0सं0 | प्रतिभागिता अवधि | | | कुल दिवस | दर (रू0 225/–प्रतिदिन) | कुल दैनिक भत्ता प्रतिपूर्ति (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिभागी का नाम | प्रतिभागिता प्रारम्भ की तिथि | प्रतिभागिता समाप्त की तिथि | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | कुल योग | |

| 3.4 प्रतिभागी द्वारा आयोजक संस्था को शुल्क भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सुविधा का आगणन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिभागिता प्रारम्भ/समाप्ति की तिथि | | आयोजक संस्था का प्रतिभागिता शुल्क | आयोजक संस्था को दिया गया वास्तविक शुल्क | प्रभावी शुल्क (कालम–4 एवं कालम–5 में से जो भी कम हो) | (कालम–6 का 90 प्रतिशत | दावा धनराशि ( रू0 ) (कालम–07 की कुल धनराशि अथवा रू0 18000/–में से जो भी कम हो) |
| प्रारम्भ की तिथि | समाप्ति की तिथि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 3.5 कुल वित्तीय सुविधा का आगणन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| माल–भाड़ा की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रू0) | यात्रा–भत्ता की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रू0) | दैनिक–भत्ता की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रू0) | प्रतिभागिता शुल्क के भुगतान की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रू0) | कुल दावा धनराशि (रू0) (कालम 1+2+3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

4. बैंक खाते का विवरण–

| खाताधारक का नाम | खाता संख्या | बैंक का नाम व पता | शाखा का नाम | आई0एफ0एस0सी0 कोड |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

संलग्नक : दो प्रतियों मे (सत्यापित)

1. प्रतिभागिता प्रमाण–पत्र
2. यात्रा टिकट
3. माल–भाड़ा की बिल्टी
4. प्रतिभागी द्वारा आयोजक को किये गये भुगतान की प्राप्ति रसीद
5. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा निर्गत प्रतिभागिता अनुमति पत्र

## घोषणा

मैं........................................................................................................घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बिल वाउचर/कैशमेमो मेरी जानकारी में सही है। कोई तथ्य असत्य होने की दशा में प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)